संघशासित प्रदेश चण्डीगढ़ की बहु–संकट आपदा प्रबंधन योजना का प्रारूप

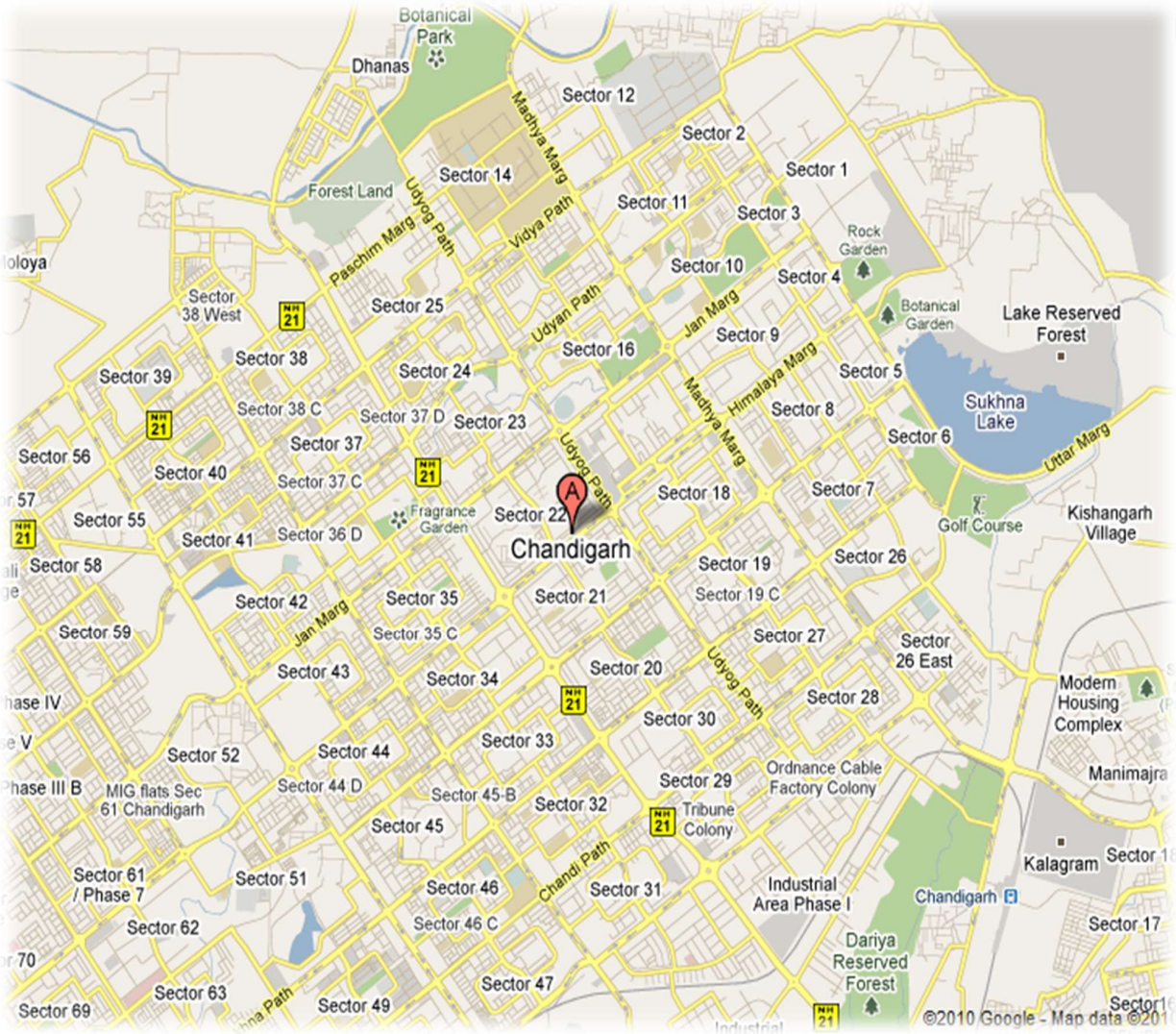

चण्डीगढ़ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

चण्डीगढ़ प्रशासन

दूरभाष 0172- 2704048, 0172-27000109, 0172-2724112(1077)

फ़ैक्स : 0172-2704548, वैब : www.chandigarh.nic.in

सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठ सं.
	कार्यकारी सारांश	
अध्याय -01	**परिचय**	
1.1	आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन चक्र	
1.2	अनुमान	
1.3	बचाव कार्यों के सिद्धांत	
अध्याय-02	**बहु संकट योजना**	
2.1	शहर में आपदा प्रबंधन योजना का औचित्य	
2.2	योजना के उद्देश्य	
2.3	परिदृश्य	
2.4	योजना विकास की पद्धति	
2.5	ग्राह्यता मूल्यांकन	
2.6	अवसर विश्लेषण	
2.7	जिला प्रशासन की भूमिका	
2.8	योजना को कौन तैयार करेगा	
2.9	जोखिम एवं ग्राह्यता विश्लेषण	
अध्याय -03	शहर की रूपरेखा	
3.1	जिला विवरण	
3.2	भौगोलिक स्थिति	
3.3	जलवायु	
3.4	वर्षा	
3.5	भूविज्ञान संबंधी विवरण	
3.6	जनसांख्यिकी	
3.7	क्षेत्र एवं प्रशासनिक प्रभाग	
3.8	शिक्षा	
3.9	परिवहन एवं संप्रेक्षण	
3.10	रोडवेज़	
3.11	रेलवे	
3.12	एयरवेज़	
3.13	सैक्टर	
3.14	विद्युत	
3.15	दूरभाष	
3.16	चिकित्सा सुविधाएं	
3.17	शहर के आसपास स्वास्थ्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं	
3.18	उद्योग	

3.19	कृषि	
3.20	घरों के लिए पेय जल के स्रोत	
अध्याय -04	आपदा प्रबंधन व्यवस्था	
4.1	राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	
4.2	आपदा प्रबंधन रणनीति	
4.3	जिला आपदा प्रबंधन समिति	
4.4	जिला कार्यकारी समूह	
4.5	आपातकालीन प्रचालन केंद्र	
4.6	चण्डीगढ़ में घटना कमांड प्रणाली	
4.7	सामान्य प्रचालन प्रक्रियाएं	
4.8	त्वरित कार्य तंत्र	
4.9	आपातकालीन सहायता कार्य	
अध्याय -05	**आपदा शमन योजना**	
5.1	गैर–संरचनात्मक सामान्य योजना	
5.2	संरचनात्मक शमन उपाय	
अध्याय -06	**ईएसएफ़ के लिए कार्य प्रतिक्रिया योजना**	
6.1	लघु अवधि प्रतिक्रिया योजना	
6.2	दीर्घावधि प्रतिक्रिया योजना	
6.3	पुलिस के लिए कार्ययोजना	
6.4	अग्निशमन सेवाओं के लिए कार्ययोजना	
6.5	नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड के लिए कार्ययोजना	
6.6	बीएसएनएल के लिए कार्ययोजना	
6.7	प्राइवेट मोबाइल ऑपरेटरों के लिए कार्ययोजना	
6.8	नगर निगम समिति के लिए कार्य योजना	
अध्याय -07	**आतंकी हमले को रोकने के लिए योजना**	
7.1	आतंकी हमले को काबू में करना	
अध्याय -08	**परमाणु आपदा प्रबंधन**	
8.1	परमाणु आपदाओं के प्रकार	
8.2	रोकथाम	
8.3	मेट्रो एवं महत्वपूर्ण शहरों के लिए आपातकाल/आपदा प्रबंधन	
8.4	परमाणु विस्फोट के प्रभाव	
अध्याय -09	**रासायनिक आपदा प्रबंधन**	
9.1	विभिन्न हितधारकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व	

9.2	रासायनिक आपदाओं से बचने के लिए तैयारियां	
9.3	प्रतिक्रिया, सहायता एवं पुनर्वास	
9.4	परिवहन दुर्घटनाओं के लिए मार्गदर्शी नियम	
अध्याय -10	**जैविक आपदा प्रबंधन**	
10.1	कारण एवं बचाव की प्रक्रिया	
10.2	प्रकार	
10.3	रोकथाम एवं निवारण उपाय : प्रतिरक्षा के सामान्य उपाय	
10.4	भारत में जैविकी आपदा प्रबंधन के लिए कार्य योजना	
10.5	भावी योजना	
10.6	जैविक हमले के दौरान क्या करें और क्या न करें	
अध्याय -11	आपदा के दौरान क्या करें एवम क्या न करें तथा आपदा से बचाव की तकनीक	
11.1	बाढ़	
11.2	भूकंप	
11.3	हीट वेव	
11.4	आग	
अनुलग्नक I	**सामान्य सूचना** उप प्रभाग विवरण समाचार पत्र एवं मीडिया गैर सरकारी संगठनों की सूची स्वास्थ्य क्षेत्र घातक उद्योगों की सूची एलपीजी वितरक एमएस/एचएसडी वितरण पंपों की सूची सायरन का स्थान केरोसिन डीलरों की सूची उचित मूल्य की दुकानों की सूची एंबुलेंसों की सूची भारी परिवहन वाहनों की उपलब्धता जेसीबी की सूची पोकलेन की सूची टिप्पर की सूची बुलडोजरों की सूची ट्रॉली वाले ट्रैक्टर/ टैंकरों की सूची ट्रक पर लगे पानी के टैंकरों की सूची कंप्रेसर की सूची विंच मशीन की सूची जनरेटर सेट की सूची	

अनुलग्नक II **अनुलग्नक III** **अनुलग्नक IV**	क्रेन– 10 टन की सूची महत्वपूर्ण भवनों की सूची त्वरित प्रतिक्रिया दल की तैनाती का स्थान मानचित्र	

संक्षेपक

ADM - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
BSNL - भारत संचार निगम लिमिटेड
BDO - खंड विकास अधिकारी
CISF - केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
CMO - प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
CBDM - समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन
CBO - समुदाय आधारित संगठन
CBDP - समुदाय आधारित आपदा तैयारी
CD & HG - नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड
CDMO - प्रमुख जिला चिकित्सा अधिकारी
CMG - क्राइसिस प्रबंधन समूह
CBRN - रासायनिक जैविक रेडियोलोजी एवं परमाणु
CD - नागरिक सुरक्षा
CO - सर्कल अधिकारी
CPMFs - केंद्रीय अर्धसैनिक बल
CRF - आपदा सहायता निधी
CS - प्रमुख सचिव
DCR - जिला नियंत्रण कक्ष
DSO - जिला आपूर्ति अधिकारी
DM - जिला मजिस्ट्रेट
DCRF - जिला आपदा सहायता निधी
DDMA - जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
DDC –जिला विकास समिति
DDMP - जिला आपदा प्रबंधन योजना
DEOC- जिला आपातकाल प्रचालन केंद्र
DIO - जिला सूचना अधिकारी
DMC- आपदा प्रबंधन समिति
DRMP - आपदा जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम
DAE - आणविक ऊर्जा विभाग
DC - उपायुक्त

DFO - प्रभागीय वनाधिकारी
DIPRO - जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी
DRDA - जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
DRO - जिला राजस्व अधिकारी
DSS - निर्णय सहायता प्रणाली
DTO - जिला राजस्व अधिकारी
DDMC - जिला आपदा प्रबंधन समिति
EMS – आपातकालीन चिकित्सा सेवा
EOC - आपातकालीन प्रचालन केंद्र
ESF - आपातकालीन सहायता कार्य
ETA- आगमन का अपेक्षित समय
F & CS- खाद्य एवं सिविल आपूर्ति
GIS - भौगोलिक सूचना प्रणाली
ICS - इंसिडेंट कमांड सिस्टम
IMD - भारतीय मौसम विभाग
ICU - इंटेंसिव केयर यूनिट
IC - इंसिडेंट कमांडर
ICP - इंसिडेंट कमांड पोस्ट
IRS - घटना प्रतिक्रिया प्रणाली
IRTs- घटना प्रतिक्रिया दल
LO- संपर्क अधिकारी
LIU - स्थानीय आसूचना यूनिट
NCC - राष्ट्रीय कैडेट कोर
NCMC - राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति
NDMA - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
NEOC - राष्ट्रीय आपातकालीन प्रचालन केंद्र
NGO - गैर सरकारी संगठन
NIC - राष्ट्रीय सूचना केंद्र
NO- नोडल अधिकारी
NRP- राष्ट्रीय प्रतिक्रिया योजना
NSS - राष्ट्रीय सेवा योजना
NCCF- राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि
NDRF - राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल
NEC - राष्ट्रीय कार्यकारी समिति
NIDM - राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान
PCR - पुलिस नियंत्रण कक्ष
PHD - जन स्वास्थ्य विभाग
QRT - त्वरित प्रतिक्रिया दल
RAF- रैपिड एक्शन फोर्स

RWA - आवास कल्याण संघ
SATCOM - सेटेलाइट कम्युनिकेशन
SDM - सब डिविजनल मजिस्ट्रेट
SP - पुलिस अधीक्षक
S & R - खोज एवं बचाव
SDMA - राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
SDO - उप प्रभागीय अधिकारी
SDRF - राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल
SEC - राज्य कार्यकारी समिति
TL - टीम लीडर
ULBs - शहरी स्थानीय निकाय

चण्डीगढ़ आपदा प्रबंधन योजना

कार्यकारी सारांश

यद्यपि जनसाधारण आपदा प्रबंधन शब्द से अधिक परिचित नहीं है, किंतु आज लोग भूकंप, तूफान, भूस्खलन और अब तो सुनामी जैसी आपदाओं के बारे में अच्छे से जानते हैं. भारत प्राचीन काल से ही प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता आ रहा है. हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारतीय भू-क्षेत्र का 65% भाग भूकंप प्रवृत्त है; जबकि 12 प्रतिशत क्षेत्र प्रतिवर्ष जलमग्न हो जाता है. (गृह मंत्रालय, 2004). यहाँ की 8% भूमि वर्ष में दो बार आने वाले कम दबाव के तूफानों से लेकर तीव्र तूफानों की चपेट में रहती है, इसमें वर्ष 1999 में उड़ीसा तट पर आया तूफान एक प्रमुख उदाहरण है.

संघ शासित प्रदेश चण्डीगढ़ 114 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है और इसके भूकंप क्षेत्र-4 में होने के कारण यहां भूकंप आने की अधिक संभावना रहती है.

आपदा प्रबंधन योजना चण्डीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों एवं अभिकरणों तथा आपदा प्रबंधन में भागीदारी के इच्छुक अन्य गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित करने के लिए तैयार की गई है. यह योजना संस्थागत व्यवस्थाओं, आपदा प्रबंधन में सहयोग करने वाली विभिन्न एजेंसियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व तथा उनके कार्यक्षेत्र को निर्धारित करने के लिए तैयार की गई है. इस संबंध में संसाधनों की व्यापक सूची भी तैयार की गई है. योजना का उद्देश्य निम्नलिखित के लिए प्रणाली का विकास करना है :

- शहर में वार्डन सेवाओं के गठन के साथ-साथ कार्यकारी समूह को संगठित करना
- आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ एवं नगर आपदा प्रबंधन बल का गठन
- संघ शासित प्रदेश में आपदा प्रबंधन में कार्य करने वाले विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों के पास मौजूदा संसाधनों एवं उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति का मूल्यांकन
- आपदाओं का सामना करने के लिए उनकी क्षमताओं का मूल्यांकन
- राज्य स्तर पर आपदाओं के संबंध में प्रशासनिक प्रतिक्रिया की गुणवत्ता में सुधार के लिए संस्थागत सुदृढ़ीकरण, प्रौद्योगिकीय सहायता, सूचना प्रणाली एवं डाटा प्रबंधन के उन्नयन के लिए अवश्यकताओं की पहचान करना
- संघ शासित प्रदेश आपदा प्रबंधन कार्यक्रम को प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र बनाने के साथ-साथ एक नीति एवं योजना प्रणाली बनाना

यह योजना विभिन्न कार्यों में दृष्टिकोण में समानता एवं स्पष्ट सोच प्रदान करती है, जिससे अनावश्यक जटिलताओं से बचा जा सकता है. साथ ही यह योजना कार्य क्षेत्र से लेकर केंद्रीय सरकार तक की विभिन्न एजेंसियों में समन्वयन भी उपलब्ध करवाती है. इसका उद्देश्य आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया उपलब्ध करवाना है.

यद्यपि, पहले विभिन्न विभागों एवं एजेंसियों द्वारा आपदा विशिष्ट प्रभावी योजनाएं बनाई गई हैं, किंतु आपदा के बहुमुखी प्रभावों से बचाव के लिए बहु-आपदा कार्य योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता है. यह संस्थागत सेटअप एवं सूचना प्राप्त करने के साथ-साथ प्रारंभिक तौर पर इसमें संयोजित एजेंसियों की भूमिका और आपदा विशिष्ट प्रतिक्रिया उपलब्ध करवाने पर केंद्रित है. इस प्रकार का कार्य

स्थानीय स्तर पर प्रतिक्रिया में लचीलेपन की सुविधा प्रदान करता है, जबकि साथ ही इसमें राज्य अथवा अथवा क्षेत्रों का सीधा पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण रहता है.

हालांकि, इस कार्य योजना में प्रशासनिक प्राधिकरणों की तैयारी की महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इसमे गैर-सरकारी संगठनों एवं निजी संस्थानों के व्यापक सहयोग की भी अपेक्षा रहती है. आपदाओं के प्रबंधन के लिए जनसाधारण की प्रतिभागिता प्रभावी भूमिका निभाती है. आपदा प्रबंधन कार्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जन-साधारण एवं प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाना अनिवार्य होता है.

अध्याय -1

परिचय

संदर्भ सूची

1) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मार्गदर्शी सिद्धांत (एमएचए)
2) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मार्गदर्शी सिद्धांत- रासायनिक आपदाएं (एनडीएमए)
3) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन मार्गदर्शी सिद्धांत- परमाणु एवं रेडियोलॉजिकल आपातकाल का प्रबंधन (एनडीएमए)
4) सार्क आपदा प्रबंधन केंद्र की वेबसाइट
5) एनडीएमए और एनआईडीएम की वेबसाइट

1.1 आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन तंत्र

निरंतर आने वाली आपदाएं पोषणक्षम विकास के लिए खतरा होती हैं. गत 20 वर्षों में भूकंप, बाढ़, उष्णकटिबंधीय तूफान, सूखा एवं अन्य आपदाओं ने विश्व भर में 3 मिलियन से अधिक लोगों की जान ली है और अन्य 1 बिलियन लोगों को चोटिल, रोगी व बेघर किया है. आपदाएं मनुष्यों की दशकों की मेहनत एवं निवेश को समाप्त कर देती हैं और समाज पर पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास का बोझ डाल देती हैं.

आपदाएं या तो बाढ़, सूखा, तूफान एवं भूकंप जैसी प्राकृतिक होती हैं या दंगे, उपद्रव जैसी मानव निर्मित या अन्य प्रकार की जैसे आग, महामारी, औद्योगिक दुर्घटनाएं एवं पर्यावरणीय परिस्थितियां हो सकती हैं. विश्व भर में आपदा प्रभावित लोगों में से 80% लोग प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित होते हैं. बीमा कंपनी के अनुमानों के अनुसार बीमा कंपनी को होने वाले नुकसान में 85% प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है. भारत जैसे देश, जहां अधिकांश लोगों की संपत्ति का बीमा नहीं करवाया जाता (विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में), में इस प्रकार का नुकसान बहुत अधिक होता है. वर्ष 1996 में 40 मिलियन आपदा पीड़ित लोग मानवीय सहायता पर निर्भर रहे, जिसमें वर्ष 1980 कि तुलना में 60% कि वृद्धि हुई.

आपदाओं को निम्नलिखित में से कुछ अथवा सभी द्वारा वर्गीकृत किया जाता है

- यह व्यक्तियों एवं समुदाय के लिए विध्वंसक होते हैं।
- यह दैनिक अनुभव का हिस्सा नहीं होते और सामान्य जीवन की अपेक्षाओं से परे होते हैं.
- यह घटनाएं एवं इसके प्रभाव अप्रत्याशित होते हैं।
- इनका सामना करने के लिए ऐसी प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है, जिनके लिए सामान्यता स्थानीय संसाधन अपर्याप्त होते हैं।
- यह मानवों और भौतिक पर्यावरण पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालते हैं।
- इनसे निपटना जटिल होता है।
- यह घटनाएं अचानक होती हैं।

आपदा प्रबंधन चक्र

आपदा
तैयारी

शमन
रोकथाम
योजना
पुनर्निर्माण
पुनर्वास
बचाव/ सहायता
विकास

सम्पूर्ण समाधान के लिए 3 मुख्य कार्यकारी क्षेत्रों को आवश्यक घटक माना गया है जो हैं- रोकथाम, प्रतिक्रिया एवं बहाली. इन्हीं क्षेत्रों के दायरे में एजेंसियों के प्रमुख उत्तरदायित्वओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

योजना : आवश्यकताओं का विश्लेषण तथा संसाधनों के उपयोग के लिए रणनीति का विकास.

तैयारी : संरचनाओं की स्थापना व प्रणालियों का विकास करना तथा प्रयोक्ता संगठनों द्वारा उन्हें आवंटित की गई भूमिका निभाने के लिए इनकी क्षमताओं का परीक्षण एवं मूल्यांकन.

समन्वयन : प्रभावी आपदा प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए संगठनों तथा संसाधनों को एक साथ लाना.

इस दस्तावेज का मुख्य उद्देश्य प्रभावी आपदा प्रबंधन रणनीति तैयार करने के लिए समन्वित प्रयास प्रारंभ करना है, जिससे भावी आपदाओं के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके. इस दस्तावेज का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य एक त्वरित, सक्षम और समन्वित प्रतिक्रिया एवं

बहाली योजना तैयार करना है, जिससे समस्त आपदा प्रबंधन क्रियाकलापों में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना सुनिश्चित किया जा सके.

रोकथाम क्रियाकलाप
कानूनी नियमों की योजना/ भूमि उपयोग विनियम

रोकथाम एवं प्रतिक्रिया
बांध बनाना
सुदृढ़ीकरण
चेतावनी

प्रतिक्रिया क्रियाकलाप
बाढ़ से बचाव
रेत की बोरियां
खोज

बहाली एवं रोकथाम
पुनर्निर्माण
नवीनीकरण

रोकथाम प्रतिक्रिया एवं बहाली
तैयारी की योजना
सामाजिक जागरूकता
प्रशिक्षण अभ्यास
वित्त

बहाली क्रियाकलाप
काउंसलिंग
आजीविका सहायता
सामान प्रदान करना
सामुदायिक कार्यक्रम
वित्तीय सहायता

प्रतिक्रिया एवं बहाली
खाली कराना
सहायता केंद्र
अस्थाई

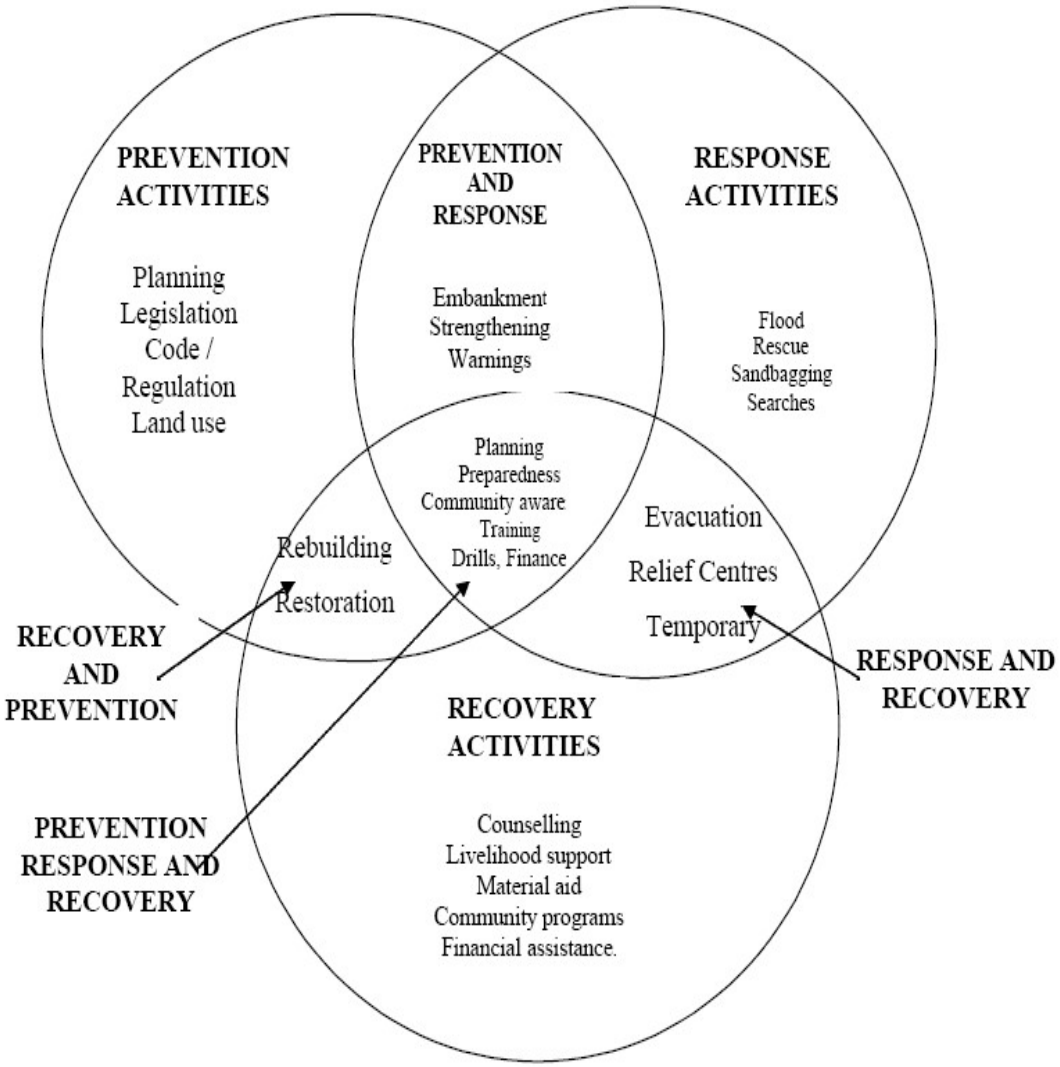

रोकथाम, प्रतिक्रिया एवं बहाली क्रियाकलापों के बीच अंतः संबंध दर्शाता हुआ आरेख

प्रत्येक आपदा जोखिम प्रबंधन चरणों में बचाव उपायों के उदाहरण

आपदा / चरण	भूकंप	बाढ़	तूफान (बवंडर, आंधी, बवंडर)	भूस्खलन
रोकथाम/शमन	-भूकंपीय डिजाइन -कमजोर भवनों का पुनर्संयोजन -भूकंपीय विलगन/भूकंपीय प्रतिक्रिया नियंत्रण प्रणाली की अधिष्ठापना	-तटबंध का निर्माण -बांध बनाना -वनरोपण -बाढ़ नियंत्रण जलाशयों का निर्माण	-ज्वार दीवार का निर्माण -तूफानों से रक्षा के लिए वनों की स्थापना	-भू-क्षरण नियंत्रक बांधों का निर्माण -प्रतिरक्षक दीवारों का निर्माण
तैयारी	-भूकंप पर्यवेक्षण प्रणालियों का निर्माण एवं प्रचालन	-मौसम पर्यवेक्षण प्रणालियों का निर्माण एवं प्रचालन	-शरण स्थलों का निर्माण -मौसम पर्यवेक्षण प्रणालियों का निर्माण एवं प्रचालन	-मौसम पर्यवेक्षण प्रणालियों का निर्माण एवं प्रचालन
	-संकट मानचित्रों का निर्माण -खाद्य एवं अन्य वस्तुओं का भंडारण -आपातकालीन अभ्यास -पूर्व चेतावनी प्रणालियों की स्थापना -आपातकालीन स्थितियों का निर्माण			
प्रतिक्रिया	-बचाव प्रयास -फर्स्ट एड उपचार -अग्निशमन -द्वितीयक आपदा की निगरानी -अस्थाई घरों का निर्माण -टेंट गांव की स्थापना			
पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण	-आपदा रोधी पुनर्निर्माण -भूमि के उचित प्रयोग की योजना -आजीविका सहायता -औद्योगिक पुनर्वास योजना			

1.2 अनुमान

जिला प्रशासन मुख्यत: प्राकृतिक, प्रौद्योगिकीय, मानव निर्मित और जैविक आपातकालीन स्थितियों में तैयार रहने के लिए उत्तरदायी है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विनाशकारी संकट की स्थिति में चण्डीगढ़ प्रशासन एवं केंद्रीय सरकार की सांझा जिम्मेवारी रहती है. आतंकी हमले अथवा आपदा की स्थिति में होने वाली जान-माल की हानि और महत्वपूर्ण सेवाएँ बाधित होने की संभावना होती है.

एक अकेली आपदा अथवा अनेक जिले के किसी भी क्षेत्र में गंभीर आपातकालीन स्थिति उत्पन्न कर देती है. यह व्यापकता एवं गहनता की दृष्टि से भिन्न हो सकती है. यह न्यूनतम क्षति के साथ स्थानीय घटना से लेकर बड़े स्तर पर जान-माल की हानि पहुंचाने वाली अनेक जिलों में एक साथ होने वाली आपदा हो सकती है.

आपदा की रोकथाम, शमन, बचाव तैयारी एवं उस पर प्रतिक्रिया एवं बहाली कार्य जिला प्रशासन द्वारा किए जाते हैं. स्थानीय प्राधिकरण पहले अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं और इसके बाद अन्य सहायक एजेंसियों, स्वैच्छिक संगठनों, निजी क्षेत्र तथा/अथवा आसपास के जिलों के संसाधनों की सहायता प्राप्त की जाती है.

आपदा आने पर जिला प्रशासन के प्रयासों को संघ शासित प्रदेश की सहायता प्रदान की जाएगी तथा जब यह प्रतीत होने लगे कि अब स्थिति स्थानीय एवं संघ शासित प्रदेश के बस से बाहर है तो संघ शासित प्रदेश एवं जिला प्रशासन को केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी.

1.3 बचाव कार्यों के सिद्धांत

आपदा प्रबंधन योजना इस अवधारणा पर आधारित है कि आपातकालीन बचाव कार्यों के दौरान विभिन्न एजेंसियों एवं संगठनों द्वारा किए जाने वाले आपातकालीन सहायता कार्य उनके सामान्य दैनिक कार्यों के साथ-साथ चलते हैं. दोनों ही स्थितियों में वही कार्मिक एवं संसाधन प्रयोग में लाए जाएंगे. ऐसे दैनिक कार्य जो सीधे तौर पर आपातकालीन स्थिति में योगदान नहीं देते उन्हें रद्द कर दिया जाएगा अथवा किसी आपातकालीन अथवा आपदा की स्थिति के लिए उन्हें पुनः निर्दिष्ट किया जाएगा तथा ऐसे कार्यों को सामान्यतः आपातकालीन एवं आपदा ईसीएफ़ की ओर निर्देशित किया जाएगा.

अध्याय-2

बहु-संकट आपदा योजना

2.1 चण्डीगढ़ आपदा प्रबंधन योजना का औचित्य

चण्डीगढ़ शहर में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों ही प्रकार की आपदाओं की संभावना सर्वविदित है. यह क्षेत्र बाढ़, भूकंप, तूफान, सन स्ट्रोक, ग्रीष्म एवं शीत लहर, आग तथा रासायनिक एवं जैविक दुर्घटनाओं/खतरों जैसी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील है. आपदाओं के कारण होने वाली हानि वर्ष- दर-वर्ष बढ़ती जा रही है। आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी आपदा प्रबंधन रणनीति की नितांत आवश्यकता है और साथ ही आपदा प्रबंधन के लिए संगठनात्मक संरचना को मजबूत किया जाना भी जरूरी है. इसके अतिरिक्त अनुभव तथा प्रौद्योगिकीय उन्नति के आधार पर कोड/ मैनुअल/आपदा योजनाओं को नियमित रूप से अद्यतन भी किया जाना चाहिए.

किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में समय पर कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए सटीक कार्य प्रणाली, प्रक्रिया एवं जिम्मेवारियां पहले से ही विनिर्दिष्ट कर ली जानी चाहिए. अतः, विविध प्रकार की आपदाओं एवं तत्संबंधी आधारभूत तैयारी को ध्यान में रखते हुए त्वरित प्रतिक्रिया दल, त्वरित मूल्यांकन दल, रिपोर्टिंग प्रक्रिया-विधि, चेक लिस्ट एवं हैंडबुक के रूप में एक क्रियाविधि तैयार की जानी चाहिए. यह क्रियाविधि आपातकालीन बचाव कार्य केंद्रों तथा इंसिडेंट कमांड सिस्टम्स के संगठनात्मक संयोजन, आवश्यकताओं और महत्वपूर्ण मानदंडों को भी निर्धारित करती है.

2.2 योजना के उद्देश्य

आपदा प्रबंधन योजना एक विस्तृत योजना है, जो जान-माल की हानि से बचाव के लिए कार्मिकों, पदार्थों तथा उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग करती है. यह बचाव एवं पुनर्वास के तीव्रतम मार्ग को सुनिश्चित करती है. आपदा प्रबंधन योजना बचाव कार्यों में लगी संपूर्ण मशीनरी का मार्गदर्शन करती है और समाज को इसके परिणामों का डटकर मुकाबला करने के लिए साहस प्रदान करती है. चण्डीगढ़ आपदा प्रबंधन योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- चण्डीगढ़ शहर के संकट मूल्यांकन एवं संभाव्यता विश्लेषण के माध्यम से आपदा से बचाव की तैयारी में सुधार करना
- आपदा की स्थिति में जान-माल की हानि को कम करने के लिए उपयुक्त शमन रणनीति का विकास
- राहत कार्यों में लगी राहत मशीनरी को पेशेवर मार्गदर्शन प्रदान करना
- संभावित संकट की स्थिति में आपदा का सामना करने के लिए समाज में जागरूकता लाना

- जागरूकता एवं राहत कार्यों में स्वैच्छिक संगठनों एवं गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना

- आपदा से प्रभावित जन सेवा प्रणाली को शीघ्रातिशीघ्र दुरुस्त करना

- आपदा के पश्चात होने वाली महामारी की रोकथाम

2.3 परिदृश्य

- आपदा के प्रबंधन के लिए एक औपचारिक योजना में शामिल होंगे :
- प्रतिक्रिया कार्यों के उपयुक्त क्रमबद्धता की पूर्व योजना
- भागीदार एजेंसियों को जिम्मेवारियां प्रदान करना
- आपदा प्रबंधन कार्यों में शामिल विभिन्न विभागों एवं राहत एजेंसियों के लिए नियम एवं मानक कार्य प्रक्रिया का विकास करना
- मौजूदा सुविधाओं एवं संसाधनों की सूची तैयार करना
- संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए क्रियाविधि
- बचाव कार्यों में समन्वित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों सहित समस्त राहत क्रियाकलापों का समन्वयन
- उपयुक्त सहायता के लिए राज्य प्रतिक्रिया मशीनरी के साथ समन्वयन

चण्डीगढ़ आपदा प्रबंधन योजना को एक तैयारी योजना के रूप में बनाया गया है. प्रत्याशित आपदा की चेतावनी प्राप्त होते ही बिना देर किए यह योजना प्रतिक्रिया एवं शमन कार्य के लिए तंत्र को जागरूक एवं सक्रिय करती है. इस योजना के सफल कार्यान्वन के लिए जनशक्ति, सामग्री एवं उपस्कर सहित उपलब्ध संसाधनों की पहचान तथा वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का उचित प्रत्यायोजन पूर्व आवश्यकताएं हैं. सीडीएमपी अपने मूल भाव में एक मानक प्रचालन प्रक्रिया है, जिसमें घटनास्थल पर किए जाने वाले कार्य स्पष्ट रूप से निर्धारित हैं. इसमें प्रभावित स्थान खाली कराया जाना, खोज एवं बचाव, अस्थाई शेल्टर, खाना, पानी, कपड़े स्वास्थ्य एवं सफाई व्यवस्था को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है. आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक संप्रेक्षण पहुंच एवं जन सूचना सीडीएमपी के लागू होने पर सक्रिय हो जाती है. इस संबंध में किए जाने वाले कार्य सभी प्रकार की आपदाओं में एक समान होते हैं तथा प्रत्येक क्षेत्रीय स्तर के अधिकारी द्वारा उप-प्रभागीय एवं उप-कार्यों की योजना तैयार किए जाने की आवश्यकता होती है. प्रत्येक उपसमूह को उनके समूह की आपदा से संबंधित सीधी सीडीएमपी प्रक्रिया स्थापित करने का आग्रह किया जाता है.
सीडीएमपी आपदा प्रबंधकों से निम्न की अपेक्षा रखते हैं :

-प्रभावी सिग्नल/चेतावनी प्रणाली विकसित करना
-क्रियाकलाप एवं उनके स्तरों की पहचान करना
-प्रत्येक क्रियाकलाप/क्रियाकलाप के स्तर के अंतर्गत उप-कार्यों की पहचान करना
-क्रियाकलाप एवं उप-कार्यों के प्रत्येक स्तर के लिए प्राधिकारी निर्धारित करना
-प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए प्रतिक्रिया समय निश्चित करना

-प्रतिक्रिया समय के अनुरूप सक्रियता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए व्यक्तिगत योजना तैयार करना
-प्रत्येक निर्धारित प्राधिकारी के लिए त्वरित प्रतिक्रिया शर्तें निर्धारित करना
-वैकल्पिक योजनाएं एवं आकस्मिक उपायों की व्यवस्था होना
-प्रतिक्रिया तंत्र को कार्य करने योग्य एवं व्यवहार्य बनाने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन करना
-अभ्यास ड्रिल करना

2.4 योजना विकास की पद्धति

बहुआयामी योजना दस्तावेज केवल किसी एक एजेंसी अथवा व्यक्ति द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता. जिला इस दस्तावेज को तैयार करने के लिए अनेक प्रयास कर रहा है, जिससे कि यह यथासंभव उत्कृष्ट बन सके. इस योजना दस्तावेज को तैयार किए जाने संबंधी प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- आंकड़ों का विश्लेषण
- विशेषज्ञों के साथ चर्चा
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का संदर्भ
- विभागों के लिए कार्य योजना तैयार करना
- प्रारूप योजना दस्तावेज तैयार करना
- लागू की जाने वाली कार्य पद्धति की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए अभ्यास ड्रिल करना
- जन एवं विभागीय टिप्पणियों को परिचालित करना
- अंतिम योजना दस्तावेज तैयार करना

2.5 संवेदनशीलता मूल्यांकन

- संवेदनशील क्षेत्रों को अलग से चिन्हित करना
- संवेदनशील व्यक्तियों जैसे वृद्ध, दिव्यांग, बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं तथा छप्पर के घरों में रहने वाले परिवारों की पहचान करना
- मवेशियों एवं अन्य पशुओं, कच्चे घरों एवं कमजोर संरचनाओं इत्यादि जैसी संवेदनशील संपत्ति की पहचान
- बांधों के कमजोर हिस्सों, पुलों, ट्रांसफार्मर, पानी के टैंक, मोबाइल टावर, आंशिक या पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मकानों अथवा भवनों, निम्न भूमि क्षेत्र, पानी इकट्ठा होने वाले स्थानों, आग लगने की संभावना वाले स्थलों की पहचान.
- संबंधित क्षेत्र में पानी की निकासी के स्थान को चिन्हित करना

2.6 अवसर विश्लेषण

- जान एवं माल की हानि को कम करने में सहायता प्रदान करने वाले मौजूदा संसाधनों की पहचान
- शरण एवं भंडारण के लिए ऊंचे प्लेटफार्म, खुले मैदान, हाइड्रेंट पॉइंट, सुरक्षित घर एवं टीलों की पहचान
- मौजूदा शेल्टरों, यदि हों तो, की सूची बनाना

- ऊंचे स्थानों की पहचान करना, जो पशुओं को बचाने के लिए प्राकृतिक अवरोधक के रूप में कार्य कर सकते हो
- मौजूदा स्वास्थ्य एवं सफाई सुविधाओं की सूची तैयार करना
- बचाव के लिए सुरक्षित मार्गों की पहचान
- आपदा से तैयारी संबंधित क्रियाकलापों के लिए निधि के स्रोतों की पहचान

2.7 जिला प्रशासन की भूमिका

किसी भी प्रकार की आपदा की आशंका के मद्देनजर जिला प्रशासन ने विभिन्न निवारक उपाय किए हैं. नियंत्रण कक्ष की स्थापना, नदी एवं नहर तटबंधों में पहले से आई दरारों को बंद करना तथा कमजोर हिस्सों की निगरानी, वर्षा रिकॉर्ड करके उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करना, गेज रीडिंग का संप्रेषण, पावर/देसी नावों की तैनाती, अस्थाई वीएचएफ़ स्टेशनों की अधिष्ठापना, टेलीफोन एवं टेलीग्राफ लाइन को दुरुस्त रखना, खाद्य सामग्री का भंडार रखना, पानी निकासी प्रणाली को साफ रखना, कृषि/स्वास्थ्य/पशु चिकित्सा उपाय, खाद्य वस्तुओं का चयन/ भूकंप शेल्टर इत्यादि के समुचित प्रबंध की योजना तैयार की गई है. विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों को आपदा आने से पूर्व, आपदा के समय एवं आपदा के उपरांत उनकी जिम्मेवारियों के बारे में बताया गया है. सर्कल अधिकारियों, एसडीएम, यूएलबी, पीडबल्यूडी, नगर निगम एवं सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंताओं, स्वास्थ्य, पुलिस, पशु चिकित्सक, डीएसओ एवं अग्निशमन विभाग को आपदा की किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए सभी प्रकार के उपचारात्मक उपाय करने तथा सतर्क रहने के लिए आग्रह किया गया है. अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी आपदा से पूर्व, आपदा के दौरान और बाद में उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी प्रदान कर दी गई है. किसी भी समय आने वाली घातक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए जिला प्रशासन ने सभी लाइन विभागों से हर प्रकार की सहायता के लिए भी आग्रह किया है.

2.8 योजना को कौन बनाता एवं कार्यान्वित करता है

आपदा प्रबंधन योजनाएं शहर के स्तर पर बनाई जाती हैं. योजना में टीम के प्रत्येक सदस्य की भूमिका एवं उत्तरदायित्व निर्धारित होते हैं. जिला स्तर पर कलेक्टर, उप प्रभागीय स्तर पर उप-कलेक्टर एवं वार्ड स्तर में मेयर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा शहरी वार्ड स्तर में वार्ड स्तरीय आपदा समिति यह योजना बनाती और उसे कार्यान्वित करती है. सिविल सोसायटी संगठन क्षेत्रीय स्तर पर योजना को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

योजना के विभिन्न घटकों के बीच सूचना के प्रवाह का विस्तृत वर्णन आगे आने वाले अध्याय में दिया गया है.

2.9 जोखिम एवं संवेदनशीलता विश्लेषण

जोखिम एवं संवेदनशीलता विश्लेषण किसी भी आपदा के प्रबंधन की योजना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. चण्डीगढ़ आपदा प्रबंधन योजना में जोखिम एवं संवेदनशीलता विश्लेषण को शामिल करने का एक विज्ञ प्रयास किया गया है, जिससे आपदा के समय क्षति, चोट अथवा हानि के खतरे में पड़ने वाले लोगों, संपत्ति एवं संसाधनों की पहचान की जा

सकेगी. इस प्रकार की सूचना से बचाव उपायों की प्राथमिकता निर्धारित करने में सहायता मिले

क. संकटों की पहचान तथा प्राथमिकता

1) भूकंप
2) आतंकी हमला
3) आग
4) रासायनिक संकट
5) बाढ़
6) दुर्घटनाएं (सड़क, रेलवे, वायु, भवन गिरना)
7) सड़क अवरोध

ख. संकट विश्लेषण

संकट विश्लेषण में आपदा प्रवृत्त क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना शामिल होता है, जिससे कि संकट का दृश्यात्मक प्रतिरूप बनाया जा सके. विश्लेषण का लक्ष्य ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना होता है जहां आपदा का प्रभाव अधिक पड़ता है.

इस प्रकार के स्थानों की सूची निम्नानुसार है :

क्र सं	औद्योगिक स्थान	जोखिम की प्रकृति	संकटाधीन क्षेत्र
1	औद्योगिक क्षेत्र- फेस I	रासायनिक स्राव, विसर्जक बहाव, आग इत्यादि आग आदि	सैक्टर 28, 29, सुखना - चो, आरक्षित वन
2	औद्योगिक क्षेत्र- फेस II	रासायनिक स्राव, विसर्जक बहाव, आग इत्यादि आग आदि	सैक्टर 31, करसान पुनर्वास कॉलोनी
3	औद्योगिक क्षेत्र- फेस III	रासायनिक स्राव, विसर्जक बहाव, आग इत्यादि आग आदि	मौली जगरा पुनर्वास कॉलोनी
4	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	सीवर लीकेज, मीथेन गैस लीकेज, पेय जल प्रदूषण इत्यादि	सैक्टर 47 एवं 48, करसान पुनर्वास कॉलोनी

ग. महत्वपूर्ण सुविधाओं का विश्लेषण

इस विश्लेषण का लक्ष्य चण्डीगढ़ में स्थित शैक्षिक संस्थानों, पुलिस स्टेशनों, अस्पतालों अग्निशमन एवं बचाव केंद्रों इत्यादि जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं की पहचान करना है. इन सुविधाओं की आपदा प्रतिक्रिया एवं बहाली में केंद्रीय भूमिका होती है, अतः आपदा के दौरान जन-सेवाओं में आने वाली बाधा को न्यूनतम करना सुनिश्चित करने हेतु इन महत्वपूर्ण सुविधाओं को सुरक्षित रखना अत्यंत अनिवार्य है. इन महत्वपूर्ण सुविधाओं की सूची में निम्नलिखित शामिल हैं :

- स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय

- अस्पताल
- पुलिस स्टेशन
- शरणागृह
- दूरभाष कार्यालय
- महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय
- सामुदायिक केंद्र
- अग्निशमन केंद्र
- होटल

महत्वपूर्ण सुविधाओं तथा संकट वाले क्षेत्रों को अनुलग्नक 1 व 2 में दिखाया गया है. यह अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिन्हें आपदा आने पर समुचित बचाव उपायों से सुरक्षित रखना होता है, क्योंकि यह सुविधाएं आपदा के समय प्रशासन के बचाव एवं राहत कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

क्र.सं.	**महत्वपूर्ण सुविधा**	**सैक्टरवार स्थान**
1	स्कूल	सैक्टर 1- 6 को छोड़ कर सभी सैक्टर
2	सरकारी कॉलेज	10, 11, 12, 19, 20,25, 26, 28, 42, 45, 46
3	विश्वविद्यालय एवं पीजीआई	12, 14, 25
4	अस्पताल	12, 16, 32
5	अग्निशमन स्टेशन	11,17, 32, 38, औद्योगिक क्षेत्र-1 एवं मनीमाजरा
6	सामुदायिक केंद्र	8, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47 एवं औद्योगिक क्षेत्र
7	होटल	10, 17, 22, 24, 26, 34
8	बस टर्मिनल	17, 43

घ. सामाजिक विश्लेषण

इस विश्लेषण का लक्ष्य ऐसे क्षेत्रों की पहचान करना है, जिनके लिए प्रभावी संकट शमन रणनीति तैयार करने हेतु विशेष प्रयास किए जाने हैं. इन क्षेत्रों में सामान्यता निम्न से औसत आय स्तर के व्यक्ति रहते हैं तथा आपदा प्रभावों से राहत के लिए उन्हें जन-सहायता एवं सेवाओं की अधिक जरूरत होती है.

पुनर्वास कॉलोनियां एवं चण्डीगढ़ में उनका स्थान

क्र.सं.	**पुनर्वास कॉलोनी**	**स्थान**
1	इंदिरा कॉलोनी	मनी माजरा

2	पुनर्वास कॉलोनी	खुड्डा लाहोरा एवं खुड्डा जस्सू गाँव
3	मौली जागरा कॉलोनी	औद्योगिक क्षेत्र-III
4	मिल्कमैन कॉलोनी	धनास
5	सैक्टर- 25 पुनर्वास कॉलोनी	सैक्टर- 25
6	डड्डूमाजरा पुनर्वास कॉलोनी	सैक्टर-38
7	करसान कॉलोनी Karsan Colony	पूर्व औद्योगिक क्षेत्र-II East of Industrial Area-II
8	मलोया पुनर्वास कॉलोनी	मलोया गाँव
9	पलसोरा पुनर्वास कॉलोनी	सैक्टर 55-56
10	पुनर्वास कॉलोनी	सैक्टर 52-53

ड. आर्थिक विश्लेषण

आपदा के प्रभावों में व्यापार से जुड़ी आय का नुकसान और व्यापार के बंद होने से नौकरियां समाप्त होना भी शामिल है. इस विश्लेषण में आर्थिक क्रियाकलापों के केंद्रों तथा बड़े नियोक्ताओं की संकट संभावनाओं की पहचान करना है, जिससे कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले क्षेत्रों में संकट शमन रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया जा सके. यह व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में आपदा की स्थिति में न्यूनतम नुकसान के लिए संरचनात्मक सुधार करने तथा राहत प्रक्रिया को तेज करने के लिए उपयुक्त इंश्योरेंस कवरेज किया जाना सुनिश्चित करता है.

चण्डीगढ़ में आर्थिक रूप से सक्रिय क्षेत्र सैक्टर-17 एवं 34 के बाजार हैं. इसके अतिरिक्त प्रत्येक सैक्टर के अपने अलग बाजार हैं.

च. पर्यावरण संबंधी विश्लेषण

पर्यावरण संबंधी विश्लेषण का लक्ष्य चण्डीगढ़ की झील, लैजर पार्क, आरक्षित वन इत्यादि जैसे पर्यावरण संसाधनों में रासायनिक बहिस्राव जैसे द्वितीय खतरों के प्रभाव को कम करना है. पर्यावरणीय संसाधन तब प्रभावित होते हैं जब प्राथमिक संकट (भूकंप, बाढ़) के कारण रासायनिक स्राव, सीवरेज ओवरफ्लो इत्यादि जैसे द्वितीय खतरे उत्पन्न होते हैं. पर्यावरणीय प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यह न केवल जंतु प्रजातियों एवं उनके प्राकृतिक वास को प्रभावित करते हैं अपितु जन-स्वास्थ्य (निकृष्ट पेयजल गुणवत्ता) एवं जीवन गुणवत्ता (पार्कों एवं झील में पहुंच में बाधा)

के लिए भी बड़ा खतरा होते हैं. चण्डीगढ़ शहर में यह संसाधन बड़े स्तर पर उपलब्ध हैं तथा यह लोगों की जीवन गुणवत्ता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

चण्डीगढ़ में उपलब्ध पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण संसाधनों की सूची निम्नानुसार है :

क्र. सं.	पर्यावरणीय संसाधन	स्थान
1	राजेंद्र पार्क	सैक्टर - 1
2	स्मृति उपवन	सैक्टर -1
3	बोगन विला गार्डन	सैक्टर - 3
4	सुखना झील एवं वन्य जीव अभयारण्य	सैक्टर - 6
5	फिटनेस ट्रेल्स	सैक्टर -10
6	बोटैनिकल गार्डन	सैक्टर - 14
7	रोज़ गार्डन	सैक्टर -16
8	बैम्बू वैली	सैक्टर - 23-A
9	टेरेसड गार्डन	सैक्टर - 33
10	टोपियरी पार्क	सैक्टर -35
11	हिबिस्कुस गार्डन	सैक्टर - 36
12	गार्डन ऑफ फ्रेगरेंस	सैक्टर - 36

अध्याय - 3
चण्डीगढ़ का विवरण

3.1 जिला विवरण

द सिटी ब्यूटीफुल के नाम से प्रसिद्ध चण्डीगढ़ भारत का एक अनोखा संघ शासित प्रदेश है, क्योंकि यह पंजाब व हरियाणा दोनों राज्यों की राजधानी है. भारत के विभाजन के बाद पंजाब की राजधानी के रूप में शहर की कल्पना की गई तथा यह भारत का प्रथम सुनियोजित आधुनिक शहर बना. एक फ्रांसीसी आर्किटेक्ट ली-कार्बूजिए और उसके भाई पीरे जैनेरे को चण्डीगढ़ की योजना और परिकल्पना का कार्य सौंपा गया. इस संबंध में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरु ने कहा - इसे भारत की स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में एक नया शहर बनाएं, जो अतीत के बंधनों से मुक्त हो..... यह राष्ट्र के भविष्य में विश्वास की अभिव्यक्ति हो.

चण्डीगढ़ अथवा "चंडी का किला" शिवालिक पर्वत माला की मनोरम तलहटी में फैला है तथा इसका नाम हरियाणा राज्य के पंचकूला जिले के निकट स्थित "चंडी मंदिर" अर्थात माता चंडी के मंदिर पर रखा गया. चण्डीगढ़ शहर की खूबसूरती केवल शहर की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है, इसके आसपास कई आकर्षक पर्यटन स्थल है. चण्डीगढ़ के साथ ही दो सेटेलाइट शहर- पंचकूला एवं एसएएस नगर मोहाली भी स्थित है और तीन शहरों के इस त्रिकोण को "चण्डीगढ़ ट्राईसिटी" के नाम से जाना जाता है.

3.2 भौगोलिक स्थिति

ऊंचाई	:	304-365 m above msl
देशांतर	:	760 48'E
अक्षांश	:	300 50'N

3.3 मौसम

चण्डीगढ़ शहर कोएपेन सीडबल्यूजी श्रेणी में आता है अर्थात यहां का मौसम शीतकाल में ठंडा शुष्क, ग्रीष्मकाल में गर्म और उप- उष्णकटिबंधीय मॉनसून रहता है. वाष्पीकरण सामान्यत: अवक्षेपण से अधिक होता है तथा मौसम आमतौर पर शुष्क रहता है.

इस क्षेत्र में चार ऋतुएँ होती हैं: 1. ग्रीष्म अथवा गर्म मौसम (मध्य- मार्च से मध्य- जून) 2. वर्षा ऋतु (जून- अंत से मध्य- सितंबर) 3. मॉनसून पश्चात पतझड़/परिवर्तन ऋतु (मध्य- सितंबर से मध्य- नवंबर) 4. शरद ऋतु (मध्य- नवंबर से मध्य- मार्च). ग्रीष्म काल का शुष्क मौसम लंबे समय तक चलता है किंतु यदा- कदा बूंदाबांदी या तेज बारिश होती है. मई और जून वर्ष के सबसे गर्म महीने होते हैं और इस दौरान शहर का अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः 37 डिग्री सेल्सियस एवं 25 डिग्री सेल्सियस रहता है. अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. दक्षिण पश्चिम मानसून भारी वर्षा के साथ जून के अंत में प्रारंभ होता है. इस दौरान शहर का मौसम गर्म एवं उमस भरा रहता है. वर्ष-दर-वर्ष शहर में वार्षिक वर्षा वृष्टि में परिवर्तन प्रशंसनीय अर्थात 700 एमएम से 1200 एमएम है. चण्डीगढ़ की गत 20 वर्ष की औसत वर्षा वृष्टि 1100.7 एमएम है. जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है, इस दौरान शहर का अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान क्रमशः लगभग 23 डिग्री सेल्सियस एवं 3.6 डिग्री सेल्सियस रहता है. यहां सामान्य तौर पर हल्की हवाएं उत्तर-दक्षिण से दक्षिण-पूर्व दिशा में चलती हैं. कभी- कभार ग्रीष्म ऋतु में हवाएं कुछ दिन पूरब से दक्षिण-पूर्व दिशा में भी चलती हैं.

3.4 वर्षा

शहर की वर्षा वृष्टि 250 एमएम से 1000 एमएम के बीच है. अधिकतम वर्षा शिवालिक की पहाड़ियों के निकट और न्यूनतम पश्चिम के क्षेत्रों में होती है. कुल वर्षा मैं से 70- 80% वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून हवाओं के तीन महीनों के दौरान तथा शेष वर्षा सर्दियों के महीनों में होती है.

3.5 भूविज्ञान संबंधी विवरण

संघ शासित प्रदेश चण्डीगढ़ उत्तर में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है और यह नाजुक हिमालयन पारिस्थितिकी का भाग है. उत्तर-पूर्व में यह यह कांडी (भाभर) और शेष भाग में सिरोवाल (तराई) एवं अल्लुवियल मैदान से घिरा है. इसकी उप-सतह में बड़े गोल पत्थर, पत्थर, बजरी, रेत, मिट्टी, गाद और कंकड़ हैं. इस क्षेत्र में दो मौसमी नाले - पूर्व दिशा में सुखना-चो और पश्चिम में पटियाला-की-राव चो है. इसके बीच का हिस्सा पानी को दो भागों में बांटता है, जिससे दो छोटे नाले निकलते हैं. बीच के हिस्से से निकलने वाले नाले को एन-चो तथा दूसरे को चो-नाला कहा जाता है, जो सैक्टर-29 से प्रारंभ होता है.

3.6 जनसांख्यिकी

- कुल जनसंख्या (31.3.2016 को) : 900635
- पुरुष : 506938
- महिलाएं : 393967
- घनत्व : 7900

- ❖ दशकीय जनसंख्या वृद्धि : 40.33 %
- ❖ झुग्गी झोपड़ियों में जनसंख्या : 107125

3.7 क्षेत्र एवं प्रशासनिक प्रभाव

- ❖ जिले का भौगोलिक क्षेत्र : 114 sq km
- ❖ राजस्व उप प्रभागों की संख्या : 3
- ❖ खंडों की संख्या :1
- ❖ तहसीलों की संख्या :1
- ❖ नगर पालिका की संख्या :1
- ❖ ग्राम पंचायतों की संख्या :12
- ❖ कुल गांव :13

3.8 शिक्षा

- ❖ साक्षरता (%) : 81.9
- ❖ स्कूल
  - सरकारी स्कूल : 153
  - निजी स्कूल (सहायता प्राप्त) : 7
  - निजी स्कूल (गैर-सहायता प्राप्त) : 88
- ❖ कॉलेज
  - सरकारी कॉलेज : 10
  - सहायता प्राप्त कॉलेज : 7
  - क्षेत्रीय संस्थान : 1
  - राज्य शिक्षा संस्थान : 1

- ❖ विश्वविद्यालय
  - पंजाब विश्वविद्यालय
  - स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान

3.9 परिवहन एवं संप्रेक्षण

- ❖ सड़कों की कुल लंबाई : 1829
- ❖ सतही : 1829
- ❖ कुल हाईवे : 236
- ❖ सतही : 236
- ❖ कुल शहरी सड़कें :1593
- ❖ सत्ही : 1593

- पंजीकृत वाहनों की कुल संख्या :680805
  - दो पहिया : 194473
  - जीप, कार : 476315
  - थ्री व्हीलर : 1963
  - टैक्सी : 466
  - बसे : 4071
  - व्यापारिक वाहन : 3897
  - विविध : 86

3.10 सड़क परिवहन

चण्डीगढ़ शहर की अभिविन्यास योजना की अनोखी विशेषता इसकी सड़कें हैं, जिन्हें उनके कार्यों के अनुरूप वर्गीकृत किया गया है. सात सड़कों की संयोजित प्रणाली का डिजाइन सक्षम ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए किया गया. कार्बूजिए ने इसे 7 वी (वर्टिकल) का नाम दिया. शहर की वर्टिकल सड़कें उत्तर-पूर्व/दक्षिण-पश्चिम (पथ) दिशा की ओर तथा हॉरिजॉन्टल सड़कें उत्तर- पश्चिम/दक्षिण- पश्चिम (मार्ग) की ओर चलती हैं. यह सड़कें समकोण पर विभाजित होकर यातायात के लिए ग्रिड अथवा नेटवर्क बनाती है.

सड़क उपयोग की यह व्यवस्था यातायात का उत्कृष्ट तारतम्य स्थापित करती है तथा व्यवस्था यह भी सुनिश्चित करती है कि आवासीय क्षेत्रों को यातायात के शोर और प्रदूषण से अलग रखा जाए.

प्रत्येक सैक्टर अथवा पड़ोसी इकाई परंपरागत भारतीय मोहल्ले के अनुरूप है. प्रत्येक सैक्टर औसतन 800 मीटर x 1200 मीटर क्षेत्र में 250 एकड़ भूमि पर फैला है. प्रत्येक सैक्टर में वी-2 अथवा वी-3 सड़के हैं और किसी भी भवन का मुख्य द्वार उन पर नहीं खुलता. आसपास की सड़कों से पहुंच केवल चार नियंत्रित बिंदुओं पर ही उपलब्ध है, जो प्रत्येक दिशा के करीब-करीब बीच में है. प्रत्येक सैक्टर पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली वी-4 सड़क तथा उत्तर से दक्षिण जाने वाली वी-5 सड़क से चार हिस्सों में विभाजित है. इन चार हिस्सों को आसानी से ए, बी, सी और डी के रूप में पहचाना जा सकता है, जो कि उत्तर, पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम दिशा के अनुरूप हैं. उचित दूरी पर शॉपिंग एवं सामुदायिक सुविधाएं होने के कारण प्रत्येक सैक्टर अपने आप में पूर्ण है.

शहर की सड़कों को 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसे 7-वी कहा जाता है, जो निम्नानुसार हैं:

- वी-1 - चण्डीगढ़ को अन्य शहरों से जोड़ने वाली तेज सड़कें
- वी-2 - मुख्य मार्गीय सड़कें
- वी-3 - तीव्र रफ्तार मोटर सड़कें
- वी–4 - घुमावदार शॉपिंग स्ट्रीट
- वी–5 - सैक्टर घुमावदार सड़कें
- बी–6 - घरों तक पहुंच की सड़कें
- वी–7 - फुटपाथ एवं साइकिल ट्रैक

बसें वी-1, वी-2, वी-3 एवं वी-4 सड़कों पर चलेंगी. एक दीवार वी–3 सड़कों को सेक्टरों से सील करेगी.

2.11 रेलवे

उत्तर रेलवे द्वारा व्यवस्थित चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन शहर के दक्षिण-पूर्व में 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. शताब्दी एक्सप्रेस, हिमालयन क्वीन तथा अन्य कई ट्रेनें शहर को दिल्ली से जोड़ती हैं. चण्डीगढ़ से कालका तक का पूरा रेल रूट विद्युत प्रचालित है. शहर से चलने वाली प्रमुख ट्रेनों में कालका हावड़ा मेल, इंटरसिटी एक्सप्रेस और कालका- अंबाला पैसेंजर ट्रेन शामिल हैं. कंप्यूटर आरक्षण सेवा उपलब्ध है. स्टेशन से निकटतम रेल हेड कालका (22किलोमीटर, उत्तर- पूर्व) में स्थित है.

2 .12 एयरवेज

चण्डीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट (IATA: IXC, ICAO: VICG) ट्राइसिटी के मोहाली में स्थित है. शहर के केंद्र बिंदु से एयरपोर्ट की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है.

3.13 सैक्टर

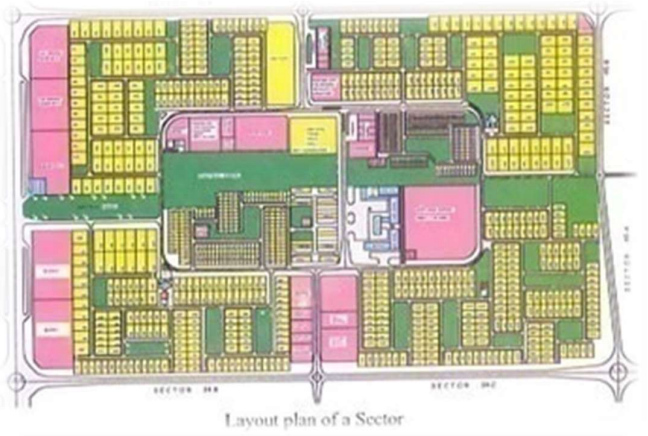
Layout plan of a Sector

ली–कार्बूजिए ने चण्डीगढ़ की मुख्य योजना मानव शरीर की संरचना के अनुरूप तैयार की, जिसमें सिर (सैक्टर 1 स्थित कैपिटल कॉम्प्लेक्स), हृदय (सिटी सेंटर सैक्टर 17), फेफड़े (लैज़र वैली, असंख्य खुले क्षेत्र एवं सेक्टरों के पार्क), बुद्धि (सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संस्थान), रक्त-प्रवाह तंत्र (सड़कों का नेटवर्क, 7वी), विसरा (औद्योगिक क्षेत्र) हैं. शहर की परिकल्पना चार प्रमुख कार्यों पर आधारित है : जीवन, कार्य, शरीर एवं आत्मा की देखभाल तथा सरकुलेशन. आवासीय क्षेत्र जीवन क्षेत्र को दर्शाते हैं, जबकि कैपिटल कॉम्प्लेक्स, सिटी सेंटर, शैक्षिक क्षेत्र (स्नातकोत्तर संस्थान, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, पंजाब विश्वविद्यालय) तथा औद्योगिक क्षेत्र कार्य का हिस्सा बनते हैं. लैज़र वैली, बाग, सैक्टर के पार्क तथा खुले आंगन आदि शरीर एवं आत्मा की देखभाल के लिए हैं. सरकुलेशन सिस्टम में सात भिन्न प्रकार की सड़के हैं, जिन्हें 7वी के नाम से जाना जाता है तथा साथ ही इसमें साइकिल चालकों के लिए नई सड़क वी 8 प्रारंभ की गई है.

सैक्टर 17 स्थित सिटी सेंटर शहर के क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु है. यहां एक ओर अन्तर्राजीय बस अड्डा, परेड ग्राउंड जिला न्यायालय इत्यादि हैं तथा दूसरी ओर विस्तृत व्यापार एवं शॉपिंग केंद्र है. यहां स्थित चार मंजिला कंक्रीट की इमारतों में भूतल पर शोरूम एवं दुकानें हैं तथा इनके ऊपर बैंक एवं कार्यालय स्थित हैं, साथ ही एक बड़ा खुला पैदल मार्ग है. इसके बीचो-बीच नीलम प्लाजा में लाइट की व्यवस्था वाला फव्वारा है. भविष्य में सैक्टर 17 में एक 11 मंजिला भवन बनाने का प्रस्ताव है. सैक्टर 34 एक नया विकसित व्यवसायिक क्षेत्र है.

- ❖ सेक्टरों की संख्या : सैक्टर 1 से 56
  (सैक्टर 61 वह 63 का कुछ भाग)
- ❖ विस्तार (वर्ग मीटर में) : 800 x 1200

3.14 बिजली

बिजली के स्रोत बीबीएमबी, एनएचपीसी, एनटीपीसी, एनपीसीआईएल, नाथपा झाकरी हैं

- ❖ कुल खपत : 1423 Mkwh
- ❖ पर व्यक्ति खपत : 1224 KWH
- ❖ कृषि खपत : 1.30 MWH
- ❖ औद्योगिक खपत : 279.52 Mkwh

3.15 टेलीफोन

- ❖ कुल लैंडलाइन कनेक्शन : 130773
- ❖ डब्ल्यूएलएल : 2013
- ❖ पब्लिक कॉल ऑफिस (एसटीडी): 864
  (हाईवे पर पीसीओ) : 39
  (सी सी बी) : 263
- ❖ टेलीफोन एक्सचेंज (मुख्य) : 12
  (उप) : 52
- ❖ डाकघर:69
- ❖ इंटरनेट कनेक्शन : 54567
- ❖ मोबाइल फोन कनेक्शन : 115000

3.16 चिकित्सा सुविधाएं

- ❖ अस्पताल : 5
- ❖ डिस्पेंसरियां : 44
- ❖ बिस्तर : 2662
- ❖ पंजीकृत चिकित्सक : 635

3.17 निकटवर्ती कस्बों में स्वास्थ्य अवसंरचना

मोहाली

- ❖ ईएसआई अस्पताल : 1
- ❖ ईएसआई डिस्पेंसरी : 2
- ❖ सरकारी डिस्पेंसरी : 1
- ❖ होम्योपैथिक डिस्पेंसरी : 2
- ❖ आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी : 1
- ❖ प्राइवेट नर्सिंग होम : 13

खरड़

- ❖ होम्योपैथिक डिस्पेंसरी : 1

- ❖ आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी : 1
- ❖ प्राइवेट नर्सिंग होम : 3
- ❖ सरकारी अस्पताल : 1

पंचकूला

- ❖ पंचकूला सरकारी अस्पताल : 1
- ❖ सरकारी डिस्पेंसरी : 4

3.18 उद्योग

- ❖ बड़े एवं मध्यम स्तर की फैक्ट्रियां : बड़ी -1 ; मध्यम-7
- ❖ एसएसआई की संख्या : 2079

3.19 कृषि

- ❖ कृषि क्षेत्र : 1793.56 हेक.
- ❖ सिंचित क्षेत्र : 2564.30 हेक.

प्रमुख फसलों से संबंधित क्षेत्र

- ❖ गेहूं : 1128.89 हेक.
- ❖ मक्का : 213.45 हेक.
- ❖ धान : 118.59 हेक.
- ❖ दलहन : 2.13 हेक.
- ❖ चारा : 1037.12 हेक.

3.20 घरों के लिए पेय जल के स्रोत

- ❖ नल : लागू नहीं
- ❖ हैंड पंप : लागू नहीं
- ❖ ट्यूबवेल : 34
- ❖ कुएं : शून्य
- ❖ अन्य स्रोत : लागू नहीं : शून्य

अध्याय – 4
आपदा प्रबंधन व्यवस्था

4.1 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

चण्डीगढ़ में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन विभिन्न प्रकार के संकटों का सामना करने के लिए आपदा तैयारी का मूल्यांकन करने हेतु प्रशासक के सलाहकार की अध्यक्षता में किया गया. यह प्राधिकरण संघशासित प्रदेश में आपदा स्थिति की समीक्षा, दैनिक तैयारी की निगरानी तथा आपदा प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार संबंधी सुझाव देने के लिए अग्रणी समिति है. इसका गठन आपदा की स्थिति में समन्वित रोकथाम कार्य, तैयारी एवं राहत उपायों को सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया गया है. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में निम्नलिखित अधिकारी हैं:

4.2 आपदा प्रबंधन रणनीति

आपदा के प्रभावों का सामना करने तथा जान-माल की हानि को न्यूनतम करने के लिए विस्तृत जिला आपदा प्रबंधन योजना के अनुसार इष्टतम रणनीति का अनुपालन करना होता है. आपदा बचाव कार्यों में

जिला, प्रशासन, जनता, गैर सरकारी संगठन, नागरिक सुरक्षा एवं इच्छुक समूह से विभिन्न साझेदारों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है. मोटे तौर पर इसे 3 प्रमुख रणनीतियों में बांटा गया है, जो हैं - पूर्व आपदा स्तर, प्रभाव स्तर एवं पश्च-आपदा स्तर.

पूर्व आपदा चरण : "बिना आपदा स्थिति में तैयारी"

पूर्व आपदा चरण में रोकथाम, शमन एवं तैयारी संबंधी क्रियाकलाप किए जाते हैं. यह प्रमुख क्रियाकलाप हैं :

1. जिला आपदा प्रबंधन समिति का गठन
2. चालू वर्ष के लिए जिला आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण
3. संकट मूल्यांकन एवं आपदा संभाव्यता विश्लेषण
4. संसाधनों की सूची
5. व्यक्तियों/समूहों/संस्थानों/संगठनों को जिम्मेवारियां सोंपना
6. जिम्मेवारियों एवं राहत कार्य सीमाएं निर्धारित करना
7. आईईसी कार्यक्रम
8. प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन
9. बचाव कार्य का प्रबंधन - तूफान/बाढ़/शरण स्थल (तात्कालिक/स्थायी), चावल आदि जैसी खाद्य वस्तुएं, किरोसिन तेल, पेयजल, चिकित्सा सुविधाएं, कपड़े, अन्य अनिवार्य वस्तुएं आदि.
10. वायरलेस सिस्टम/वीएचएफ,एचएएम-रेडियो/वायरलेस सेट जैसे संप्रेषण तंत्र की स्थापना/वाहन एवं नौका/पावर बोट, फायर ब्रिगेड आदि का प्रबंध.
11. निरीक्षण ज्ञापन, क्या करें और क्या ना करें

प्रभाव चरण - आपातकालीन बचाव एवं राहत कार्य

इस चरण में आपदा आने के तुरंत बाद किए जाने वाले उपाय शामिल हैं. इसके अंतर्गत प्रशासन द्वारा निर्णय लेना, कार्मिकों एवं संसाधनों की तैनाती आदि प्रमुख क्रियाकलाप किए जाते हैं. तत्संबंधी प्रमुख क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

1. दलों द्वारा बचाव कार्य/पहले से निर्धारित स्थान खाली कराना तथा बचाव केंद्रों को मूलभूत अवसंरचना एवं संचार साधन उपलब्ध कराना.
2. जिला नियंत्रण कक्ष एवं अन्य उप प्रभागीय/ ब्लॉक/ तहसील/लाइन विभागीय नियंत्रण कक्षों को कार्यशील करना.
3. चेतावनी/सूचना का प्रसार, मीडिया प्रबंधन एवं सामुदायिक प्रबंधन.
4. स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रत्येक 12 घंटे में जिला नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों के साथ समन्वयन बैठक करना.
5. क्षेत्रीय अधिकारियों (राजस्व/लाइन विभाग) को तत्काल एक्शन लेने के लिए तैयार रहने हेतु सचेत करना.
6. विभिन्न पेट्रोल पंपों में रखे पीओएल भंडार को तत्काल फ्रीज करना.
7. शरणालयों का प्रबंधन
8. जिला कलेक्टर द्वारा पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों, सिविल डिफेंस, अग्निशमन सेवा, नागरिकों, निजी क्षेत्र के उपक्रमों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अनिवार्य सेवा विभागों के माध्यम से नियंत्रण रेखा सुनिश्चित करते हुए आपदा प्रबंधन की निगरानी करना.
9. जिला मजिस्ट्रेट एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थिति का दैनिक जायजा लेना.
10. राहत कार्य करना.
11. दैनिक स्थिति की रिपोर्ट तैयार करना.

12. निरीक्षण ज्ञापन.

आपदा पश्च चरण - नुकसान का मूल्यांकन एवं दीर्घावधि राहत

इस चरण में किए जाने वाले सभी उपायों का लक्ष्य प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति बहाल करना तथा आपदा के दीर्घावधि परिणामों को समाप्त करना है. इस चरण में किए जाने वाले प्रमुख क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं:

1. नुकसान का मूल्यांकन एवं सूची बनाना.
2. पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास योजना तैयार करना.
3. ओआरसी के प्रावधानों के अनुसार राहत/तात्कालिक राहत सामग्री का वितरण.
4. जिला प्रशासन के माध्यम से बाहरी एजेंसियों/यूएन अभिकरणों/रेडक्रॉस/गैर-सरकारी संगठनों/निजी क्षेत्र के उपक्रमों/अन्य राज्यों द्वारा किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी.
5. संप्रेषण माध्यमों, सड़क मार्ग व रेलवे को बहाल करना.
6. इलेक्ट्रॉनिक संप्रेषण प्रणाली को बहाल करना.
7. संपर्क से कटे क्षेत्रों/शरण शिविरों तथा अगम्य क्षेत्रों में निशुल्क किचन की तात्कालिक व्यवस्था.
8. प्रभावित स्थानों पर राहत सामग्री भेजा जाना सुनिश्चित करना.
9. विस्थापितों के समान की सुरक्षा सुनिश्चित करना.
10. कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना.
11. पेयजल की सुरक्षित उपलब्धता सुनिश्चित करना.
12. चिकित्सा सुविधाओं एवं न्यूनतम स्वच्छता का प्रावधान.
13. मलबा हटाना एवं शवों का निपटान.
14. विस्थापितों को वापस उनके घर भेजने में सहायता प्रदान करना.
15. बच्चों, दूध पिलाने वाली माताओं, वृद्ध एवं अशक्त लोगों की विशेष देखभाल.
16. स्थिति का जायजा लेने के लिए 24 घंटे में एक बार जिला स्तर एवं स्थानीय स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक करना.
17. सूचना एकत्रित करना तथा जिला कलेक्टर के माध्यम से स्थिति की दैनिक रिपोर्ट सरकार को भेजना.
18. स्थानीय एवं राज्य सरकार से संपर्क रखना.
19. संपूर्ण घटना के कागजात/ऑडियो एवं वीडियो तैयार करना.
20. निरीक्षण ज्ञापन.

4.3 जिला आपदा प्रबंधन समिति- चण्डीगढ़

जिला आपदा प्रबंधन समिति जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया का कार्य देखने वाली एक उच्च-अधिकार प्राप्त समिति है. इस उच्च अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष उपायुक्त होंगे तथा जिले से नीति निर्माता/प्रत्येक लाइन विभाग के नोडल अधिकारी/एडीसी/एसडीएम तथा विभिन्न संगठनों से नोडल अधिकारी सदस्य होंगे. जिला आपदा प्रबंधन समिति (डीडीएमसी) के संयोजक एडीसी होंगे.

डीडीएमसी में नए सदस्यों को रखने तथा मौजूदा सदस्यों को हटाने, यदि अपेक्षित हो, का विवेकाधिकार DD MC के पास होगा. साथ ही आवास कल्याण संघ के सदस्यों तथा नगर निगम के पार्षदों आदि को

बारी-बारी से इस समिति में नामित किया जाएगा, जिससे कि अधिकतम साझेदारी सुनिश्चित की जा सके.

जिले में आपदा प्रबंधन के दिन- प्रतिदिन के कार्यों को देखने के लिए उपायुक्त के अधीनस्थ एक जिला परियोजना अधिकारी नियुक्त किया जाएगा.

डीडीएमसी के सदस्य सामान्य स्थिति में 2 माह में एक बार तथा संकट की स्थिति में माह में एक या उससे अधिक बार बैठक करेंगे.

डीडीएमसी सदस्यों के कार्य
जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं. डीडीएमसी सदस्य के रूप में इन कार्यों के अतिरिक्त प्रत्येक नोडल अधिकारी आपदा प्रबंधन के संबंध में अपने स्वयं के विभाग का जिम्मेवार होगा. जिला आपदा प्रबंधन समिति एक शीर्ष योजना निकाय है तथा आपदा तैयारी एवं शमन कार्य में मुख्य भूमिका अदा करती है.

डीडीएमसी के सदस्यों के कार्य

पदनाम	उत्तरदायित्व
उपायुक्त- इंसिडेंट कमांडर	▪ आपदा के संबंध में पूरी योजना, समन्वय तथा पर्यवेक्षण कार्य करना. ▪ आपदा संकट प्रबंधन कार्यक्रम सहित प्रबंधन पहल करना तथा आपदा के दौरान इंसिडेंट कमांडर के रूप में कार्य करना. ▪ जिला स्तर पर डीडीएमसी के परामर्श से जिला आपदा संकट प्रबंधन कार्यक्रम लागू करना. ▪ आपदा प्रबंधन के लिए विभिन्न विभागों एवं लाइन एजेंसियों के माध्यम से जिला प्रशासन को निर्देश देना तथा समन्वय कार्य करना. ▪ जिला आपातकालीन बचाव केंद्र स्थापित करना तथा मोबाइल कोआर्डिनेशन उपलब्ध कराना. ▪ उप प्रभाग, वार्ड तथा समिति स्तर पर डीएमसी गठित करना. ▪ समाज के बीच आपदा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता उत्पन्न करना तथा क्षमता संवर्धन करना.
अतिरिक्त उपायुक्त	▪ समाज का मनोबल एवं विश्वास बनाए रखने, स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, बचाव कार्यों की लागत में कमी लाने तथा राहत कार्यों को तेज करने के लिए आपदा बचाव कार्यों के सभी स्तरों पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना. ▪ सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों को समन्वित करना. ▪ जिला राहत प्रबंधन कार्यक्रमों के लिए सामग्री प्राप्त/ उधार/ खरीद आदि कार्य करना. ▪ आपातकाल की स्थिति में ट्रांजिट शिविर, राहत शिविर, खाद्य केंद्र तथा पशु शिविरों सहित राहत कार्यों के सभी क्षेत्रों में समन्वय कार्य करना. ▪ भारतीय आपदा संसाधन नेटवर्क तथा अन्य आपदा राहत प्रबंधन वेबसाइट को अपडेट करना. ▪ नियमित तौर पर डीडीएमसी की बैठक की अध्यक्षता करना. ▪ जिले में आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्यों का पर्यवेक्षण एवं निगरानी.

	▪ वर्ष में कम से कम 2 बार जिला स्तर पर अभ्यास ड्रिल करना. ▪ नियमित अवधि में डीडीएमसी की बैठक बुलाना तथा समस्त सदस्यों को इसके कार्यवृत्त उपलब्ध कराना. ▪ डीडीएमसी के अध्यक्ष के साथ समन्वयन करना तथा जिले में किसी भी प्रकार के डीआरएम क्रियाकलापों में उनकी सहायता करना. ▪ उपायुक्त/डीडीएमसी के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में डीडीएमसी की बैठक तथा अन्य कार्यवाहियों में अध्यक्षता करना.
संसद सदस्य, नगर निगम, पार्षद	▪ नीति निर्माण संबंधी बैठकों में आपदा प्रबंधन के लिए सिफारिश करना. ▪ समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजना का निरीक्षण करना तथा उसका समर्थन करना.
डीडीएमसी के अन्य सभी सदस्य	▪ जिला आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने में उपायुक्त को सहायता प्रदान करना. ▪ स्वयं अपने विभाग और पुलिस स्टेशन, ड्यूटी स्टेशन, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, विद्यालयों, अस्पतालों आदि जैसे विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों के लिए आपदा प्रबंधन योजना बनाना. ▪ आपातकालीन बचाव केंद्र को इस प्रकार की योजना के बारे में सूचित करना. ▪ समाज के बीच जागरूकता लाकर तथा उनकी क्षमताओं में संवर्धन करके उन्हें आपदा के लिए तैयार करने हेतु अपेक्षित स्टाफ उपलब्ध कराना. ▪ समाज आधारित आपदा प्रबंधन योजना को तैयार करने में सहायता प्रदान करने तथा आपदा से संबंधित विभिन्न बचाव कार्यों के लिए डीएमटी को प्रशिक्षण प्रदान करना. ▪ अपने विभागीय स्टाफ के लिए आपदा प्रबंधन पर नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना. ▪ विभागीय स्तर पर त्वरित प्रतिक्रिया टीम एवं क्षेत्रीय प्रतिक्रिया टीम का गठन/उन्हें अद्यतन बनाना तथा प्रशिक्षण प्रदान करना. ▪ आपातकालीन सहायता कार्य से संबंधित सहायक एजेंसियों के साथ समन्वय करना तथा नियमित तौर पर बैठकें आयोजित करना. ▪ उपायुक्त के समन्वय में स्वयं अपने विभागीय स्तर तथा अधीनस्थ इकाइयों के स्तर पर वर्ष में दो बार अभ्यास ड्रिल करना. जिला आपातकाल राहत केंद्र के कार्यों में सहायता प्रदान करना. ▪ आपातकाल में उपायुक्त के साथ समन्वय करना तथा समुचित सहयोग उपलब्ध कराना. ▪ अपने विभाग में आपदा बचाव तैयारी के बारे में आवधिक तौर पर डीडीएमसी के अध्यक्ष को रिपोर्ट भेजना. ▪ आपदा की स्थिति में इंसिडेंट कमांडर को विभाग में उपलब्ध सभी संभव मानव संसाधन/उपस्कर संप्रेषण संसाधन उपलब्ध करवाना. ▪ आपदा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उपायुक्त को समस्त संभव मानव संसाधन/उपस्कर संसाधन उपलब्ध कराना. ▪ विभाग से संबंधित निर्माण कार्यों में आपदा रोधी प्रौद्योगिकियों तथा भूकंपीय

	अभियांत्रिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना. ▪ विभाग के अंतर्गत मौजूदा महत्वपूर्ण/ लाइफ लाइन अधिस्ठापनाओं के लिए पुनर्संयोजन पद्धतियों पर विमर्श/उन्हें लागू करना. ▪ इंसिडेंट कमांडर एवं डीडीएमसी के अध्यक्ष द्वारा दी गई किसी अन्य जिम्मेवारी पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार कार्य करना.
जिला सूचना अधिकारी	▪ भारत आपदा संसाधन नेटवर्क (www.idrn.gov.nic.in) वेबसाइट तथा सरकार व जिले द्वारा प्रारंभ की गई इस प्रकार के अन्य वेब पोर्टल को अद्यतन करना.
जिला परियोजना अधिकारी- पदेन सदस्य	▪ जिले में डीआरएम कार्यक्रम लागू करने मे एडीसी की सहायता करना। ▪ डीआरएम योजना को लागू करने के लिए यूएनडीपी/एनजीओ/आईएनजीओ तथा अन्य द्विपक्षीय एजेंसियों के साथ बातचीत करना. इंसिडेंट कमांडर एवं डीडीएमसी के अध्यक्ष द्वारा दी गई किसी अन्य जिम्मेवारी पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार कार्य करना.

4.4 जिला कार्य समूह

जिला आपदा प्रबंधन समिति जिले में आपदा प्रबंधन क्रियाकलाप करने के लिए एक बहु-विषयी समिति है. इस समिति के मुख्य कार्य आपदा प्रबंधन की योजना, तैयारी तथा शमन से संबंधित हैं. ईडीएमसी के कार्य को सरल बनाने के दृष्टिगत चण्डीगढ़ में निम्नानुसार तीन कार्यकारी समूह बनाए जाएंगे :

क. तैयारी एवं शमन कार्य समूह
ख. राहत एवं पुनर्वास के लिए कार्य समूह
ग. जिला योजना समीक्षा एवं उसे अद्यतन बनाने के लिए कार्य समूह

तैयारी एवं शमन कार्य समूह जिले में समस्त आपदा प्रबंधन तैयारी एवं शमन क्रियाकलापों के लिए जिम्मेवार होगा. यह समूह जिले में आपदा की स्थिति में की जाने वाली तैयारी के संबंध में निर्देश देगा और उसकी समीक्षा करेगा. साथ ही यह लाइन विभागों तथा संगठनों में तैयारी संबंधी क्रियाकलापों में समन्वयन के लिए डीडीएमसी को सहायता प्रदान करेगा. आपदा तैयारी संबंधित मुख्य क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं :

- शहर में वार्डन सेवा का गठन
- प्रस्ताव है कि प्रत्येक सैक्टर में एक चीफ वार्डन तथा 6-7 वार्डनो की टीम गठित की जाएगी. इस संबंध में आवास कल्याण संघ को भी सक्रिय एवं तैयार किया जाएगा.
- जनसाधारण एवं सरकारी विभागों के लिए आयोजित किए जाने वाले जागरूकता कार्यक्रमों की निगरानी की जाएगी.
- कार्य बलों, विभिन्न समितियों तथा लाइन विभागों के स्टाफ के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे एवं उनकी निगरानी की जाएगी.
- शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों आवास कल्याण संघ व संस्थानों में आपदा प्रबंधन की तैयारी में सहायता प्रदान की जाएगी.
- विभिन्न स्तरों पर अभ्यास ड्रिल प्रारंभ की जाएगी तथा उनकी निगरानी की जाएगी.
- आपदा प्रबंधन के लिए नीति बनाए जाने हेतु समर्थन प्रदान किया जाएगा.

चण्डीगढ़ शहर के स्कूल, कॉलेज अस्पताल, सिनेमाघर तथा ऐसे अन्य बड़े संस्थानों, जहां दिन में एक समय पर अथवा विभिन्न समयों पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्र होते हैं, के लिए यह अनिवार्य होगा कि

वे अपने संस्थान में इंसिडेंट कमांडर की मांग के अनुरूप आपदा जागरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू करने अथवा स्वयं अपने स्तर पर कार्य समूह द्वारा निर्देशित आपदा प्रबंधन कार्यक्रम लागू करने में समूह को सहायता उपलब्ध करवाएं.

राहत एवं पुनर्वास के लिए कार्य समूह आपदा की स्थिति में इंसिडेंट कमांडर को सहायता प्रदान करता है. यह समूह आपदा की स्थिति में जिले में राहत एवं बचाव कार्य संबंधित सभी क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार होता है. इस समूह की जिम्मेवारी है कि वह आपदा से पूर्व ही पुनर्वास संबंधित नियम बनाए तथा प्रतिवर्ष इन्हें अद्यतन करें. इस समूह के अन्य कार्य निम्नानुसार हैं :

- आपदा मूल्यांकन, निगरानी, राहत सामग्री वितरण एवं स्थिति की रिपोर्ट तैयार करने के लिए आवश्यक प्रारूप एवं प्रपत्र बनाना तथा उन्हें अद्यतन करना.
- राहत सामग्री एकत्र करने के लिए भंडारण स्थान एवं गोदाम निर्धारित करना.
- पहले से ही पूर्व संपर्क करना.
- राहत सामग्री को ईमानदारी एवं पारदर्शिता से वितरित करना.
- पुनर्वास के लिए कार्य नीति तैयार करना.

इस कार्य समूह के पास इंसिडेंट कमांडर के निर्देश पर आपदा के दौरान अथवा इसके तुरंत बाद राहत सामग्री अथवा अन्य वस्तुएं रखने के लिए स्कूल, कॉलेज अस्पताल, सिनेमाघर, भूमिगत गोदाम अथवा अन्य बड़े संस्थान, जहां समुचित भंडारण सुविधा हो, जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान अपने कब्जे में रखने की सारी शक्तियां होंगी.

जिला योजना समीक्षा एवं उसे अद्यतन बनाने के लिए कार्य समूह

समूह को मौजूदा जिला योजना की वर्ष में दो बार समीक्षा करनी होती है तथा इसमें संशोधनों के लिए सुझाव देने होते हैं. इसी प्रकार, यह सभी लाइन विभागों/संगठनों के योजना दस्तावेजों को देखेगा तथा इसमें संशोधनों के सुझाव देगा, साथ ही यह समुदाय/स्कूल/अस्पताल व आपदा प्रबंधन योजना तैयारी की प्रगति की निगरानी भी करेगा. चण्डीगढ़ शहर के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सिनेमाघर तथा अन्य बड़े संस्थानों, जहां दिन में एक समय में अथवा अलग-अलग समय पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हों, के लिए यह अनिवार्य है कि जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शी नियमों के आधार पर स्वयं अपनी आपदा प्रबंधन योजना तैयार करें और इसकी एक प्रति इस कार्य समूह को उपलब्ध कराएं. साथ ही वे इस समूह द्वारा सुझाए गए संशोधनों को भी कार्यान्वित करेंगे तथा उनके द्वारा बनाए गए योजना दस्तावेज में किए गए परिवर्तनों की सूचना भी इस समूह को देंगे.

4.5 आपातकालीन बचाव केंद्र

चण्डीगढ़ में जिला मुख्यालय में एक अलग आपातकालीन बचाव केंद्र होगा. यह पर्याप्त स्टाफ कर्मियों तथा अत्याधुनिक उपस्करों से सुसज्जित चौबीसों घंटे चलने वाला कार्यालय होगा. जिला आपातकालीन बचाव केंद्र की विशिष्ट जिम्मेवारी को ध्यान में रखते हुए इसे उपलब्ध करवाए गए उपस्करों को आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा. केंद्र की स्थापना का उद्देश्य जिले में आपदा तैयारी, पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण से लेकर आपदा संबंधित अन्य समस्त कार्य करना है. ईओसी में तैनात प्रत्येक आपातकालीन सहायक कार्यबल के लिए बैठने का स्थायी स्थान होगा तथा इन्हें पर्याप्त संख्या में टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे. ईओसी में केवल नोडल ईएसएफ़

बैठेंगे तथा अपनी सहायक एजेंसियों के साथ जिले में आपदा प्रबंधन क्रियाकलापों को समन्वित करेंगे. यहां स्वतंत्र टेलीफोन लाइंस एवं अन्य संप्रेषण सुविधाएं उपलब्ध होंगी.

सामान्य समय में आपातकालीन बचाव केंद्र की भूमिका

चण्डीगढ़ के उपायुक्त को ईओसी के कार्यालय प्रभारी के रूप में प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है. वह ईओसी के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए जिम्मेवार होंगे. सामान्य समय में ईओसी प्रभारी की निम्नलिखित जिम्मेवारियां होंगी :

- सुनिश्चित करना कि ईओसी के सभी उपस्कर कार्य करने की स्थिति में हैं
- आपदा प्रबंधन के लिए लाइन विभागों से नियमित आधार पर आंकड़े एकत्र करना
- आपदा से बचाव की तैयारी एवं शमन क्रियाकलापों के लिए स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना
- जिला आपदा प्रबंधन योजना का उपयुक्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करना
- नियमित अद्यतनन द्वारा डाटा बैंक का रखरखाव
- आपदा चेतावनी प्राप्त होने/आपदा आने पर त्वरित तंत्र को सक्रिय करना

आपदा के दौरान आपातकालीन बचाव केंद्र की भूमिका

पूर्वानुमान एजेंसियों से प्राप्त संदेश के आधार पर जनसामान्य एवं विभागों के लिए चेतावनी जारी की जानी होती है, जो आपातकाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. समय पर सही चेतावनी जारी करना ईओसी की प्रमुख जिम्मेवारी होती है. प्रभावी रूप से चेतावनी प्रसारित करने के लिए ईओसी के पास सुनियोजित संप्रेषण लाइन होनी चाहिए. इस प्रकार की चेतावनी जारी करने के लिए उपायुक्त सक्षम प्राधिकारी होंगे. आपदा के आने पर निम्नलिखित को भी चेतावनी दी जाएगी:

- समस्त आपातकालीन सहायता बल
- डीडीएमसी के सदस्य
- आपदा क्षेत्र/कैट इत्यादि में अस्पताल
- निकटवर्ती जिलों के आपातकालीन बचाव केंद्र
- राष्ट्रीय/राज्य आपातकालीन बचाव केंद्र
- जिले के जनप्रतिनिधि

इसके अतिरिक्त जिला आपातकालीन राहत केंद्रों को बेहतर समन्वयन तथा सहायता प्रदान करने के लिए अपने परिसर में आपातकालीन सहायता कार्यों हेतु डेस्क की व्यवस्था करनी होगी. साथ ही साथ जिला ईओसी की सहायता से साइट पर ईओसी स्थापित करने होंगे. आपदा संबंधी अद्यतन जानकारी के लिए जिला ईओसी एवं साइट पर ईओसी के बीच निरंतर संप्रेषण अनिवार्य है.

4.6 चण्डीगढ़ में इंसिडेंट कमांड सिस्टम

इंसिडेंट कमांड सिस्टम (आईसीएस) देश की आपदा प्रशासनिक प्रक्रिया में हाल ही में प्रारंभ हुआ है. यह एक जांचा-परखा संस्थागत सिस्टम है, जिसका स्पष्ट उद्देश्य समस्त जनशक्ति एवं अन्य संसाधनों का समन्वयन है. एक प्रशासनिक क्षेत्र, जहां विशिष्ट विशेषताओं वाले अनेक लाइन विभाग होते हैं, में इंसिडेंट कमांड सिस्टम जैसी प्रक्रिया अत्यंत उपयोगी है. इस प्रणाली में आपातकालीन स्थिति में उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट अपने जिले के कमांडिंग ऑफिसर होते हैं.

उपायुक्त चण्डीगढ़ के अंतर्गत इंसिडेंट कमांड सिस्टम में एक चीफ एवं सहयोगियों के साथ एक बचाव अनुभाग, एक प्रमुख एवं सहयोगियों के साथ योजना अनुभाग और एक प्रमुख एवं सहयोगियों के साथ

लेखा अनुभाग होगा. सभी टीम लीडर जिले में एडीएम/लाइन विभाग प्रमुख के रैंक के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी होंगे.

इंसिडेंट कमांड सिस्टम का वृक्षारेख

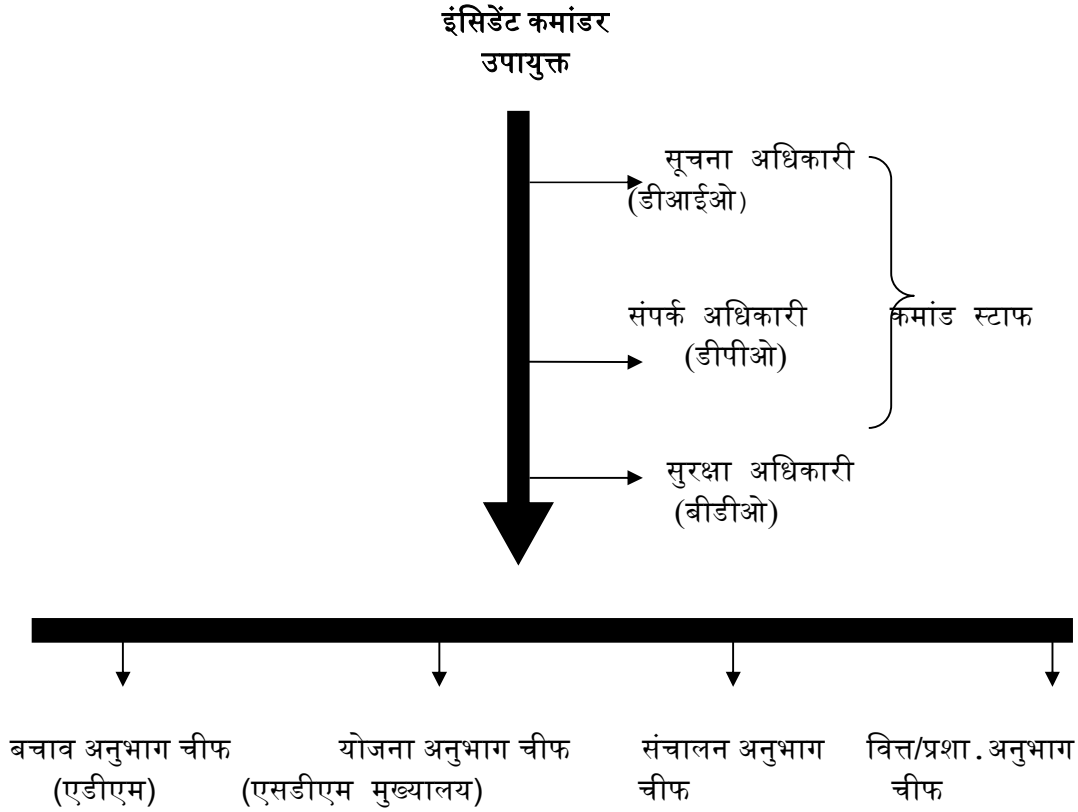

यदि, एक से अधिक जिले में कोई आपदा आती है, तो जिस जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ हो वहां का उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट इंसिडेंट कमांडर के रूप में कार्य करता है. सभी लाइन विभागों/संगठनों/ व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य है कि वह यथास्थिति इंसिडेंट कमांडर के आदेशों का पालन करें. वह जिले में आपदा/संकट का सामना करने के लिए समस्त प्रणालियां एवं संसाधन उस जिले में लगा सकता है.

एसडीएम को इंसिडेंट कमान श्रंखला में किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं सौंपा जाएगा, क्योंकि उन्हें अपने क्षेत्र में ईओसी को देखना होता है अथवा वह प्रत्येक स्थानिक आपातकालीन बचाव केंद्र में घटना प्रबंधन टीम के टीम लीडर के रूप में कार्य करते हैं.

एमसीडी, जिला स्वास्थ्य विभाग जैसे नागरिक निकायों, जिले के सक्षम वरिष्ठ/कनिष्ठ लेखा अधिकारी अथवा किसी नोडल अधिकारी को यह कार्य सौंपा जा सकता है.

अनुभाग चीफ को नियुक्त करने का पूर्ण विवेकाधिकार केवल इंसिडेंट कमांडर को है. इन अनुभाग प्रमुखों को संबंधित उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए आदेश देने के अधिकार एवं अन्य सहायता प्रदान की जाती है.

4.7 मानक प्रचालनात्मक प्रक्रिया

मानक प्रचालनात्मक प्रक्रिया आपदा के समय किए जाने वाले बचाव कार्यों के विवरण एवं निर्देशों का सेट है. इसमें प्रभावक्षमता सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने कि निश्चित प्रक्रिया दी गई है.

जिला नियंत्रण कक्ष का कार्यालय प्रमुख

नागरिक सुरक्षा, चण्डीगढ़ के उपायुक्त-सह-निदेशक, नागरिक सुरक्षा संगठन के नियंत्रक हैं. संघशासित प्रदेश चण्डीगढ़ के उपायुक्त कार्यालय को शहर के आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले समस्त मामलों को देखने की जिम्मेवारी सौंपी गई है. संकट की स्थिति में, उपायुक्त के अनुपस्थित होने पर एडीसी अथवा उस समय ड्यूटी पर होने वाले किसी अन्य अधिकारी को नियंत्रण कक्ष का पूरा कार्यभार दिया जाएगा. नियंत्रक कक्ष के प्रभारी यहां इसके बाद उल्लिखित मानक रचनात्मक प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे और स्थिति के प्रभावी प्रबंधन के लिए कलेक्टर की ओर से सभी रिपोर्टों पर हस्ताक्षर करेंगे और एसओपी के प्रत्येक बिंदु पर कार्य करेंगे :

1. **अधिकारियों को बुलाएंगे** तथा सुनिश्चित करेंगे कि वह स्थिति सामान्य होने तक मुख्यालय में ही रहें.
2. समय-समय पर घटनाओं का विवरण क्रमानुसार रिकॉर्ड करेंगे तथा **उसकी लॉग बुक बनाएंगे**.
3. **भोजन एवं किरोसीन**

क) मंडल मुख्यालय में भंडारण एजेंटों एवं अन्य दुर्गम क्षेत्रों में भोजन एवं केरोसिन की उपलब्धता की जांच करेंगे. जिला खाद्य एवं आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलों के अधिकारी (डीएफ़एसओ) सभी भंडारण एजेंटों से संपर्क करेंगे. वह व्यक्तिगत तौर पर गोदामों का दौरा करेंगे और भंडार की जांच करेंगे. एजेंट भंडार-गृहों में चौबीसों घंटे उपस्थित रहेंगे. डीएफ़एसओ भंडारण गोदाम के स्थान पर एक अधिकारी को तत्काल तैनात करेंगे. डीएफ़एसओ को अल्प सूचना पर सूखे खाद्य एवं अनिवार्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए तैयार रहने हेतु सूचित किया जाना चाहिए.

ख) निजी स्टॉकिस्ट/थोक विक्रेताओं तथा भारतीय खाद्य निगम को स्थिति सामान्य होने तक रविवार एवं अन्य अवकाशों सहित सभी दिन कार्य करने के लिए निर्देशित करना.

ग) वाहनों की तैनाती के लिए परिवहन निदेशक को आग्रह करना.

घ) प्रभावित क्षेत्रों में डीएफ़एसओ की सहायता से खाद्य सामग्री एवं केरोसिन तेल पहुंचाना.

4. रेत की बोरियों की उपलब्धता जांच

अभियांत्रिकी विभाग	रेत की बोरियां

5. स्वास्थ्य क्षेत्र - निम्नलिखित का तात्कालिक आधार पर मूल्यांकन करना :

क) दवाइयों, ब्लीचिंग पाउडर एवं हैलोजन लाइट के भंडार की जांच करना और आवश्यक होने पर सीडीएमओ को इसके लिए तत्काल मांग पत्र भेजना.

ख) पीएचसी/सीएचसी को दवाइयां, ब्लीचिंग पाउडर इत्यादि भेजना प्रारंभ करना.

ग) डीएचएस, पुलिस स्टेशन, खंड एवं तहसीलदारों के माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि चिकित्सा अधिकारी पीएचसी एवं सीएचसी में अपने स्थान पर हैं.

घ) डीएचएस शिविरों के स्थान का निर्धारण करेंगे.

च) सभी सीडीपीओ, पीएचसी/सीएचसी के चिकित्सा अधिकारियों के साथ अपने वाहनों एवं पर्यवेक्षकों सहित तैयार रहेंगे.

6. वाहन : आवश्यकता अनुसार वाहनों की तत्काल मांग.

7. क्षेत्रीय अधिकारियों को वाहन की मांग करने का अधिकार प्रदान करना. तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी तथा पुलिस स्टेशन को 10-10 मांग पत्र भेजना.

8. नौकाएं : जिले में नौकाओं की मांग करना.

9. चावल, चूड़ा तथा अन्य जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए संघशासित प्रदेश चण्डीगढ़ के डीएफ़एसओ को तैयार रहने के लिए निर्देशित करना.

10. संकट की गंभीरता को देखते हुए शैक्षिक संस्थानों को बंद करवाना.

11. पशुओं हेतु उपाय : पशुओं के लिए चारे की तत्काल व्यवस्था करना. पशुपालन विभाग जरूरी टीकों तथा चारे की उपलब्धता का मूल्यांकन करेगा.

12. हवाई जहाज से सामान गिराए जाने वाले स्थानों की सूची तैयार करना.

13. प्रत्येक कनिष्ठ अभियंता कुल्हाड़ी एवं आरियों से लैस कम से कम 20 व्यक्तियों का एक दल तैयार करेगा. उनके पास एक चेनपुली सिस्टम भी तैयार होगा.

14. प्रशिक्षित चालक सहित सड़क साफ करने वाले वाहन एवं मोबाइल आरी की आपूर्ति.

15. बचाव कार्यों और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना/पुलिस कर्मियों की तैनाती.

16. विगत में प्रभावी रूप से कार्य करने वाले अधिकारियों की सेवाएं प्राप्त करना तथा तत्स्थानिक निर्णय लेने के लिए उन्हें समस्त शक्तियां प्रदान करते हुए क्षेत्र आवंटित करना.

17. प्रभावित क्षेत्र के विभिन्न स्थानों तथा जिला मुख्यालय में स्टॉक में उपलब्ध बचाव सामग्री का व्यापक मूल्यांकन करना.

18. कार्यों का व्यवहारिक संवितरण : कार्यकारी तौर पर निम्नलिखित कार्य संवितरित किए जाएंगे. प्रत्येक टीम के पास स्टाफ एवं संसाधन होंगे. टीम प्रमुख के पास व्यक्तिगत निर्णय लेने के समस्त अधिकार होंगे :

18.1 परिवहन टीम.
18.2 सामग्री एवं भंडार टीम.
18.3 वित्त टीम.
18.4 सूचना एवं कार्यालय दस्तावेज टीम.
18.5 खाद्य एवं अन्य राहत सामग्री टीम.
18.6 सिविल सोसाइटी एवं अंतरराष्ट्रीय संगठन समन्वयक टीम.
18.7 संपर्क टीम.

19. सिविल सोसाइटी संगठन : सिविल सोसाइटी संगठनों के संपर्क में रहना. उन्हें कार्यक्षेत्र प्रदान करना तथा क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से मिलाना. उन्हें स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की सूची तैयार करने के लिए कहना. उनके संसाधनों की त्वरित सूची तैयार करना. यूनिसेफ, यूएनडीपी, डबल्यूएफ़पी, केयर, ओएक्सएफ़एएम तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से संपर्क. विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त जिले की आवश्यकता एवं अपेक्षाओं का त्वरित मूल्यांकन करना.

20. प्रेस ब्रीफिंग : आपदा प्रबंधन में प्रेस ब्रीफिंग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है. आपदा की स्थिति में प्रतिदिन 4:30 बजे प्रेस ब्रीफ जारी की जाएगी और इसके लिए निम्नलिखित फॉर्मेट उपयोग में लाया जाएगा:

संघशासित प्रदेश चण्डीगढ़ प्रेस नोट संख्या	**दिनांक**

		कुल	प्रभावित	टिप्पणियां
1.	खंड/कस्बे			
2.	गांव			
3.	जनसंख्या			
4.	अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र			
5.	बचाव उपाय			
	तैनात की गई नौकाएं			
	आर्मी/ नेवी/ कोस्ट गार्ड			
	पुलिस/ फायर ब्रिगेड			
	अन्य एजेंसियों			
	अनुकरणीय घटनाएं			
6.	राहत उपाय	मात्रा/लाभार्थी	कवर किया गया क्षेत्र	कवर किए गए दिन
	निशुल्क किचन			
	चावल			
	चूड़ा			
	अन्य सूखा खाना			
	केरोसिन तेल			
	पॉलिथीन शीट			
	टेंट			
	पशु चारा			
	हैलोजन लाइट			
	दवाएं			
7	जनहानि			
8.	गुमशुदा रिपोर्ट			
9.	पशुओं की मृत्यु			
10.	सिविल सोसाइटी संगठन			
11.	संपत्ति नुकसान	संख्या	अनुमानित मूल्य	
	i. सड़कें			
	ii. तटबंध में दरारें			
	iii. स्कूल			
	iv. अन्य सार्वजनिक भवन			
	v. घरों को क्षति			
	vi. विद्युत अधिष्ठापन			
	vii. अन्य			
12.	आगामी 24 घंटों में संभावनाएं			
13.	लोगों के लिए संदेश			
14.	अन्य विवरण			

21. लोगों को दिया जाने वाला संदेश विशिष्ट होना चाहिए. इसमें चेतावनी के अतिरिक्त निम्नलिखित की भी सूचना दी जानी चाहिए:
    21.1 सतर्क रहें.
    21.2 निकटतम भवन/शेल्टर/ स्कूल एवं इस प्रकार के अन्य स्थानों में शरण लें.
    21.3 पशुओं को खुले में बांधे/खुला छोड़ दें.
    21.4 पर्याप्त मात्रा में सूखा खाना रखें.

22. भारतीय मौसम विभाग एवं गृह सचिव आदि से नियमित अंतराल पर नियमित संपर्क रखें.
23. कम से कम 3 दिन के लिए निशुल्क किचन प्रारंभ करने हेतु स्थान निर्धारित करने के लिए लिखित आदेश जारी किए जाएंगे.
24. इंटरनेट एवं अन्य वेबसाइट देखें.
25. जिले के मानचित्रों की अतिरिक्त प्रतियां अपने पास रखें. सभी उप प्रभावों के क्षेत्राधिकार नक्शे पर्याप्त संख्या में तैयार रखे जाएंगे.
26. आपदा प्रबंधन में लगे समस्त नोडल अधिकारियों एवं अन्य कर्मियों के लिए अस्थाई वीएचएफ की आपूर्ति हेतु SSP/ महाप्रबंधक टेलीकॉम को मांग पत्र भेजें.
27. समस्त विश्राम शब्दों का अधिग्रहण.
28. सेना/ पुलिस बालों के लिए स्कूल/ कॉलेज भवनों का अधिग्रहण.
29. समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को जनरेटर किराए पर लेने और उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में तेल रखने के लिए निर्देशित करना.
30. पुलिस स्टेशनों को निर्देश देना कि वे वीएचएफ हेतु अतिरिक्त बैटरियां तैयार रखें.
31. आपातकालीन स्थिति बनते ही तुरंत संबंधित तैयारियां करने के बाद, महत्वपूर्ण सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों के साथ बैठक करें.
32. जिला नियंत्रण कक्ष में अबाधित रूप से कार्य करने और राहत एवं बचाव कार्यों के तुरंत कार्यान्वन के लिए महत्वपूर्ण अधिकारियों का ड्यूटी रोस्टर बनाएं.

"इन" संदेश रजिस्टर के लिए प्रपत्र

क्र. सं.	तिथि	प्राप्ति का समय	इन संदेश क्र.सं.	किससे प्राप्त	जिसे संबोधित	जिसे संदेश भेजा	जिसे प्रति भेजी	माध्यम (वायर्लेस/ टेलीफ़ोन/ संदेश)	निर्देश/आगामी कारवाई
01.									
02.									
03.									

"आउट" संदेश रजिस्टर के लिए प्रपत्र

क्र.सं.	तिथि	प्रेषण का समय	आउट संदेश क्र.सं..	इन संदेश सं., यदि हो	जिससे प्राप्त	जिससे प्रेषित	जिसे प्रति भेजी	माध्यम (वायर्लेस /टेलीफ़ोन /संदेश)	निर्देश/आगामी कारवाई
01.									
02.									
03.									
04.									

4.8 त्वरित प्रतिक्रिया विधि एक आपातकालीन त्वरित कार्य प्रक्रिया है, जो बिना समय नष्ट किए प्रतिक्रिया एवं राहत हेतु समस्त आपदा प्रबंधन क्रियाकलापों को तत्काल सक्रिय करती है. इससे समस्त भागीदार प्रबंधकों को उन्हें सोपे गए कार्य एवं प्रतिक्रिया की विधि की पहले ही जानकारी प्राप्त हो जाती है.

त्वरित क्रियाविधि को एक तैयारी कार्य योजना के रूप में बनाया गया है, जिसके द्वारा प्रत्याशित आपदा का सिग्नल प्राप्त होते ही अथवा अचानक कोई संकट आने पर समस्त प्रतिक्रिया एवं शमन तंत्र बिना महत्वपूर्ण समय नष्ट किए एक साथ क्रियाशील एवं सक्रिय हो जाता है. इससे भागीदार प्रबंधकों को उन्हें सोपे गए कार्यों और और उन पर कार्य करने के तरीके के बारे में पहले ही अनिवार्य रूप से पता चल जाता है. त्वरित क्रियाविधि के सफल कार्यान्वयन के लिए उपलब्ध संसाधनों, जनशक्ति, सामग्री एवं उपकरणों की पहचान तथा वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियों का समुचित प्रत्यायोजन पूर्व अपेक्षाएं हैं.

त्वरित क्रियाविधि मूलरूप से मानक बचाव प्रक्रिया है, जो आने वाली आपदा की चेतावनी प्राप्त होने पर अथवा चेतावनी रहित आपदाओं के आने पर तत्काल कार्य करने के लिए वैज्ञानिक एवं विस्तृत कार्यान्वयन योजना निर्धारित करती है. आपदा आने पर स्थान खाली कराना, खोज एवं बचाव, अस्थायी शेल्टर, खाना, पीने का पानी, कपड़े, दवाएं एवं साफ-सफाई, संप्रेषण, पहुंच तथा जन-सूचना आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक हैं, जो त्वरित क्रियाविधि के सक्रिय होने पर प्रारंभ होते हैं. ये क्रियाकलाप सभी प्रकार की आपदाओं में समान होते हैं और इसमें प्रत्येक विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को उक्त कार्य योजनाएं तैयार करनी आवश्यक होंगी.

त्वरित प्रतिक्रिया-विधि

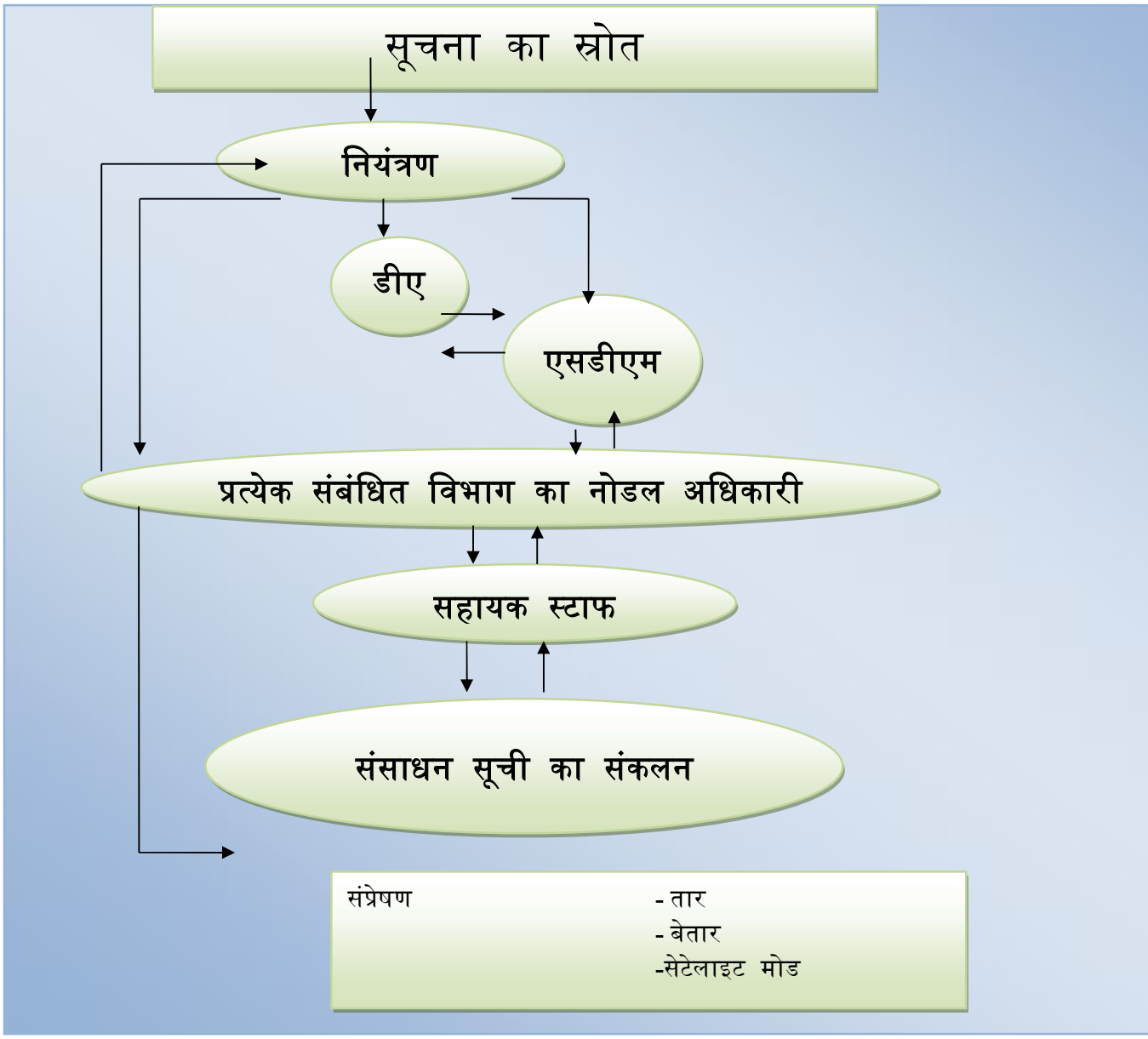

4.9 आपातकालीन सहायक कार्य (ईसीएफ़)

ईसीएफ़ 1. संप्रेषण

पृष्ठभूमि : संप्रेषण ईसीएफ़ मुख्यता संप्रेषण सुविधाओं को बहाल करने के लिए जिम्मेवार होता है. संप्रेषण पर ईसीएफ़ प्रतिक्रिया प्रयासों में राज्य स्तर पर समयबद्ध तरीके से दूरस्थ स्थानों पर आसानी से सूचना भेजा जाना सुनिश्चित करता है.

स्थिति अनुमान

1. आपदा की स्थिति में समाज में उत्पन्न होने वाले भय के कारण नियंत्रण कक्ष में फोनकालों की अधिकता के कारण नेटवर्क बाधित हो सकता है.
2. नुकसान संबंधी प्रारंभिक रिपोर्टों में संप्रेषण नेटवर्क को हुए नुकसान का सही विवरण प्राप्त नहीं हो पाता.
3. प्रभावित क्षेत्र का राज्य नियंत्रण कक्ष से संपर्क कट सकता है और प्रभावित क्षेत्र के अधिकारियों को जिला/राज्य ईओसी से बातचीत करने में कठिनाई हो सकती है.

नोडल एजेंसी : बीएसएनएल
सहायक एजेंसी : एनआईसी, पुलिस/राजस्व वायरलेस/एचएएम प्रतिनिधि, एवं निजी टेलीकॉम/ मोबाइल ऑपरेटर

नोडल एजेंसी के लिए एसओपी

- संप्रेषण ईएसएफ़ के टीम लीडर जिला ईओसी से आपदा आने की सूचना प्राप्त होने पर ईएसएफ़ को सक्रिय करेंगे.
- टीम लीडर सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को घटना एवं ईएसएफ़ सक्रिय करने के बारे में सूचना प्रदान करेंगे.
- टीम लीडर प्रथम सूचना रिपोर्ट के लिए जिला ईओसी से संपर्क स्थापित करेंगे.
- टीम लीडर स्थिति एवं की गई कार्रवाई को समझने के लिए स्थानीय ईएसएफ़ संपर्क व्यक्तियों (यह ईएसएफ़ नोडल एजेंसी का स्थानीय कार्यालय होगा) से रिपोर्ट हेतु आग्रह करेंगे.
- सहायक एजेंसियों द्वारा दी गई सूचना के आधार पर टीम लीडर टेलीकॉम सेवाओं एवं नेटवर्क को हुए नुकसान को आकलित करने तथा विश्वसनीय एवं उपयुक्त नेटवर्क स्थापित करने के लिए संभव व्यवस्थाओं हेतु मूल्यांकन मिशन प्रारंभ करने की आवश्यकता पर निर्णय लेंगे.
- टीम लीडर सहायक एजेंसियों को स्थिति की सूचना देंगे तथा उनसे आग्रह करेंगे कि वह प्रभावित क्षेत्रों में उपकरणों एवं अवसंरचना की स्थिति के बारे में विस्तृत सूचना उपलब्ध करवाएं.
- टीम लीडर टेलीकॉम सेवाओं की स्थिति के बारे में इंसिडेंट कमांडर को सूचित करेगा.
- टीम लीडर निजी टेलीकॉम कंपनियों के लिए कार्यवाही की योजना बनाता है और कार्य योजना पर विचार एवं अंतिम निर्णय लेने के लिए समस्त ईएसएफ़ सदस्यों के साथ बैठक करता है.
- टीम लीडर सिस्टम स्थापित करने के लिए आदेश जारी करता है तथा इस पर की गई कारवाई के बारे में जिला ईओसी को रिपोर्ट भेजता है. नए फोन नंबर एवं संपर्क व्यक्तियों का विवरण भी प्रदान किया जाता है.

- टीम लीडर जनता के लिए अस्थायी टेलीफोन सुविधाएं स्थापित करता है. इस संबंध में मीडिया के माध्यम से पूर्व सूचना प्रदान की जाएगी.
- एचएएम रेडियो संचालकों को वर्तमान जरूरतों एवं सांझा किए जाने वाले समन्वयक तंत्र के बारे में सूचित किया जाएगा.
- टीम लीडर स्थिति पर नजर रखता है तथा स्थापित सिस्टम चलाने के लिए आपातकालीन स्टाफ का प्रबंध भी करता है.
- टीम लीडर प्रभावित क्षेत्र में अपेक्षित उपकरणों एवं अन्य संसाधनों के साथ जिला त्वरित प्रक्रिया दल भेजता है.

संप्रेषण पर त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) के लिए एसओपी

- क्यूआरटी के सदस्य टीम लीडर से निर्देश प्राप्त होते ही यथाशीघ्र नोडल कार्यालय पहुंचेंगे.
- नोडल अधिकारी से आपदा क्षेत्र में पहुंचने की सूचना प्राप्त होते ही क्यूआरटी उस स्थान पर तत्काल प्रस्थान करेंगे.
- आपातकालीन क्षेत्र में क्यूआरटी सदस्य आईसीसी स्थिति का जायजा लेंगे और उनके समकक्षों के बारे में भी जानकारी लेंगे.
- क्यूआरटी वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करेगी और जिला ईएसएफ़ एजेंसी को क्षेत्रवार रिपोर्ट भेजेगी. क्षेत्रवार रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल होंगे :
    - संपूर्ण नुकसान का मूल्यांकन, विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध
    - सतही मार्ग को हुआ नुकसान (मील/किलोमीटर में)
    - तार को हुआ नुकसान (यार्ड/ मीटर में)
    - विशिष्ट उपकरणों को हुई क्षति
    - जनसाधारण के उपयोग के लिए अस्थायी संप्रेषण सुविधा की स्थापना
    - जनशक्ति, वाहनों, अन्य सामग्री तथा उपकरणों की जरूरतों का पता लगाना तथा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में संप्रेषण प्रणाली की मरम्मत कर उसे सामान्य बनाना.
    - दिहाड़ीदार मजदूरों की सहायता से सड़कों से क्षतिग्रस्त तारों व खंबों को हटाकर नवीनीकरण कार्य प्रारंभ करना.
    - उपकरणों एवं नुकसान से बची सामग्री के लिए सुरक्षित भंडारण क्षेत्र स्थापित करने हेतु अस्थायी भवनों की मरम्मत करना.
    - मुख्य कार्यालय को सभी क्रियाकलापों के बारे में सूचित करना.
    - राहत कार्यों हेतु आने वाले उपकरणों एवं बची हुई सामग्री के लिए सुरक्षित भंडारण क्षेत्र स्थापित करना.

ईएसएफ़ 2. प्रभावित क्षेत्र खाली कराना

पृष्ठभूमि : प्रभावित क्षेत्र को खाली कराने से संबंधित ईएसएफ़ प्राथमिक रूप से रिक्तीकरण योजनाएं बनाने, तीव्रतम रिक्तीकरण मार्गो एवं वैकल्पिक मार्ग की पहचान करने तथा क्षेत्रीय बचाव कार्यों के दौरान रिक्तीकरण सुविधाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है.

स्थिति अनुमान

- अधिकांश भवन क्षतिग्रस्त हो जाएंगे और उनकी मरम्मत नहीं की जा सकेगी.
- अनेक संरचनाएं क्षतिग्रस्त हो जाएंगी तथा उन्हें तत्काल खाली कराए जाने की आवश्यकता होगी.

नोडल एजेंसी : नगर निगम

सहायक एजेंसी: पुलिस, सिविल डिफेंस, एनसीसी, सेना

नोडल एजेंसी के लिए एसओपी

- रिक्तीकरण ईएसएफ़ के टीम लीडर जिला ईओसी से आपदा की चेतावनी प्राप्त होने पर ईएसएफ़ को सक्रिय करेंगे
- टीम लीडर सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को घटना एवं ईएसएफ़ सक्रिय किए जाने के बारे में जानकारी देंगे.
- टीम लीडर प्रभावित क्षेत्र में तैनात की जाने वाली क्यूआरटी को निर्देश देंगे.
- टीम लीडर पूर्व निर्धारित रिक्तीकरण मार्गो की उपलब्धता के बारे में सूचना एकत्र करेंगे.
- जहां पर पूर्व निर्धारित रिक्तीकरण मार्ग उपलब्ध नहीं है, वहां नोडल अधिकारी जिला ईओसी के माध्यम से अन्य ईएसएफ़ नोडल अधिकारियों और सहायक एजेंसियों के साथ मार्ग निर्धारित करने व वैकल्पिक मार्ग तलाशने के लिए समन्वय करेंगे.

प्रभावित क्षेत्र खाली कराए जाने पर त्वरित प्रतिक्रिया टीम के लिए एसओपी

- टीम लीडर से नोडल कार्यालय पहुंचने के निर्देश प्राप्त होते ही क्यूआरटी सदस्य यथाशीघ्र वहां पहुंचेंगे.
- नोडल अधिकारी से आपदा क्षेत्र में पहुंचने की सूचना प्राप्त होते ही क्यूआरटी सदस्य उस स्थान पर तत्काल प्रस्थान करेंगे.
- आपातकालीन क्षेत्र में क्यूआरटी सदस्य इंसिडेंट मैनेजमेंट टीम से स्थिति का जायजा लेंगे और उनके समकक्षों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे.
- त्वरित प्रतिक्रिया टीम स्थानीय कार्यबलों की सहायता से लोगों को बाहर निकालेगी तथा सुरक्षित शरणगृहों अथवा खुले स्थानों पर ले जाएगी.
- क्यूआरटी सदस्य आपदा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को बाहर निकालने के कार्य पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे.
- समस्त क्रियाकलापों की रिपोर्ट मुख्य कार्यालय भेजी जाएगी.

ईएसएफ़ 3. खोज एवं बचाव

पृष्ठभूमि : खोज एवं बचाव कार्य आपदा आने के बाद किए जाने वाले प्रारंभिक क्रियाकलापों में से हैं. इन कार्यों में तत्परता से जान एवं माल की बड़ी हानि को बचाया जा सकता है.

स्थिति अनुमान

- सामाजिक कार्यबल आवासीय क्षेत्रों में खोज एवं बचाव कार्य प्रारंभ कर देंगे.
- स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय की आवश्यकता पड़ेगी.
- प्रभावित क्षेत्रों में आवागमन बहुत सीमित होगा.

नोडल एजेंसी : अग्निशमन सेवाएं
सहायक एजेंसी: पुलिस, सिविल डिफेंस, एनसीसी, सेना एवं स्वास्थ्य प्रतिनिधि

नोडल एजेंसी के लिए एसओपी

- आईसी प्रारंभिक एजेंसी के टीम लीडर को बुलाएंगे तथा ईएसएफ़ को सक्रिय करवाएंगे.
- प्रारंभिक एजेंसी के टीम लीडर सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को बुलाएंगे.

- टीम लीडर जिला त्वरित प्रतिक्रिया दिल को सक्रिय करेंगे.
- हवाई सर्वेक्षण से खोज एवं बचाव कार्यों का त्वरित मूल्यांकन.
- विशिष्ट कौशल तथा अन्य अपेक्षित उपकरणों का मूल्यांकन.
- आपदा प्रभावित क्षेत्र में तथा इसके आसपास संसाधनों की उपलब्धता का पता लगाने और उसका खाका तैयार करने के लिए आईडीआरएन नेटवर्क का उपयोग.

खोज एवं बचाव पर त्वरित प्रतिक्रिया दल के लिए एसओपी

- क्षति मूल्यांकन (क्षतिग्रस्त संरचनाओं की संख्या एवं स्थान, क्षति की सीमा)
- प्रभावित क्षेत्रों में क्यूआरटी तैनात की जाएंगी.
- खोज एवं बचाव कार्यों के लिए अपेक्षित उपकरणों की सूची तैयार करना.
- क्यूआरटी स्थिति और प्रतिक्रिया क्रियाकलापों की रिपोर्ट संबंधित ईओसी को भेजेंगे.

ईएसएफ़ 4 : कानून व्यवस्था

पृष्ठभूमि : यह ईएसएफ़ कानून व्यवस्था बनाए रखता है तथा संपत्ति एवं मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा करता है. यह मुख्यता भीड़ को नियंत्रित करने और दंगे की स्थिति को रोकने के लिए उत्तरदायी है.

स्थिति अनुमान

- भय का वातावरण बनेगा और लोग एक स्थान पर एकत्रित हो जाएंगे.
- भीड़ अनियंत्रित हो सकती है.
- दंगे भी हो सकते हैं.

नोडल एजेंसी : चण्डीगढ़ पुलिस
सहायक एजेंसी : होमगार्ड, सिविल डिफेंस, सेना, ग्रह प्रतिनिधि

नोडल एजेंसी के लिए एसओपी

- आईसी प्रारंभिक एजेंसी के टीम लीडर को बुलाएंगे तथा ईएसएफ़ को सक्रिय करवाएंगे.
- प्रारंभिक एजेंसी के टीम लीडर सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को बुलाएंगे.
- टीम लीडर जिला त्वरित प्रतिक्रिया दिल को सक्रिय करेंगे.
- प्रभावित क्षेत्रों में क्यूआरटी तैनात की जाएंगी.
- तमाशबीन, वाहनों एवं पैदल यात्रियों के आवागमन को रोकने के लिए क्षेत्र की घेराबंदी की जाएगी.
- क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अतिरिक्त आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा.

कानून एवं व्यवस्था पर त्वरित प्रतिक्रिया दल के लिए एसओपी

- प्रभावित क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति का त्वरित मूल्यांकन.
- स्थानीय प्रशासन की सहायता एवं समन्वय.
- आपदा की स्थिति में प्रत्येक 4-6 घंटे में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की रिपोर्ट तैयार करने तथा प्राधिकारियों को इस बाबत सूचित करना.
- दंगे एवं लूटपाट जैसी स्थितियों पर नियंत्रण तथा संवेदनशील क्षेत्रों की घेराबंदी.
- क्यूआरटी प्रभावित क्षेत्रों में संपत्ति एवं मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षित रखेंगे.
- यातायात की निगरानी एवं नियंत्रण.

- क्यूआरटी आवश्यकता पड़ने पर यातायात के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध करवाएंगे.
- क्यूआरटी विभिन्न कॉरिडोर, विशेषत: ज्यादा ट्रैफिक अथवा भीड़ वाले मार्गो में यातायात के बारे में सूचना भी उपलब्ध करवाएगी.
- क्यूआरटी स्टाफ एवं संसाधनों की तैनाती एवं सुदृढ़ीकरण सहित क्षेत्रीय क्रियाकलापों के बारे में पुलिस नियंत्रण कक्षा को सूचना देगी तथा अन्य अतिरिक्त जरूरतों के बारे में भी बताएगी.

ईएसएफ़ 5. चिकित्सा सहायता एवं आघात परामर्श

पृष्ठभूमि : चिकित्सा सहायता एवं आघात परामर्श पर ईएसएफ़ आपदा आने के तत्काल बाद जख्मी लोगों के लिए आपातकालीन उपचार उपलब्ध करवाएगी.

स्थिति अनुमान

- प्रभावित व्यक्तियों के लिए आपातकालीन चिकित्सा सेवा अपेक्षित होगी.
- आपदा के उपरांत महामारी होने का खतरा होगा.
- अस्पताल की सेवाएं प्रभावित होंगी.

नोडल एजेंसी : स्वास्थ्य विभाग

सहायक एजेंसी : डीएचएस, भारतीय रेडक्रॉस, सिविल डिफेंस, एनएसएस

नोडल एजेंसी के लिए एसओपी :

- आईसी प्रारंभिक एजेंसी के टीम लीडर को बुलाएंगे तथा ईएसएफ़ को सक्रिय करवाएंगे.
- प्रारंभिक एजेंसी के टीम लीडर सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को बुलाएंगे.
- परिवहन ईएसएफ़ के समन्वय में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अन्य जिलों के विशेषज्ञों सहित बड़ी संख्या में चिकित्सा अधिकारी आपदा स्थल पर पहुंचे.
- यदि प्रभावित लोगों के लिए अस्थाई आवास की व्यवस्था की जाए, तो ईएसएफ़ को यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां बहुत अच्छी सफाई व्यवस्था रखी जाए, जिससे कि महामारी को रोका जा सके.
- आपदा प्रभावित स्थल तथा आपदा ग्रसित लोगों हेतु स्थापित स्वास्थ्य केंद्रों में समस्त जरूरी चिकित्सा सुविधाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना.
- भूकंप जैसी आपदाओं में यदि हड्डियों संबंधित स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता हो तत्काल सहायता उपलब्ध करवाई जाए और रोगियों को उनके घर/घर के निकट ही बाद में दिया जाना उपचार भी उपलब्ध करवाया जाए.
- मनोवैज्ञानिक सहायता से प्रशिक्षित चिकित्सकों को चिकित्सा प्रदान करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए.
- हेल्पलाइन एवं चेतावनी प्रसार प्रणाली के माध्यम से ईएसएफ़ की सहायता के साथ अस्पतालों में अस्थाई सूचना केंद्र स्थापित किया जाना सुनिश्चित करना.
- टीएल चिकित्सा एवं स्वच्छता स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सीधे राज्य स्तरीय सहायता बलों से समन्वय करेगा.
- ईओसी की संस्तुति पर टीएल निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी होगा :
    - अपेक्षित दवाओं, टीकों, औषधियों, प्लास्टर, सिरिंज आदि भेजना.
    - रक्त आपूर्ति का प्रबंध रखना. खाद्य सामग्री, बिस्तर एवं टेंट इत्यादि के साथ अतिरिक्त चिकित्सा कर्मियों को भेजना.
    - वाहन एवं कोई भी अन्य अतिरिक्त चिकित्सा उपस्कर भेजना.

चिकित्सा सहायता एवं आघात परामर्श पर क्यूआरटी के लिए एसओपी

- क्यूआरटी आपात स्थिति एवं इस संबंध में टीम द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट संबंधित ईओसी को उपलब्ध करवाएगी.
- क्यूआरटी चोट के प्रकार, प्रभावित लोगों की संख्या एवं अपेक्षित चिकित्सा सहायता का मूल्यांकन करेगी.
- क्यूआरटी प्रभावितों की निम्नलिखित जरूरतों को समय पर पूरा करने के लिए कार्य करेगी:
  - आपदा स्थल पर चिकित्सा सुविधा एवं उपचार केंद्र स्थापित करना.
  - जिला सिविल सर्जन द्वारा मांगी गई चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध करवाना.
  - प्रक्रियाओं को स्पष्ट करना.
  - आस-पास के अस्पताल.
  - निजी अस्पताल.
  - ब्लड बैंक
  - सरकारी अस्पताल एवं
  - अस्थाई शिविरों, राहत केंद्रों एवं प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थापना.

क्यूआरटी खतरे के समय अथवा महामारी होने पर प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक रेलवे जंक्शन, एसटी डिपो और समस्त प्रवेश एवं निकास स्थानों पर चौकियां स्थापित करेगी और निगरानी रखेगी.

ईएसएफ़ 6. जल आपूर्ति

पृष्ठभूमि : पेयजल एवं जल आपूर्ति के लिए ईएसएफ़ स्वच्छ पेयजल एवं अन्य कार्यों के लिए पानी की आधारभूत मात्रा को इस प्रकार से उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करेगा कि पानी के संदूषण से रोग न फैल पाएं.

स्थिति अनुमान

- मौजूदा जल भंडारण निकाय क्षतिग्रस्त हो जाएंगे और उपयोग के योग्य नहीं रहेंगे.
- बचाव कार्यों में रोगियों के लिए पानी की तुरंत जरूरत होगी.
- सैनिटेशन प्रणाली अव्यवस्थित हो जाएगी.
- सीवरेज के अपप्रवाह अथवा पानी की पाइप लाइन टूटने के कारण जल संदूषण हो जाएगा.

नोडल एजेंसी : नगर निगम

नोडल एजेंसी के लिए एसओपी :

- जल आपूर्ति पर ईएसएफ़ के टीम लीडर जिला ईओसी से आपदा की सूचना प्राप्त होने पर ईएसएफ़ को सक्रिय करेंगे.
- टीम लीडर सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को स्थिति और ईएसएफ़ के सक्रिय होने के संबंध में सूचित करेंगे.
- टीम लीडर महिलाओं, शिशुओं और गर्भवती स्त्रियों की विशेष देखभाल सुनिश्चित करेंगे.
- खाद्य सामग्री, बिस्तर, टेंट सहित अन्य सहायक सहायता भेजा जाना सुनिश्चित करेंगे.
- वाहन एवं अन्य आवश्यक उपस्कर एवं उपकरण भेजेंगे.

जलापूर्ति पर त्वरित प्रतिक्रिया टीम (क्यूआरटी) के लिए एसओपी

- क्यूआरटी यह सुनिश्चित करेगी की प्रभावित क्षेत्रों एवं राहत शिविरों में पेयजल की आपूर्ति बनी रहे.
- क्यूआरटी सुनिश्चित करेगी की अस्थाई सीवरेज लाइन एवं निकासी लाइन को अलग रखा जाए.
- क्यूआरटी स्थिति एवं टीम द्वारा की गई कार्यवाही की प्रगति की रिपोर्ट ईओसी को भेजेगी.
- क्यूआरटी सदस्य अपने टीम लीडर को अन्य अपेक्षित संसाधनों के बारे में सूचित करेंगे.
- आपदा के दौरान जल आपूर्ति प्रणाली को पहुंचे नुकसान की आपातकालीन मरम्मत की जाएगी.
- प्राधिकारियों को पेयजल के उपयुक्त स्रोत निर्धारित करने में सहायता प्रदान करेगी.
- अस्वीकार्य जल स्रोतों को चिन्हित करना और और आवश्यक एहतियात बरतना कि इन स्रोतों से पानी को पीने के लिए प्रयोग में न लाया जाए. इसके लिए या तो इन स्रोतों को सीलबंद कर दिया जाए यहां वहां गार्ड तैनात किए जाएं.
- समस्त अस्थायी शिविरों, खाद्य केंद्रों, राहत केंद्रों, पशु शिविरों एवं प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य जल आपूर्ति बहाल होने तक वैकल्पिक जल आपूर्ति एवं भंडारण सुविधा का प्रबंध किया जाए.
- यह सुनिश्चित करना कि पेयजल आपूर्ति 'पेयजल के लिए मानक' में निर्धारित मानकों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार बहाल की जाए.
- क्षेत्र से बाहर के लोगों के लिए आपातकालीन आवास व्यवस्था की योजना बनाई जाए.
- क्यूआरटी प्रभावित लोगों की आवश्यकताओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करेगी.
- क्यूआरटी राहत शिविरों में अस्थायी सैनिटेशन सुविधाएं स्थापित करेगी.

ईएसएफ़ 7. राहत (खाना एवं शरण शिविर)

पृष्ठभूमि : आपदा की स्थिति में जान एवं माल कि बड़े स्तर पर हानि होने के कारण राहत सामग्री वितरित किए जाने की आवश्यकता होगी. राहत कार्य पर ईएसएफ़ द्वारा आपदा प्रभावित लोगों एवं आपदा प्रबंधक ओर राहत कर्मियों के लिए अस्थायी शरण– शिविर, आपातकालीन खाने की व्यवस्था एवं राहत सामग्री की आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा.

स्थिति अनुमान

- महत्वपूर्ण संसाधनों के कम हो जाने की संभावना.
- संसाधनों की कमी, विशेषत: प्रभावित क्षेत्र के बड़ा होने के कारण, होने पर लोगों को तात्कालीन सहायता उपलब्ध करवाया जाना.

नोडल एजेंसी : खाद्य एवं जन आपूर्ति विभाग

सहायक एजेंसी : राजस्व विभाग, भारतीय रेडक्रॉस, गैर–सरकारी संगठन

नोडल एजेंसी के लिए एसओपी

- टीम लीडर जिला ईओसी से आपदा की सूचना प्राप्त होते ही ईएसएफ़ को सक्रिय करेंगे.
- टीम लीडर सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को घटना एवं ईएसएफ़ सक्रिय होने की जानकारी देंगे.
- टीम लीडर, आईडीआरएन के अंतर्गत पहचान किए गए सभी राज्य एवं जिला स्तरीय आपूर्तिकर्ताओं से समन्वय करेंगे.

- टीम लीडर राहत सामग्री की गुणवत्ता आधारित आपूर्ति श्रृंखला के प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए परिवहन, मलबा एवं सड़क सफाई संबंधी ईएसएफ़ से समन्वय करेंगे.
- अनुपूरक राहत सामग्री की उपलब्धता से संयोजित सहायता सुनिश्चित करेंगे.

राहत कार्यों पर त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) के लिए एसओपी

- क्यूआरटी राहत शिविर स्थल पर रिपोर्ट करेंगे.
- क्यूआरटी प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने एवं उसके प्रबंधन के लिए जिम्मेवार होंगे.
- क्यूआरटी टीम द्वारा की गई कार्यवाही की प्रगति की सूचना ईओसी को देने के लिए उत्तरदायी होंगे.
- क्यूआरटी अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता के बारे में अपने टीम लीडर को सूचित करेंगे.
- राहत शिविर स्थापित करने के लिए स्थान तैयार करेंगे.
- समय बचाने वाली नवीन पद्धतियों का उपयोग करते हुए राहत शिविर एवं टेंट लगाया जाना..
- महत्वपूर्ण दूरभाष एवं अन्य संबंधित सेवाओं को स्थापित करने के लिए स्थानीय प्राधिकारियों की सहायता करना.
- विभिन्न भंडारों में उपलब्ध खाद्य सामग्री को प्राप्त करना तथा प्रभावित लोगों को खाद्य आपूर्ति किया जाना सुनिश्चित करना.
- प्रभावित परिवारों के लिए घर ले जा सकने वाले खाद्य पैकेट तैयार करना.
- प्रभावित क्षेत्र के शिशुओं, महिलाओं, गर्भवती स्त्रियों, बच्चों, वृद्धों एवं दिव्यांग जैसे संवेदनशील लोगों सहित सभी के बीच राहत सामग्री वितरित किया जाना सुनिश्चित करना.
- स्थानीय प्रशासन को सहायता प्रदान करना.
- नुकसान के सर्वेक्षण के आधार पर पर्याप्त संख्या में राहत शिविर स्थापित करना.
- आपदा के उपरांत भी प्रभावित हो सकने वाली संरचनाओं में रहने वाले लोगों के लिए वैकल्पिक आवास व्यवस्थाएं करना.

ईएसएफ़ 8. उपस्कर सहायता, मलबा एवं सड़क क्लियर करना

पृष्ठभूमि : इस ईएसएफ़ के महत्व का पता इस तथ्य से चलता है कि भूकंप, तूफान एवं बाढ़ जैसे बड़े स्तर की आपदाएं मूल रूप से भवन संरचनाओं को प्रभावित करती हैं.

स्थिति अनुमान

- आपदा प्रभावित क्षेत्र में पहुंच थल व जल मार्गों की पुनर्स्थापना पर निर्धारित होगी.
- प्रारंभिक क्षेत्रीय मूल्यांकन अधूरा, अशुद्ध एवं सामान्य होगा. प्रतिक्रिया समय के निर्धारण के लिए त्वरित मूल्यांकन अपेक्षित होगा.
- वर्तमान भवनों के निरीक्षण के लिए बड़े स्तर पर इंजीनियरों एवं राज मिस्त्रियों की आवश्यकता होगी.

नोडल एजेंसी : नगर निगम एवं इंजीनियरिंग विभाग
सहायक एजेंसी : चण्डीगढ़ हाउसिंग बोर्ड
नोडल एजेंसी के लिए एसओपी :

- जिला ईओसी से आपदा की सूचना प्राप्त होते ही टीम लीडर ईएसएफ़ को सक्रिय करेगा.

- टीम लीडर सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को घटना एवं ईएसएफ़ सक्रिय होने की जानकारी देंगे.
- टीम लीडर आईडीआरएन डेटाबेस के माध्यम से गोदामों से उपस्कर प्राप्त करने के लिए सहायक एजेंसी से समन्वय करेगा.
- संबंधित सहायक एजेंसी उपस्करों को केंद्रीय गोदाम में पहुंचाने के लिए अपने संबद्ध कार्मिकों से संपर्क करेगी.
- आवश्यकता के अनुसार चिन्हित किए गए जेसीबी, कंक्रीट कटर जैसे उपस्कर प्रभावित क्षेत्र में भेजे जाएंगे.
- सूचना के आधार पर मलवा एवं सड़क क्लियरेंस के नोडल अधिकारी सड़क को पहुंचे नुकसान का मूल्यांकन करेंगे तथा प्रभावित क्षेत्र एवं आसपास के क्षेत्रों में संरचनाओं का निर्माण करेंगे.
- सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारी मलबा हटाने का कार्य तत्काल प्रारंभ करेंगे, जिससे कि प्रभावित क्षेत्रों तक आसानी से पहुंचा जा सके.
- सभी सहायक एजेंसियां सड़क एवं रेल नेटवर्क तथा आपदा स्थल एवं आसपास के क्षेत्रों की संरचनाओं का निरीक्षण करेंगी.
- टीम लीडर, चिकित्सा कार्यों पर ईएसएफ़ के समन्वय से शवों का पोस्टमार्टम एवं निपटान भी सुनिश्चित करेंगे.

उपस्कर सहायता, मलवा एवं सड़क क्लीयरेंस पर त्वरित प्रतिक्रिया दल के लिए एसओपी :

स्थलों, क्षतिग्रस्त संरचनाओं की संख्या एवं नुकसान की मात्रा सहित क्षति मूल्यांकन.

- क्यूआरटी को प्रभावित स्थलों पर तैनात किया जाएगा
- मलबा हटाने के लिए आईडीआरएन संसाधन सूची में संकलित अपेक्षित उपस्करों को सूचीबद्ध करना.
- टीम लीडर सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को घटना एवं ईएसएफ़ सक्रिय होने की जानकारी देंगे.
- अस्थायी आवासों एवं राहत शिविरों तक पहुंच बनाने और आपदा प्रभावित लोगों के लिए चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु अस्थायी सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ करना.
- एज मेटलिंग, गड्ढे भरने एवं सतह व नींव को हुए नुकसान सहित समस्त पक्की एवं कच्ची सड़कों की अनुरक्षण इंजीनियर के स्टाफ द्वारा मरम्मत एवं उनकी स्थिति की निगरानी.

ईएसएफ़ 9 हेल्पलाइन, चेतावनी प्रसारित करना

पृष्ठभूमि : हेल्पलाइन एवं चेतावनी प्रसार संबंधी ईएसएफ़ को बहुतायत में प्राप्त होने वाली सूचना को व्यवस्थित करना चाहिए और प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों के कल्याण के लिए सूचना प्रसारित करनी चाहिए. हेल्पलाइन तर्कसंगत बचाव कार्य उपलब्ध कराने और समन्वय के लिए जिम्मेवार होगी.

स्थिति अनुमान

घायल व्यक्तियों के संबंध में बहुत अधिक सूचना एवं भ्रम की स्थिति हो सकती है.
प्रभावित क्षेत्र से संबंधित संप्रेषण आंशिक रूप से अधूरा हो सकता है.

नोडल एजेंसी : राजस्व विभाग
सहायक एजेंसी : एनआईसी/एनजीओ
नोडल एजेंसी के लिए एसओपी

- आईसी प्राथमिक एजेंसी के टीम लीडर को बुलाएंगे तथा ईसीएफ़ को सक्रिय करेंगे.
- प्राथमिक एजेंसी के टीम लीडर सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को बुलाएंगे.
- टीम लीडर जिला त्वरित प्रतिक्रिया बल को सक्रिय करेंगे.

- प्रभावित क्षेत्रों में क्यूआरटी तैनात की जाएगी.
- टीम लीडर सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को घटना एवं ईएसएफ़ सक्रिय होने की जानकारी देंगे.
- जिले में आपदा के लिए अद्यतन समाचार भेजना एवं दान अपेक्षाओं की सूचना देना.
- राष्ट्रीय एवं जिला स्तर पर नवीनतम सूचना उपलब्ध कराने के लिए ईओसी को सहायता प्रदान करना.
- आपातकालीन सूचना सहायता के लिए टोल-फ्री नंबर जारी करना.

हेल्पलाइन एवं चेतावनी प्रसार पर त्वरित प्रतिक्रिया दल के लिए एसओपी

- क्यूआरटी सदस्य निर्देश मिलते ही यथाशीघ्र नोडल कार्यालय पहुंचेंगे.
- क्यूआरटी टीम नोडल अधिकारी से निर्देश प्राप्त होने पर तुरंत घटनास्थल पर जाएंगे.
- घटनास्थल पर क्यूआरटी सदस्य आईसी एवं उनके समकक्षों से स्थिति का जायजा लेंगे.
- त्वरित प्रतिक्रिया दल महत्वपूर्ण सूचना एकत्रित, उत्क्रमित, रिपोर्ट एवं प्रदर्शित करने तथा बचाव कार्यों में योजना प्रयासों के लिए सहायता उपलब्ध करवाने में समन्वय का कार्य करेगा.

ईएसएफ़ 10. विद्युत

पृष्ठभूमि : विद्युत संबंधी ईएसएफ़ आपदा के बाद बिजली आपूर्ति की बहाली में सहायता प्रदान करेगा. आपदा की स्थिति में बड़े क्षेत्र में बिजली गुल हो जाएगी और विद्युत स्टेशन क्षतिग्रस्त होंगे.

स्थिति अनुमान

- लंबे समय तक बिजली गुल रहना.
- प्रभावित पीड़ितों में भय उत्पन्न होगा.
- प्रभावित क्षेत्र में समस्त क्रियाकलाप विशेषत: संप्रेषण एवं नेटवर्किंग प्रणाली बाधित होगी.

नोडल एजेंसी : विद्युत विभाग

नोडल एजेंसी के लिए एसओपी

- आईसी प्राथमिक एजेंसी के टीम लीडर को बुलाएंगे तथा पीसीएफ को सक्रिय करेंगे.
- प्राथमिक एजेंसी के टीम लीडर सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को बुलाएंगे.
- टीम लीडर जिला त्वरित प्रतिक्रिया बल को सक्रिय करेंगे.
- प्रभावित क्षेत्रों में क्यूआरटी तैनात की जाएगी.
- टीम लीडर प्रभावित क्षेत्र में औजारों, टेंट एवं खाद्य सामग्री के साथ आपातकालीन मरम्मत टीम भेजेगा.

विद्युत पर त्वरित प्रतिक्रिया दल के लिए एसओपी

- क्यूआरटी सदस्य टीम लीडर से निर्देश मिलते ही यथाशीघ्र नोडल कार्यालय पहुंचेंगे.
- क्यूआरटी टीम नोडल अधिकारी से निर्देश प्राप्त होने पर तुरंत घटनास्थल पर जाएंगे.
- घटनास्थल पर क्यूआरटी सदस्य आईसी एवं उनके समकक्षों से स्थिति का जायजा लेंगे.
- त्वरित प्रतिक्रिया दल महत्वपूर्ण सूचना एकत्रित, उत्क्रमित, रिपोर्ट एवं प्रदर्शित करने तथा बचाव कार्यों में योजना प्रयासों के लिए सहायता उपलब्ध करवाने में समन्वय का कार्य करेगा.
- मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य प्रारंभ करना.
- आवश्यकता पड़ने पर जनरेटर एवं अन्य आपातकालीन उपस्करों से आपातकालीन विद्युत आपूर्ति स्थापित करने में अस्पतालों को सहायता प्रदान करना.
- क्यूआरटीके सदस्य सार्वजनिक एवं निजी जल प्रणालियों के लिए अस्थायी विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करेंगे.

- क्यूआरटी के सदस्य शरण शिविरों, खाद्य केंद्रों, राहत शिविरों जिला नियंत्रण कक्ष एवं वहां तक जाने वाली सड़कों के लिए अस्थायी विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाएंगे.
- क्यूआरटी के सदस्य राहत सामग्री के गोदामों के लिए भी अस्थाई विद्युत आपूर्ति का प्रबंध करेंगे.
- विद्युत प्राप्तकर्ता केंद्रों एवं उपकेंद्रों द्वारा बनाई गई रिपोर्टों से नुकसान का मदवार विवरण संकलित करेंगे.
- समस्त क्रियाकलापों की रिपोर्ट मुख्य कार्यालय भेजेंगे.

ईएसएफ़ 11 : परिवहन

पृष्ठभूमि : परिवहन संबंधित ईएसएफ़ राज्य एवं जिला स्तर पर सुचारू परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. आपदा के संदर्भ में सामग्री एवं लोगों का त्वरित एवं सुरक्षित आवागमन प्राथमिकता मानी जाती है. इसे आपातकालीन सहायता बलों को उनकी आपातकालीन बचाव, बहाली एवं सहायता मिशन में आवश्यक परिवहन व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवहन संसाधन उपलब्ध करवाने में समन्वय करना है.

स्थिति अनुमान

- राज्य परिवहन अवसंरचना क्षतिग्रस्त हो जाएगी और आपदा क्षेत्र में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा.
- मार्गो की मरम्मत होने के बाद वहां पहुंचना आसान हो जाएगा.
- राहत सामग्री भेजे जाने से मार्गो पर भीड़ हो जाएगी.

नोडल एजेंसी : परिवहन विभाग परिवहन विभाग.

नोडल एजेंसी के लिए एसओपी

- परिवहन के टीम लीडर जिला ईओसी से आपदा की सूचना प्राप्त होते ही ईएसएफ़ को सक्रिय करेंगे.
- टीम लीडर सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारियों को घटना एवं ईएसएफ़ सक्रिय होने के बारे में सूचित करेंगे.
- टीम लीडर एफआईआर के लिए जिला ईओसी संपर्क स्थापित करेंगे.
- टीम लीडर स्थानीय परिवहन ईएसएफ़ के संपर्क सूत्र से रिपोर्ट के लिए आग्रह करेंगे.
- टीम लीडर सहायक एजेंसियों को घटना की जानकारी देंगे तथा प्रभावित क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था की स्थिति के विस्तृत विवरण हेतु आग्रह करेंगे.

परिवहन संबंधी त्वरित प्रतिक्रिया दल के लिए एसओपी

- क्यूआरटी सदस्य टीम लीडर से निर्देश मिलते ही यथाशीघ्र नोडल कार्यालय पहुंचेंगे.
- क्यूआरटी टीम सदस्य नोडल अधिकारी से निर्देश प्राप्त होने पर तुरंत घटनास्थल पर जाएंगे.
- क्यूआरटी ट्रक, नाव, हेलीकॉप्टर आदि जैसी विभिन्न परिवहन प्रणालियों के लिए मांग सूची भेजेंगे.
- क्यूआरटी महत्वपूर्ण परिवहन कड़ियों की समय पर पुनर्स्थापना सुनिश्चित करेंगे.
- समस्त क्रियाकलापों की रिपोर्ट मुख्य कार्यालय भेजेंगे.

अध्याय – 5
आपदा शमन योजना

आपदा शमन योजना

आपदा शमन को अत्यधिक नुकसान पहुंचाने वाले, घातक अथवा भारी आपदाओं से लोगों, संपत्ति तथा/अथवा पर्यावरण को होने वाले नुकसान के प्रभाव को कम या सीमित करना अथवा रोकने के लागत प्रभावी कार्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. आपदा शमन कार्य, जिन्हें जान एवं माल की हानि को समाप्त अथवा कम करने हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है, तीन वर्गों में आते हैं : पहले, ऐसे कार्य जो आपदाओं से लोगों, संपत्तियों एवं संरचनाओं को दूर रखते हैं ; दूसरे, जो लोगों, संपत्तियों एवं संरचनाओं को आपदाओं से दूर रखते हैं और तीसरे ऐसे कार्य हैं जो किसी भी प्रकार से आपदा का सामना नहीं करते, बल्कि प्रभावित व्यक्तियों पर आपदा के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं, जैसे की बीमा.

आपदा शमन कार्य व्यवहारिक, सस्ते, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल एवं राजनीतिक रूप से स्वीकार्य होने चाहिए. आपदाओं से समाज को होने वाले नुकसान को सीमित करने के लिए किए जाने वाले कार्य प्रत्याशित क्षतियों के मूल्य से अधिक महंगे नहीं होने चाहिए. पूंजीगत निवेश निर्णय प्राकृतिक आपदा की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए लिए जाने चाहिए. पूंजीगत निवेश में शामिल हैं : मकान, सड़कें, जनसुविधाएं, पाइप लाइन, विद्युत संयंत्र, रासायनिक संयंत्र, गोदाम एवं लोक निर्माण कार्य. ये निर्णय समुदाय की आपदा संवेदनशीलता की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं. एक बार जब पूंजीगत सुविधा दुरुस्त होगी तो आपदा संवेदनशीलता के संदर्भ में स्थान अथवा निर्माण में किसी प्रकार की कमी को ठीक करने हेतु सुविधा के जीवन काल पर केवल बहुत ही कम अवसर आ पाएंगे. इन्हीं कारणों से क्षेत्रीयकरण संबंधित अध्यादेश, जो उच्च संवेदनशील क्षेत्रों में विकास को रोकते हैं तथा भवन कोड, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि भवन इस प्रकार बनाए जाएं कि उन्हें आपदा की स्थिति में नुकसान ना हो, किसी शहर द्वारा आपदा रोकथाम के लिए लागू किए जाने वाले सबसे अधिक उपयोगी पद्धतियां हैं.

विगत में, आपातकाल प्रबंधन में आपदा शमन सबसे उपेक्षित रहा है. क्योंकि कथित खतरा शमन क्रियाकलापों को लागू करने की प्राथमिकता की अपेक्षा सामान्यता कम होता है, अतः उच्च स्तर की घटनाओं में कुछ महत्वपूर्ण शमन उपाय उपेक्षित हो जाते हैं. तथापि, संपूर्ण आपदा पहचान एवं प्रभाव अध्ययन के माध्यम से प्रदर्शित सटीक सूचना तथा तदुपरांत प्रभावी रोकथाम प्रबंधन किए जाने पर इसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है. आपदा रोकथाम चण्डीगढ़ में रहने वाले लोगों तथा उनकी संपत्ति को प्राकृतिक आपदाओं एवं उनके प्रभावों से होने वाले दीर्घावधि नुकसान को कम करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है. चण्डीगढ़ शहर में आपदा शमन की दो पद्धतियां होंगी - संरचनात्मक शमन एवं गैर संरचनात्मक शमन.

5.1 गैर संरचनात्मक शमन योजना

भूकंपीय क्षेत्र IV में होने के कारण चण्डीगढ़ में भूकंप आने का बड़ा खतरा है. गैर–सरंचनात्मक कार्य मूलतः इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि जिले के समस्त लोगों को आपदा प्रबंधन के बारे में जागरुक किया जाए तथा संकट की स्थिति का सामना करने के लिए उनमें क्षमता का विकास किया जाए.

तैयारी पद्धति

आपदा के आने और उसके बाद इसका प्रबंधन करने का इंतजार करने के स्थान पर, यह अवधारणा जनसाधारण को प्रबंधन प्रक्रिया का हिस्सा बनाती है. इस योजना में स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों तथा अन्य समस्त महत्वपूर्ण संस्थानों और अंततः समुदाय द्वारा तैयारी के लिए किए जाने वाले उपायों का विवरण है.

जागरूकता अभियान

जिला प्रशासन को जिले के स्थानीय निवासियों तथा जनसाधारण तक विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी पहुंचानी चाहिए. जागरूकता कार्यक्रम स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, समुदायों, निर्णय निर्माताओं तथा समस्त अन्य विशिष्ट वर्गों के लिए आयोजित किए जाने चाहिए. इससे संबंधित मौलिक जानकारी पुस्तिकाओं, पाठ्य सामग्री, दृश्य-श्रव्य सामग्री इत्यादि के रूप में वितरित की जानी चाहिए. इस प्रकार के कार्यक्रमों के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- चण्डीगढ़ में समस्त संस्थानों तथा समुदायों के निवासियों में आपदा संबंधी जागरूकता लाना.
- निर्माण विभागों एवं ठेकेदारों को भवन नियमों का कड़ाई से पालन करने के लिए प्रशस्त करना.
- भवन खाली करवाए जाने संबंधित योजना तैयार करना तथा सुरक्षा के लिए जनसाधारण को प्रशिक्षण प्रदान करना, जिससे उनमें भूकंप अथवा आग लगने अथवा अन्य किसी आपदा की स्थिति में लोगों की जान बचाने की क्षमता विकसित हो सके.
- जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग, पुलिस, अस्पताल अग्निशमन सेवा तथा समस्त अन्य समकक्ष एजेंसियों के अधिकारियों को जागरुक करना.

जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अपनाई जाने वाली कुछ तकनीकें एवं प्रक्रियाएं निम्नानुसार हैं :

- सार्वजनिक बैठकें एवं लाउडस्पीकर से घोषणाएं.
- वार्डन/आवास कल्याण संघ तथा अन्य संबंधित इकाइयों के साथ बैठक.
- वॉल पेंटिंग
- बच्चों एवं समाज के लोगों में पोस्टर तथा अन्य सूचना शिक्षा व संप्रेषण सामग्री का वितरण.
- इस विषय पर नुक्कड़ नाटक, डॉक्यूमेंट्री एवं फिल्मों का प्रदर्शन.
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विशेषत: केबल के चैनलों का उपयोग.
- विद्यार्थियों के लिए इस विषय पर प्रश्नोत्तरी-पेंटिंग प्रतियोगिता, विशेष प्रकार की पुस्तकें इत्यादि.

प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास

- जिला डीएमटी, उपप्रभाग एवं समुदाय स्तरीय पदाधिकारियों, अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, मेसन, बिल्डर एवं ठेकेदार आदि जैसे विशेषज्ञ समूहों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी.
- सिविल डिफेंस, एनवाईके, एनसीसी, एनएसएस इत्यादि जैसे संगठन हैं, जिसमें जिले के प्रत्येक कोने से हजारों स्वयंसेवी हैं.
- जिला प्रशासन को जिले में अपने स्वयंसेवियों तथा इन निकायों के वार्डनों को अवश्य ही प्रशिक्षित करना होगा. प्रशासन उनकी सेवाओं के लिए उन्हें किसी भी प्रकार का मानदेय देने का निर्णय ले सकता है.
- प्रशिक्षण कार्यक्रम जिले के निकायों के वार्डन/आवास कल्याण संघ तथा गैर सरकारी संगठनों के साथ आयोजित किए जाने चाहिए या उन्हें इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए वित्त

उपलब्ध करवाया जाना चाहिए. इस प्रकार के बड़े प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कॉर्पोरेट प्रायोजकों से संपर्क भी किया जाना चाहिए

आपदा प्रबंधन योजना

कहीं भी किसी भी प्रकार की आपदा आने पर प्रथम सूचना प्रदाता वहां के स्थानीय लोग होते हैं, जो साथ ही साथ इससे पीड़ित भी होते हैं. इस संबंध में योजना की रणनीति निम्नानुसार होगी :

- प्रत्येक चीफ वार्डन/आरडब्ल्यूए के क्षेत्र को योजना के लिए लॉजिकल यूनिट के रूप में लिया जाएगा.
- जिले का प्रत्येक छोटा या बड़ा स्कूल लॉजिकल यूनिट होगा.
- 10 बिस्तर से अधिक वाले सभी अस्पतालों के पास आपदा प्रबंधन योजना होगी.
- सभी सिनेमाघर, क्लब, धार्मिक केंद्र इत्यादि, जहां भीड़ की संभावना हो, के पास आपदा प्रबंधन योजनाएं होंगी.
- प्रत्येक सरकारी कार्यालय/भवन/विभाग की पृथक आपदा प्रबंधन योजनाएं होंगी.
- प्रत्येक मर्चेंट ट्रेडर्स एसोसिएशन, शॉपिंग सेंटर एवं जिला केंद्र के पास आपदा प्रबंधन योजना होगी.
- जिले में प्रत्येक छोटे बड़े उद्योग के पास आपदा प्रबंधन योजनाएं होंगी

प्रारंभिक कार्यवाही का मुख्य उद्देश्य होगा :

- सामाजिक लीडरों एवं जन–साधारण को आपदाओं एवं आपदा प्रबंधन के बारे में जागरुक करना.
- संकट एवं संसाधन मानचित्रों के साथ प्रत्येक लॉजिकल यूनिट के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना.
- लॉजिकल यूनिट में आपदा प्रबंधन समिति एवं कार्यबल का गठन, जिससे कि आपदाओं का प्रबंधन किया जा सके और संबंधितों को विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित किया जा सके.
- प्रत्येक सामुदायिक क्षेत्र में नियमित अंतराल पर स्थान खाली करवाए जाने संबंधित अभ्यास एवं मॉक ड्रिल करना.

प्रत्येक लॉजिकल यूनिट जिला प्रशासन के ईओसी से योजना दस्तावेज का प्रारूप प्राप्त करेगा तथा इसकी प्रति तैयार करने के बाद, इसकी एक प्रति ईओसी को प्रस्तुत करेगा तथा एक प्रति लॉजिकल यूनिट के पास रहेगी. योजना दस्तावेज को वर्ष में कम से कम दो बार अद्यतन किया जाएगा तथा संशोधित सूचना ईओसी को लिखित में भेजी जाएगी. जिला ईओसी लॉजिकल यूनिट के आग्रह पर योजना कार्य करने के लिए उसकी सहायता करेगी.

नियमों एवं नियमों को लागू करना

जिले में निर्माण कार्यों की निगरानी के लिए नियमों की सूची पहले से ही उपलब्ध है. भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय राष्ट्रीय भवन कोड एवं विभिन्न अधिनियमों में किए गए संशोधन सुरक्षित निर्माण क्रियाकलापों के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को पर्याप्त कानूनी संरक्षण प्रदान करते हैं. चण्डीगढ़ में नगर निगम, चण्डीगढ़ हाउसिंग बोर्ड एवं इंजीनियरिंग विभाग जैसे प्रमुख सरकारी निकाय, जो निर्माण कार्य करते हैं तथा प्राइवेट कंपनियों को निर्माण की अनुमति प्रदान करते हैं, भवन संबंधी नियमों को लागू करने के लिए पर्याप्त उपाय करेंगे.

5.2 संरचनात्मक शमन उपाय

योजना समुदाय के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आपदा प्रबंधन पर सकारात्मक रूप से कार्य किया जाए. शहरी आपदा प्रबंधन शहरी विकास की संपूर्ण प्रक्रिया से निकटता से जुड़ा है तथा इसलिए विकास योजना में इसे ईमानदारी से सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है.

औद्योगिक पुनर्वास/स्थापना, अनधिकृत नियमितीकरण मामले, झुग्गी-झोपड़ी, जनसंख्या सघनता, चण्डीगढ़ में लोगों का निरंतर प्रवेश कुछ खुली चुनौतियां हैं तथा योजना चुनौती के अतिरिक्त यह आपदा प्रबंधन के लिए भी चिंता का विषय है. जिला आपदा प्रबंधन के संरचनात्मक शमन के लिए आवश्यक उपाय करेगा. आवासीय एवं व्यापारिक भूमि के विकास से जुड़े विभाग एनओसी नियमों का कड़ाई से पालन करेंगे. संपूर्ण जिले में भवन नियमों को कठोरता से लागू किया जाएगा. बहुमंजिला इमारतों के निर्माण एवं रियल एस्टेट के लिए केवल भूकंपीय उन्मुख इंजीनियरों, ठेकेदारों एवं राजमिस्त्रियों को ही प्रमाणपत्र दिए जाएंगे.

साथ ही रेट्रोफिटिंग का कार्य केवल विशेषज्ञ की सलाह से ही किया जाएगा. आपदा से सुरक्षा के लिए दो संभव संरचनात्मक उपाय हैं - मौजूदा भवनों की रेट्रोफिटिंग तथा भूकंप रोधी नवीन संरचनाएं.

रेट्रोफिटिंग

मौजूदा भवनों को आपदा-रोधी बनाने का एकमात्र समाधान रेट्रोफिटिंग अथवा उसका भूकंपीय सुदृढ़ीकरण है. चण्डीगढ़ में प्रमुख अस्पताल, भंडारण के लिए बड़े स्थान वाले स्कूल, जिला प्रशासन कार्यालय तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों जैसे जीवन रक्षक भवनों की प्रथम चरण में रेट्रोफिटिंग की जाएगी. दूसरे चरण में अन्य महत्वपूर्ण भवनों का भूकंपीय सुदृढ़ीकरण किया जाएगा. रेट्रोफिटिंग का कार्य प्रारंभ करने से पूर्व भवन के मूल्यांकन तथा रेट्रोफिटिंग के बारे में सलाह लेने के लिए विशेषज्ञों के दल से संपर्क किया जाएगा.

भूकंप रोधी निर्माण

भूकंप रोधी संरचनाओं के निर्माण को बढ़ावा देने में मुख्यत: निर्माण सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण एवं निरीक्षण शामिल है. विगत दशकों में भूकंपरोधी निर्माण एवं भूकंपीय सुदृढ़ीकरण संबंधी कोई विशिष्ट दिशा निर्देश नहीं थे. अत:, 1990 तक अधिकांश भवनों का निर्माण बिना किसी सुरक्षा उपाय के किया गया. किंतु वर्तमान परिदृश्य में भवन निर्माण संबंधी नियम एवं दिशानिर्देश उपलब्ध हैं. नगर निगम एवं चण्डीगढ़ हाउसिंग बोर्ड जैसे कार्यालय इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे. विभिन्न भूकंप क्षेत्रों में निर्माण कार्य निर्माण इंजीनियर अथवा निर्माण प्रबंध एजेंसी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा. निर्माण कार्य पूरा होने पर नियमों के अनुसार उन्हें प्रमाणपत्र दिया जाएगा. आवासीय भवनों का अवैध निर्माण, अतिक्रमण, अस्वीकृत परिवर्धन एवं परिवर्तन इत्यादि तथा आवासीय भवनों को व्यवसायिक कार्यों के लिए उपयोग में लाने इत्यादि की जांच जिला प्रशासन द्वारा की जाएगी.

अध्याय – 6

ईएसएफ़ के लिए कार्य (प्रतिक्रिया) योजना

आपातकालीन सहायता क्रियाकलापों के लिए कार्य (प्रतिक्रिया) योजना

"आपदा परिदृश्य प्रभावित समुदायों को संकट के प्रति प्रतिक्रिया के विविध अवसर उपलब्ध कराता है, समाज आपदा का सामना किस प्रकार करता है तथा आपदा के पश्चात प्रदान की गई सहायता आपदा–से–विकास के परिवर्तन को स्थापित करती है" (आईडीआर, ऑक्सफोर्ड, 2000).

आपदा प्रबंधन एक बहुआयामी विषय है, जिसमें विविध कार्य पद्धतियों के साथ विभिन्न कार्य प्रणालियों की आवश्यकता होती है. इस कार्य योजना के दो मार्ग हैं : 1) लघु अवधि योजना तथा 2) दीर्घावधि प्रतिक्रिया योजना.

जिला प्रशासन चण्डीगढ़ को आपदा की स्थिति का सामना करने के लिए इन दो मार्गों पर पूर्व–कारवाई करनी होती है.

6.1 लघु अवधि प्रतिक्रिया योजना

लघु अवधि प्रतिक्रिया योजना में आपदा के तत्काल बाद की जाने वाली कारवाई का विवरण होता है. जिला ईओसी अथवा किसी भी आपदा प्रबंधक को जिले में प्रामाणिक अथवा अप्रामाणिक स्रोत से आपदा की सूचना प्राप्त होने पर इसकी प्रामाणिकता कि तुरंत जांच करनी होती है. सूचना के सही होने पर इसे त्वरित संप्रेषण प्रणाली द्वारा इंसिडेंट कमांडर को भेजा जाना होता है. इंसिडेंट कमांडर निम्नलिखित कारवाई करता है :

- संभावित पीड़ितों को चेतावनी/सतर्कता सूचना प्रसारित करता है.
- वर्टिकल एवं हॉरिजॉन्टल ईओसी को सूचना भेजता है.
- वर्टिकल एवं हॉरिजॉन्टल प्रशासकों एवं डीएमटी को सूचना देता है.
- स्थिति की भीषणता/संवेदनशीलता के आधार पर आपदा की घोषणा करता है.

बचाव कार्य

आपदा आने के तुरंत बाद उपायुक्त, चण्डीगढ़ जिला मजिस्ट्रेट एवं इंसिडेंट कमांडर के रूप में कार्य करेंगे तथा आपदा प्रबंधन का कार्य अपने हाथ में लेंगे. वे राहत एवं बचाव तथा आपातकालीन सहायक क्रियाकलाप समूह की सहायता से बचाव कार्यों का समन्वयन करेंगे. बचाव कार्यों के साथ-साथ इंसिडेंट कमांडर निम्नलिखित कार्य भी करेंगे :

- इंसिडेंट कमांड सिस्टम को सक्रिय करेंगे.
- संकट प्रबंधन समूह की बैठक बुलाएंगे.
- आपदा प्रबंधन में ईएसएफ़ के साथ समन्वय करेंगे.
- घटनास्थल पर बचाव केंद्र स्थापित करेंगे तथा राहत शिविरों को सक्रिय करेंगे
- घटनास्थल पर ईओसी से प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त करेंगे.
- पूर्व–निर्धारित विक्रेताओं को सक्रिय करेंगे तथा उनसे राहत सामग्री प्राप्त करेंगे.
- घटना की स्थिति की सूचना उच्च अधिकारियों को देंगे तथा इसे प्रैस/मीडिया को भी उपलब्ध कराएंगे.
- आपदा प्रबंधन तथा बचाव केंद्रों के लिए मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे.

- विभिन्न हितधारकों से संसाधनों को एकजुट करेंगे/सहायता मांगेंगे.

राहत कार्य

बचाव चरण पूरा होने पर, जिला प्रशासन आपदा पीड़ितों को नगद राशि/सामान देकर तुरंत राहत सहायता प्रदान करेंगे. आग, बाढ़, सूखा, भूकंप, दंगे, आतंकी हमला, दुर्घटना इत्यादि जैसे प्राकृतिक एवं मानव- जन्य आपदाओं से पीड़ित लोगों को राहत उपलब्ध करवाने के लिए उपायुक्त का कार्यालय उत्तरदायी है. यह राहत सरकार द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार उपलब्ध करवाई जाएगी :

पुनर्वास

लघु अवधि प्रतिक्रिया में पुनर्वास अंतिम चरण है. इंसिडेंट कमांड प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया जाएगा. इसके बाद सामान्य प्रशासन आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बचा हुआ निर्माण कार्य प्रारंभ करेगा. यह कार्य उपायुक्त के निर्देशन में राहत एवं पुनर्वास कार्य समूह द्वारा निष्पादित किया जाएगा.

6.2 दीर्घ अवधि प्रतिक्रिया योजना

दीर्घावधि प्रतिक्रिया योजना एक तरफ बहाली एवं पुनर्निर्माण क्रियाकलापों से संबद्ध है तथा दूसरी ओर यह जिला प्रशासन में आपदा प्रबंधन को संस्थापित करती है. पहले में, आपातकालीन सहायता कार्यों के लिए सामान्य बचाव प्रक्रिया शामिल है. दीर्घावधि उपायों में निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे :

- आपातकालीन सहायता कार्य, आपदा प्रबंधन दलों, त्वरित प्रतिक्रिया दलों, क्षेत्रीय प्रतिक्रिया दलों का गठन.
- इन दलों के लिए नियमित तौर पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना तथा छद्म अभ्यास करना.
- हितधारकों एवं जनसाधारण के लिए सतत रूप से जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन.
- आपदा के समय राहत सामग्री प्राप्त करने के लिए विक्रेताओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों से पूर्व-संविदा करना.

जिले के अधिकांश लाइन विभाग, स्वायत्तशासी निकाय तथा संगठन आपातकालीन सहायता कार्यों का हिस्सा होते हैं. साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन कार्य योजनाओं को वर्ष में दो बार अद्यतन किया जाए तथा छद्म अभ्यास द्वारा इन्हें जिले में प्रयोग में लाया जाए.

6.3 पुलिस के लिए कार्ययोजना

प्रतिक्रिया सक्रिय करना :

- चण्डीगढ़ पुलिस के नोडल अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे.
- घटनास्थल में ईओसी पर त्वरित प्रतिक्रिया दलों को तैनात किया जाएगा.
- सूचना के आधार पर घटनास्थल पर अन्य अधिकारी भेजे जाएंगे.

किए जाने वाले कार्य :

- यदि जरूरी हो तो तमाशबीनों, वाहनों एवं पैदल यातायात के आवागमन पर रोक लगा कर घटना स्थल की घेराबंदी करना.
- प्रभावित क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था का त्वरित मूल्यांकन.
- प्रत्येक 2-3 घंटों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की रिपोर्ट तैयार करना तथा इसे इंसिडेंट कमांडर को भेजना.

- दंगे एवं लूट जैसी घटनाओं को नियंत्रित करने के प्रबंध करना.
- त्वरित प्रतिक्रिया दल प्रभावित क्षेत्रों में संपत्ति एवं मूल्यवान वस्तुओं की सुरक्षा करेंगे.
- यातायात को नियंत्रित एवं उसकी निगरानी करेंगे.
- क्यूआरटी, जब भी आवश्यक हो यातायात को वैकल्पिक मार्ग पर भजेगी॰
- क्यूआरटी विभिन्न मार्गो, विशेषत: भारी यातायात अथवा भीड़भाड़ वाली सड़कों पर ट्रैफिक की स्थिति की सूचना उपलब्ध करवाएगी.
- क्यूआरटी, स्टाफ एवं संसाधनों की तैनाती एवं सुदृढ़ीकरण तथा अन्य अतिरिक्त अपेक्षाओं के बारे में पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित करेगी.

6.4 अग्निशमन सेवाओं के लिए कार्ययोजना

प्रतिक्रिया सक्रिय करना :

- आपदा के बारे में सूचना प्राप्त होते ही नोडल अधिकारी को ईओसी पहुंचना चाहिए.
- घटनास्थल ईओसी पर त्वरित प्रतिक्रिया बल तैनात किए जाएंगे.

किए जाने वाले कार्य :

- घटनास्थल पर, त्वरित प्रतिक्रिया दल स्थानीय स्वयंसेवियों तथा लोगों से संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में सूचना एकत्र करेंगे, जिससे कि अत्यंत सघन क्षेत्र, बड़े भवनों, सामुदायिक केंद्रों, होटलों, अस्पतालों, सार्वजनिक भवनों तथा भीड़भाड़ वाले किसी अन्य क्षेत्र में उचित माध्यम से खोज एवं बचाव कार्य किए जा सके.
- क्षतिग्रस्त एवं गिरी हुई संरचनाओं का पता लगाना तथा मलबे में दबे एवं फंसे लोगों को बचाना.
- क्षतिग्रस्त भवनों इत्यादि से घायलों को अत्यंत सावधानीपूर्वक बाहर ले जाया जाना चाहिए.
- महिलाओं एवं बच्चों की विशेष देखभाल की जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में वे सर्वाधिक प्रभावित एवं असहाय होते हैं.
- प्रभावित क्षेत्र में अधिक संख्या में चिकित्सा कर्मियों को भेजे जाने तथा/अथवा घटनास्थल से अधिक संख्या में पीड़ितों को स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाने की स्थिति में परिवहन ईएसएफ़ के साथ समन्वय करना.

6.5 नगर सुरक्षा एवं होमगार्ड के लिए कार्य योजना

प्रतिक्रिया सक्रिय करना

- जैसे ही नोडल अधिकारी को आपदा की सूचना मिलती है, ईओसी पहुंचना.
- तीन स्थानों पर त्वरित प्रतिक्रिया बल तैनात करना

किए जाने वाले कार्य

- कानून एवं व्यवस्था, खोज एवं बचाव तथा चिकित्सा एवं आघात परामर्श कार्यों के लिए चण्डीगढ़ की इंसिडेंट कमांड प्रणाली की सहायता एवं समन्वयन.
- क्षतिग्रस्त एवं गिरी हुई संरचनाओं का पता लगाना तथा मलबे में दबे एवं फंसे लोगों को बचाना.
- क्षतिग्रस्त भवनों इत्यादि से घायलों को अत्यंत सावधानीपूर्वक बाहर ले जाया जाना चाहिए.
- महिलाओं एवं बच्चों की विशेष देखभाल की जानी चाहिए क्योंकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में वे सर्वाधिक प्रभावित एवं असहाय होते हैं.

- आग लगने की स्थिति में सीडी टीम के सदस्य आग बुझाएंगे.
- चिकित्सा प्रतिक्रिया पर ईएसएफ़ के सदस्यों को फर्स्ट-ऐड किट उपलब्ध करवाई जानी चाहिए.
- खोज एवं बचाव का प्रदर्शन.

6.6 बीएसएनएल के लिए कार्य योजना

बीएसएनएल प्रारंभिक तौर पर सम्प्रेषण सुविधाओं की बहाली के लिए उत्तरदायी है. बीएसएनएल सूचना के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करेगा, जिससे कि बचाव कार्यों के दौरान राज्य स्तर पर समय पर सूचना भेजी जा सके.

प्रतिक्रिया सक्रिय करना

- किसी भी स्रोत से आपदा की सूचना प्राप्त होते ही नोडल अधिकारी राज्य/जिला आपातकालीन बचाव केंद्र से संपर्क करेगा.
- बीएसएनएल के नोडल अधिकारी त्वरित प्रतिक्रिया दलों को सक्रिय करेंगे.
- त्वरित प्रतिक्रिया दल तीन घटनास्थलों पर तैनात किए जाएंगे.

की जाने वाली कारवाई

- स्थिति की सूचना सहायक एजेंसियों (टाटा, एयरटेल, आइडिया, निक एवं एचएएम इत्यादि) को प्रदान करना तथा प्रभावित क्षेत्रों में उपस्कर एवं अवसरंचनाओं को हुई क्षति की विस्तृत रिपोर्ट के लिए आग्रह करना.
- टेलीकॉम सेवा एवं नेटवर्क को हुए नुकसान की स्थिति को बेहतर रूप से समझने के लिए मूल्यांकन मिशन प्रारंभ करना.
- विश्वसनीय एवं उपयुक्त नेटवर्क स्थापित करने के लिए संभव व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना.
- नए नंबर एवं संपर्क किए जाने वाले व्यक्तियों का विवरण आपातकालीन केंद्रों को भेजना.
- लोगों के लिए टेलीफोन सुविधाएं स्थापित करना तथा मीडिया के माध्यम से इसकी सूचना देना.

लाए जाने वाले उपस्कर :

- जीएसएम एवं सीडीएमए सेवाओं के साथ आपातकालीन संप्रेषण वैन.
- संप्रेषण नेटवर्क पुनर्स्थापित/वैकल्पिक आपातकालीन संप्रेषण तंत्र लगाने के लिए अन्य आवश्यक उपकरण.

6.7 प्राइवेट मोबाइल ऑपरेटर के लिए कार्य योजना

- प्राइवेट ऑपरेटर सूचना के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि बचाव कार्यों के दौरान राज्य स्तर पर समय पर सूचना भेजी जा सके.

6.8 नगर निगम के लिए कार्य योजना

किए जाने वाले कार्य

- नगर निगम भारी आरसीसी ढांचों (खंभे/तंबू वाले) का मलवा लाएगा तथा इसके नीचे डमी रखी जाएंगी. यह आपदा के दौरान खोज एवं बचाव कार्य का प्रदर्शन करेगा. खोज एवं बचाव दल के घटनास्थल से चले जाने के बाद नगर निगम द्वारा मलवा साफ करने के लिए मशीनें लगाई जाएंगी.

- राज्य ईओसी से आपदा की सूचना प्राप्त होने पर नगर निगम चण्डीगढ़ उपस्कर सहायता, मलवा एवं सड़कें क्लियरकरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
- नगर निगम चण्डीगढ़ गोदामों से उपस्कर लाने के लिए सहायक एजेंसियों के अधिकारियों के साथ समन्वय करेगा.
- संबंधित सहायक एजेंसी उपस्करों को केंद्रीय गोदाम में भेजने के लिए अपने संबंधित व्यक्ति से संपर्क करेगी.
- आवश्यकता अनुसार निर्धारित जेसीबी, कंक्रीट कटर आदि जैसी मशीनें घटनास्थल पर भेजी जाएंगी.
- संरचनाओं को हुए नुकसान के बारे में सूचना प्राप्त होने पर नोडल अधिकारी घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्रों में सड़कों और सरंचनाओं को हुए नुकसान का मूल्यांकन करेंगे.
- प्रभावित क्षेत्र तक आवागमन को सुचारु बनाने के लिए मलबा हटाने हेतु सहायक एजेंसियों के नोडल अधिकारी तत्काल अपने कर्मियों को बुलाएंगे.
- नोडल एजेंसी द्वारा सहायक एजेंसियों को नवीनतम सूचना देने के लिए वर्तमान स्थिति की समीक्षा की जाती है, जिससे कि परिवहन ईएसएफ़ को प्रचालन योग्य बनाने के लिए सुरक्षित मार्गों की योजना तैयार करने हेतु निवारक उपाय करने के लिए संबंधित कर्मियों को लगाया जा सके.
- समस्त सहायक एजेंसियां आपदा एवं उसके आसपास के क्षेत्र की सड़कों/रेल नेटवर्क एवं संरचनाओं की जांच करेंगी.
- नगर निगम चण्डीगढ़ चिकित्सा प्रतिक्रिया संबंधी ईएसएफ़ के समन्वय में लाशों का पोस्टमार्टम एवं उचित निपटान भी सुनिश्चित करेगी.
- क्षति मूल्यांकन (स्थल, क्षतिग्रस्त संरचनाओं की संख्या, नुकसान की भीषणता)
- प्रभावित स्थलों पर क्यूआरटी तैनात की जाएंगी.
- मलबा हटाने के लिए संसाधन सूची में संकलित उपस्करों में से अपेक्षित उपस्करों की सूची बनाना.
- क्यूआरटी स्थिति और बचाव क्रियाकलापों में प्रगति की सूचना संबंधित ईओसी को प्रदान करेगी.
- आपदा पीड़ितों के लिए अस्थायी आवासों एवं राहत शिविरों तथा चिकित्सा सुविधाओं तक सरल पहुंच के लिए अस्थायी सड़कों का निर्माण कार्य करना.
- एज मेटल्लिंग, गड्ढे भरने एवं सतह व नीव को हुए नुकसान सहित समस्त पक्की एवं कच्ची सड़कों की अनुरक्षण इंजीनियर के स्टाफ द्वारा मरम्मत एवं उनकी स्थिति की निगरानी.
- घटनास्थल पर राज्य के बाहर के विशेषज्ञों सहित बड़ी संख्या में चिकित्सा कर्मियों का पहुंचना सुनिश्चित करना.
- यदि अस्थायी आवास प्रबंध प्रभावित लोगों द्वारा किए जा रहे हों, तो नगर निगम चण्डीगढ़ आपदा की भीषणता रोकने के लिए वहां उच्चस्तरीय सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेगी.
- नगर निगम चण्डीगढ़ आपदा स्थल तथा पीड़ितों के लिए स्थापित स्वास्थ्य केंद्रों में दवाओं एवं अन्य चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी.
- भूकंप जैसी आपदाओं में यदि हड्डियों संबंधित स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकता हो तो तत्काल सहायता उपलब्ध करवाई जाए और रोगियों को उनके घर/घर के निकट ही बाद में दिया जाना उपचार भी उपलब्ध करवाया जाए.
- विभिन्न प्रकार के वाहनों, जैसे ट्रक आदि को तैयार रखना.
- महत्वपूर्ण परिवहन कड़ियों को समय पर पुनः स्थापित करने में सहायता देना.
- राहत सामग्री के लिए स्थायी विद्युत आपूर्ति का प्रबंध करना.
- विभिन्न प्रापण केंद्रों एवं उपकेंद्रों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट से नुकसान का मदवार मूल्यांकन विवरण तैयार करना.

अध्याय – 7

आतंकी हमले हेतु शमन योजना

आतंकी हमले हेतु शमन योजना

पिछले कुछ वर्षों में बेंगलुरु एवं अहमदाबाद सहित देश के कई हिस्सों में हुए आतंकी हमलों ने किसी भी प्रकार के आतंकी हमले का सामना करने के लिए एक सशक्त शमन योजना तैयार करने की आवश्यकता को प्रबलित किया है. चण्डीगढ़ शहर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर होने, दो राज्यों की राजधानी होने तथा स्वयं एक संघशासित प्रदेश होने के कारण आतंकी हमलों का संभावित निशाना हो सकता है, क्योंकि आतंकवादी अब बी–श्रेणी के शहरों को लक्ष्य बना रहे हैं. आतंकी हमलों की दृष्टि से संवेदनशील विभिन्न स्थानों में ऐसे स्थान शामिल हैं जहां लोग बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं, जैसे कि सुखना झील, सैक्टर 17 मार्केट कॉम्प्लेक्स, सिनेमाघर, स्कूल, कॉलेज एवं अस्पताल आदि. इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विवरण अनुलग्नक I व II में दिया गया है.

इस शमन योजना में चण्डीगढ़ शहर के किसी भी हिस्से में आतंकी हमले की प्रतिक्रिया स्वरुप किए जाने वाले कार्य शामिल हैं. चण्डीगढ़ प्रशासन आतंकी हमले का सामना करने के लिए द्विआयामी रणनीति अर्थात निरोधक कार्यवाही एवं उपचारात्मक कार्यवाही का अनुसरण करता है.

निरोधक रणनीतियां :

- लोगों के बीच आतंकी गतिविधियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा आतंकी हमले को नाकाम करने में उनकी भूमिकासे अवगत करवाना.
- सीआरपीएफ़ जवानों के साथ शहर की सीमाओं में नाकों के माध्यम से नियमित निगरानी.
- बस अड्डे एवं रेलवे स्टेशन में संदिग्ध व्यक्तियों की नियमित तलाशी.
- शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में गुप्त तलाशी एवं छापे. इसमें राजनीतिक संरचनाएं, बोर्डिंग स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों, तकनीकी केंद्रों के छात्रावास, पीजी इत्यादि शामिल हैं.
- पुलिस में एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन सैल को बनाए रखना.
- साइबर कैफे एवं पीसीओ बूथ में पहचान संबंधी नियमित जांच.
- होटल एवं रेस्टोरेंट से संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में नियमित तौर पर फीडबैक लेना.
- स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस इत्यादि जैसे राष्ट्रीय पर्वों के दौरान संवेदनशील क्षेत्रों में आए नए व्यक्तियों का विवरण जानने के लिए नियमित जनगणना कार्य.
- आईबी, पंजाब पुलिस एवं हरियाणा पुलिस के साथ नियमित समन्वय बैठेकें आयोजित करना.
- आतंकी गतिविधियों के संबंध में स्कूलों में नियमित अभ्यास ड्रिल करना.

उपचारात्मक रणनीति

आतंकी हमले के दौरान उपायुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विभिन्न विभागों एवं कार्मिकों के बीच समन्वय स्थापित करने की भूमिका निभाते हैं. एसएसपी पीड़ितों के तुरंत बचाव एवं उन्हें राहत उपलब्ध कराने के लिए व्यक्तियों एवं संसाधनों को तैयार कर उपायुक्त के साथ मिलकर कार्य करते हैं. बचाव एवं राहत उपलब्ध करवाने में शामिल विभिन्न एजेंसियां निम्नानुसार हैं :

- स्कूल स्तर पर मार्शल बनाना
- आपातकालीन निकास दल - इस टीम में फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, होमगार्ड स्वयंसेवी, स्थानीय पुलिस एवं सेना शामिल है.
- रेड क्रॉस सोसाइटी - पीड़ितों के लिए एंबुलेंस एवं रक्त आपूर्ति हेतु.

- निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं - अस्पतालों में चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु.
- बम डिस्पोजल स्क्वायड - चण्डीगढ़ पुलिस की अपनी बम डिस्पोजल स्क्वायड है. स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए यह चंडीमंदिर स्थित सेना बम डिस्पोजल स्क्वायड की सहायता लेगी.
- सेना - बचाव कार्यों, बम डिस्पोजल एवं कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, यदि आवश्यक हो.
- ऑपरेशन सैल - आतंकवादी विरोधी क्रियाकलापों के लिए विशेष विंग.
- स्पेशल इन्वेस्टीगेशन सैल - आतंकी हमलों की जांच हेतु.

स्थल प्रबंधन में हमले के तुरंत बाद जगह की घेराबंदी, साथ ही पीड़ितों का बचाव एवं जांच के लिए सबूत इकट्ठा करना शामिल है.

यातायात प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी प्रकार के हमले से भय का वातावरण पैदा होता है और यातायात अव्यवस्थित हो जाता है. चण्डीगढ़ पुलिस की यातायात इकाई यातायात नियमन का कार्य करती है.

मीडिया प्रबंधन किसी भी आतंकी हमले के समय कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण होता है.

चण्डीगढ़ शहर में 33 ऐसे स्थान हैं जहां पहुंच नियंत्रण प्रणाली है एवं सीसीटी कैमरा लगे हैं, जिनकी सूची अनुलग्नक II में दी गई है. त्वरित प्रतिक्रिया दलों के स्थान अनुलग्नक III में दिए गए हैं.

पहुंच नियंत्रण की देखरेख निम्नलिखित के माध्यम से की जाती है :

1. पास प्रणाली, आगंतुक रजिस्टर, तलाशी.
2. एक्स-रे बैग मशीन.
3. स्टाफ द्वारा पहचान पत्रों को धारण करना.
4. शीशे के माध्यम से वाहन की जांच.
5. सीसीटीवी निगरानी.

7.1 आतंकी हमले का सामना

यदि आपको बम के खतरे का पता चलता है तो सूचना देने वाले से बम के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ली जानी चाहिए, जैसे कि इसे कहां लगाया गया है? यह कब फटेगा? वह देखने में कैसा है? बम किस प्रकार का है, आदि.

बम विस्फोट होने पर गंजगोले फटने से निम्नानुसार गंभीर चोट लग सकती है :

- खून बहने वाले घाव.
- जल जाना.
- भेदक जख्म
- कुंद आघात
- कानों पर असर
- छर्रों से होने वाले ज़ख्म

विस्फोट के कारण घायल होने पर क्या करें और क्या न करें

विस्फोट के कारण घायल होने पर नीचे दिए गए निर्देशों का अनुपालन करें :

क्या करें

- किसी ढाल का प्रयोग करते हुए स्वयं को बचाएं.
- प्रभावित अंग को हृदय तक उठाएं और उस पर दबाव डालते रहें
- अंग पर पट्टी बांध दें, जिससे कि ड्रेसिंग अपने स्थान पर टिकी रहे
- ध्यान रखें कि पट्टी इतनी टाइट हो कि वह दबाव बनाए रखे, किंतु कहीं रक्त प्रवाह को बाधित न करे
- प्रभावित अंग की नस को हड्डी तक दबाकर खून को बहने से रोकें.

क्या न करें

- ज़ख्म पर किसी वस्तु से दबाव न डालें
- यदि सिर पर चोट लगी हो तो उस पर दबाव न डालें
- रक्तबंधक उपस्कर का तब तक प्रयोग न करें जब तक कि वह अंतिम उपाय न हो

अध्याय – 8

परमाणु आपदा प्रबंधन

भारत अपनी अद्वितीय भू-जलवायु स्थितियों के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रति परंपरागत रूप से संवेदनशील है, बाद में, विश्व के अन्य देशों की भांति, यहां विभिन्न मानव-जन्य आपदाओं का खतरा भी समान रूप से होने लगा है. परमाणु एवं रेडियोधर्मी आपातकाल ऐसी ही एक मानव जनित आपदा है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण और बड़ी चिंता का विषय है. किसी भी प्रकार की विकिरण घटना या उसकी संभावना के कारण कामगारों अथवा जनता के अनुज्ञेय सीमाओं से अधिक विकिरण की चपेट में आने तथा/अथवा उससे संक्रमित होने की स्थिति परमाणु/ रेडियोधर्मी आपातकाल बन सकती है.

जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों में परमाणु अस्त्रों के उपयोग की दुखद स्मृतियों और अमेरिका में थ्री माइल आइलैंड, तत्कालीन सोवियत संघ में चेर्नोबिल एवं जापान के फुकुशिमा में रिएक्टर दुर्घटनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार ने किसी भी परमाणु आपातकाल अथवा आपदा के संबंध में लोगों की अवधारणा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है तथा वे इसे केवल इन घटनाओं से जोड़कर देखते हैं, जो कि गलत है. हालांकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति आसानी से नहीं होती, तथापि हमें निम्न स्तर की परमाणु/ रेडियोधर्मी संकटों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार के संकट (जो, बढ़ती हुई आर्थिक संपन्नता के कारण उन्नत शहरी विकास सहित अधिक जनसंख्या होने के कारण, दिए गए किसी स्तर पर भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं) का प्रभाव हमेशा नियंत्रण में रखा जाता है.

संघशासित प्रदेश, चण्डीगढ़ के आसपास कोई परमाणु संयंत्र नहीं है, इसलिए सुरक्षित रूप से यह कहा जा सकता है कि परमाणु संयंत्र के कारण होने वाली किसी विकिरण दुर्घटना से यह सुरक्षित है. तथापि यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि चण्डीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बहुत नजदीक है तथा उत्तर भारत के दो महत्वपूर्ण राज्यों की राजधानी होने के कारण यह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है. अतः युद्ध के समय अथवा किसी मतिभ्रष्ट के कारण शहर पर परमाणु हमले का खतरा सदैव बना हुआ है. साथ ही, क्योंकि चण्डीगढ़ शहर केवल 114 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बसा हुआ है और यहां छोटे व सघन क्षेत्र में बहुत अधिक जनसंख्या है, इसलिए परमाणु हमले की स्थिति में विस्फोट के कारण जान–माल की बहुत अधिक हानि होने की संभावना है. अतः शहर को किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए.

संयोगवश, चण्डीगढ़ पुलिस के एक खंड को सेना द्वारा परमाणु आपदा की किसी घटना के दौरान बचाव कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है.

8 .1 परमाणु आपदाओं के प्रकार

किसी भी प्रकार की विकिरण घटना या उसकी संभावना के कारण कामगारों अथवा जनता के अनुज्ञेय सीमाओं से अधिक विकिरण की चपेट में आने तथा/अथवा उससे संक्रमित होने की स्थिति को परमाणु/ रेडियोधर्मी आपातकाल कहा जा सकता है. इस प्रकार की आपातकालीन स्थितियों, जो कि सामान्यतः संयंत्र/ सुविधा प्राधिकरण (पड़ोसी प्रशासनिक एजेंसियों, यदि आवश्यकता हो) के नियंत्रण में होती हैं, को व्यापक रूप से निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है :

i) परमाणु संयंत्र सहित परमाणु ईंधन प्रणाली की किसी परमाणु सुविधा अथवा रेडियोधर्मी संसाधनों का उपयोग करने वाली किसी सुविधा में होने वाली दुर्घटना, जिससे पर्यावरण में बड़े स्तर पर रेडियोधर्मी फैल जाएं.

ii) न्यूक्लियर ईंधन प्रणाली में गंभीर दुर्घटना, जहां असावधानी से अनियंत्रित परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया के कारण न्यूट्रांस व गामा विकिरण फैल जाएं (जैसा कि टोकाईमुरा, जापान में हुआ था)

iii) रेडियोधर्मी पदार्थों को लाने-ले जाने के दौरान होने वाली दुर्घटना.

iv) आतंकवादियों द्वारा पर्यावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ फैलाने के लिए आरडीडी जैसे रेडियोधर्मी पदार्थ का अनिष्टकारी उपयोग.

v) परमाणु अस्त्र के हमले से होने वाली बड़े स्तर की परमाणु आपदा (जैसा कि जापान के हिरोशिमा एवं नागासाकी शहरों में हुआ), जिससे बहुत बड़े क्षेत्र में जान-माल को नुकसान पहुंचे. परमाणु आपातकाल से भिन्न, परमाणु आपदा स्थानीय प्रशासन की क्षमता से परे की बात है और इसका राष्ट्रीय स्तर पर समाधान किया जाना अपेक्षित होता है.

बीएआरसी द्वारा स्थापित आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्रों (ईआरसी) का स्थान

1. मुंबई बीआरसी (नोडल ईआरसी)
2. तारापुर
3. काकरापार
4. इंदौर
5. कोटा
6. जयपुर
7. दिल्ली
8. नरोरा
9. शिलांग
10. कोलकाता
11. जादूगोड़ा
12. नागपुर
13. हैदराबाद
14. कैगा
15. बंगलुरु
16. कलपाकम
17. अलवर
18. कुंदनकुलाम

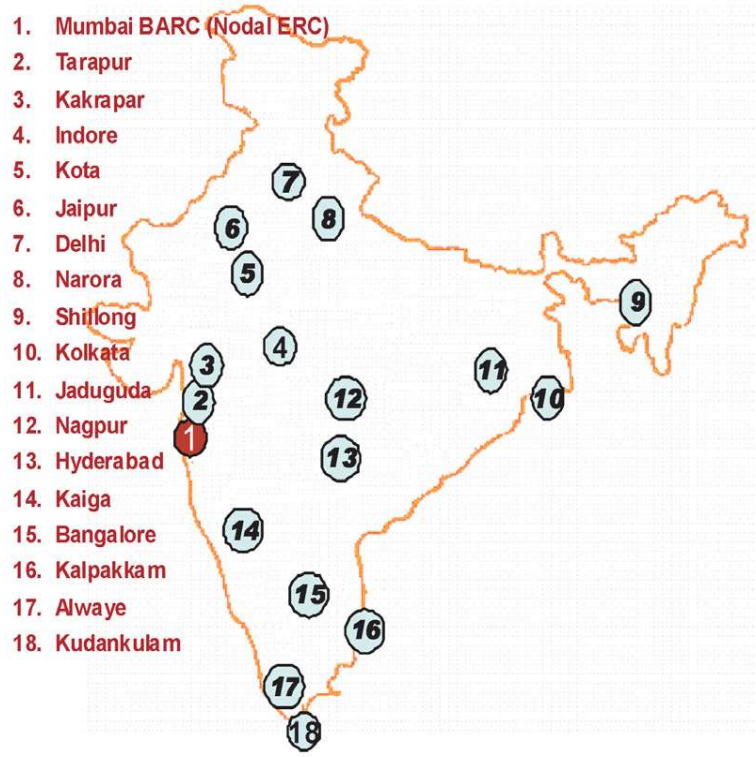

इसके अतिरिक्त अन्य शहरों में भी इनकी स्थापना की जानी प्रस्तावित है

8.2 बचाव : विकिरण से सुरक्षा का बेहतरीन तरीका

भारत में परमाणु/विकिरण प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की अद्वितीय विशेषता, जैसा कि विश्वभर में है, इसमें ऐसी डिजाइन विशेषताएं शामिल करना है जिससे कि परमाणु अथवा रेडियोधर्मी संकट उत्पन्न करने वाली स्थितियों से बचा जा सके. यही अवधारणा परमाणु ऊर्जा संयंत्रों, परमाणु सुविधाओं तथा प्रयोगशालाओं में विकिरण स्रोतों के उपयोग जैसे छोटे अनुप्रयोगों में भी प्रयोग में लाई जा रही है.

रेडियोधर्मी विसर्जन उपस्कर तथा तात्कालिक परमाणु उपस्कर दुर्घटनाओं से बचाव

समस्त परमाणु/रेडियोधर्मी सुविधाओं पर अत्याधुनिक निगरानी एवं सतर्कता प्रणालियों का प्रयोग करते हुए श्रेष्ठ उपलब्ध सुरक्षा प्रणालियां उपलब्ध करवाई जाएंगी. इसी प्रकार, संयंत्र प्राधिकारियों द्वारा सुरक्षा एवं बचाव उपायों, कड़ी लेखा प्रक्रियाओं एवं तुरंत पहचान करने वाले उपकरणों का प्रयोग करके अग्रलिखित बचाव कार्य कर सुरक्षा को मजबूत किया जाएगा – (1) रेडियोधर्मी संसाधनों एवं विशेष परमाणु पदार्थों (एसएनएम) का अवैध व्यापार (2) इनका गैरकानूनी व्यक्तियों तथा/अथवा आतंकवादियों के हाथ लगना. इन उपायों से रेडियोधर्मी पदार्थों के गुम होने, चोरी होने एवं अपवर्जन (जिसे लावारिस स्रोत कहा जाता है) से बचाया जा सकेगा.

आरडीडी को रोकने के लिए पहला उपाय देश के समस्त रेडियोधर्मी स्रोतों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इस संबंध में, देशभर में रेडियोधर्मी स्रोतों की सुरक्षा के लिए विनियम लागू किए जाने चाहिए. इसके साथ-साथ रेडियोधर्मी पदार्थों, विशेषत: विखंडनीय पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यवसाय को रोकने के लिए बचाव कार्य किए जाएंगे. इस प्रकार के अवैध क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए विस्तृत राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली, ऑडिटिंग तथा पहचान एवं निगरानी प्रक्रिया की स्थापना किया जाना अपेक्षित है. परमाणु पदार्थों की पदार्थ सुरक्षा, नियंत्रण एवं हिसाब रखा जाना चाहिए तथा इन पर सतर्कता एवं निगरानी भी रखी जानी चाहिए.

रेडियोधर्मी आतंकवाद से बचाव के लिए गृह मंत्रालय द्वारा सभी संवेदनशील स्थलों (हवाई अड्डों, समुद्री बंदरगाहों, देश की सीमाओं इत्यादि) के प्रवेश एवं निकास द्वार पर रेडियोधर्मी पदार्थों अथवा विस्फोटकों की तस्करी की जांच के लिए सक्षम अत्यंत उच्च डिटेक्टर/डर्टी बम डिटेक्टर लगाए जाएंगे. रेडियोधर्मी पदार्थों की पहचान होने पर यह डिटेक्टर तुरंत अलार्म देंगे. समस्त परमाणु संस्थानों के प्रवेश एवं निकास द्वारों पर भी इस प्रकार की निगरानी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी, जिससे कि रेडियोधर्मी पदार्थों के अनधिकृत आवागमन की जांच की जा सके. पुलिस पेट्रोलिंग वाहनों को भी पोर्टेबल विकिरण मॉनिटर उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे कि उनके क्षेत्र में अनाधिकृत रेडियोधर्मी स्रोतों की उपस्थिति की पहचान की जा सके.

8.3 मेट्रो एवं महत्वपूर्ण शहरों के लिए आपातकालीन/आपदा प्रबंधन

देश के समस्त मेट्रो एवं अन्य बड़े शहरों को परमाणु आपातकाल/आपदा की दृष्टि से संवेदनशील माना जा सकता है. इस संबंध में अपेक्षित निगरानी उपकरणों तथा अन्य उपस्करों का निर्धारण डीएई की सहायता से किया जा सकता है. संभावित स्थानों में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता को इस संबंध में प्रशिक्षित किए जाने का कार्य तत्काल किया जाना चाहिए. इन शहरों के सिविल डिफेंस तंत्र को भी सक्रिय किया जाएगा. इन स्थानों के लिए विस्तृत बचाव योजना एवं एसओपी तैयार की जाएगी. इन सभी इकाइयों को परमाणु आपातकाल/आपदा की स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में जनशक्ति एवं उपस्करों की आवश्यकता होगी.

पहले चरण में डीएई/डीआरडीओ के परामर्श से संबंधित एसडीएमए/एसईसी द्वारा 20 लाख अथवा अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में यह कार्य प्रारंभ किया जाएगा. लक्षित शहरों के आसपास स्थित कस्बों को भी इसके लिए तैयार किया जाएगा जिससे कि परमाणु/ रेडियोधर्मी आपदा की किसी स्थिति में इनके द्वारा जरूरी सहायता प्रदान की जा सके. यह देश के मेट्रो शहरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. पहले चरण का कार्य पूरा होने पर 10 लाख अथवा उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में यह कार्य प्रारंभ किया जाएगा.

इस प्रकार के सभी स्थानों पर प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता तथा समाज कि इस संबंध में तैयारी की जांच करने के लिए आपातकालीन अभ्यास कार्य किए जाएंगे. हालांकि, केवल परमाणु आपातकाल से निपटने संबंधी इस प्रकार के अभ्यासों से लोगों में भय का वातावरण फैल सकता है और विभिन्न एजेंसियों को गलत संदेश जा सकता है, इसलिए यह कार्य संपूर्ण आपातकाल अभ्यास (विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक एवं मानव-जन्य संकटों के लिए) के रूप में किया जाएगा.

विशेषज्ञ प्रतिक्रिया दलों के लिए उपकरणों, उपस्करों और सुरक्षा यंत्रों की सूची

क्र. सं.	**उपस्कर एवं उपकरण**
1.	विकिरण निगरानी एवं संक्रमण रोधी सुविधा वाली एंबुलेंस
2.	आइसोटोप का पता लगाने के लिए पोर्टेबल गामा– रे स्पेक्ट्रोमीटर
3.	हवाई सर्वेक्षण निगरानी हेतु : (क) हवाई निगरानी प्रणाली (ख) मॉनिटर, सुरक्षा उपस्कर, कंप्यूटर/ लैपटॉप इत्यादि
4.	निगरानी वाहनों के साथ एनवायरमेंटल रेडिएशन मॉनिटर विद नेविगेशनल एड (ईआरएमएनए)
5.	अल्फा, बीटा एवं गामा काउंटिंग सेटअप
6.	डिजिटल डोसिमीटर
7.	निगरानी वेन के लिए जीपीएस
8.	टीएल डोसिमीटर
9.	पोर्टेबल संक्रमण मॉनिटर
10.	रेस्पिरेटर के साथ सीबीआरएन सूट, रबड़ के कपड़े, दस्ताने एवं गम बूट
11.	डस्ट मास्क
12.	कोंफ़ों रेसिपीरेटर
13.	निगरानी सुविधा के साथ संक्रमण रोधी किट
14.	पोटेशियम आयोडाइड/ पोटेशियम आयोडेट गोलियां
15.	समस्त उपस्कर प्रशिक्षण के लिए ऑपरेशनल मैनुअल एवं मार्गदर्शी साहित्य
16.	प्रोटेक्टिव कवरऑल, सूती दस्ताने, टोपियां, जुराबें एवं जूते
17.	इलेक्ट्रिक जनरेटर
18.	टॉर्च
19.	दूरबीन
20.	विविध सेमपलिंग किट्स : (क) चारकोल पेपर एवं कार्टिजिस (आयोडीन संपलिंग/सुरक्षा के लिए) (ख) प्लासस्टिक शीट (संक्रमित पदार्थों की पेकिंग हेतु) (ग) अतिरिक्त बैटरियाँ
21.	माइक्रो आर सर्वे मीटर
22.	मिनी रेड मीटर
23.	जीएम सर्वे मीटर
24.	टैलि ट्रैक्टर
25.	पोर्टेबल अल्फा कंटैमिनेशन मॉनिटर
26.	फर्स्ट ऐड किट
27.	विकिरण टैग/चिन्ह

28.	पीए सिस्टम
29.	फिल्टर पेपर के साथ बैटरी चालित एयर सेंप्लर
30.	घेराबंदी हेतु टेप
31.	चिमटा (2 फुट) एवं 1 इंच मोटाई व 5 इंच डायमीटर का सीसे का बर्तन
32.	अतिरिक्त सिलेंडरों के साथ सांस लेने हेतु यंत्र

8.4 परमाणु विस्फोट के प्रभाव

परमाणु विस्फोट से होने वाले प्रभाव शस्त्र के आकार एवं प्रकार, विस्फोट की ऊंचाई (भूमि, हवा, ऊपरी वातावरण अथवा पानी), विस्फोट का स्थान (ग्राउंड जीरो), विस्फोट का समय और विभिन्न ऊंचाइयों पर हवा की स्थिति आदि पर निर्भर करते हैं. विस्फोट ऊर्जा आसपास के क्षेत्रों में तीन विभिन्न प्रकार से फैलती है : ब्लास्ट, थर्मल एवं न्यूक्लियर रेडिएशन. मोटे तौर पर भूमि से 180 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई पर 20kT विखंडन उपस्कर से हुए विस्फोट में ब्लास्ट, थर्मल एवं न्यूक्लियर रेडिएशन के रूप में निकली ऊर्जा का फैलाव (तुरंत एवं विलंबित दोनों) क्रमशः 50%, 35% व 15% होगा.

विस्फोट प्रभाव

बड़ी मात्रा में ऊर्जा का अचानक स्फटन आसपास की हवा में अत्यंत उच्च तापमान एवं दबाव उत्पन्न करता है, जिसके कारण बहुत अधिक गर्मी एवं संपीड़ित गैस निकलती हैं. गर्म एवं संपीड़ित हवा का विस्तार होता है और यह तेजी से बढ़ते हुए पानी अथवा भूमि (पानी के अंदर अथवा भूमिगत विस्फोट की स्थिति में) में शक्तिशाली विस्फोट तरंग अथवा शॉकवेव सृजित करती है, जिससे संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचता है अथवा कान के पर्दे फट जाते हैं. इसके साथ ही तूफान की तरह बहुत तेज आंधी (मजबूत ऋणआत्मक दबाव प्रक्रिया के फलस्वरूप) आती है, लोगों एवं वाहनों को उड़ाकर यहां से वहां गिरा देती है और एक दूसरे से टकराती है.

थर्मल प्रभाव

हवा के अत्यंत उच्च तापमान से बिजली की घनी चौंध उत्पन्न होती है और साथ ही बहुत तेज ताप विकिरण होता है, जो क्षेत्र के आधार पर कई किलोमीटर तक की दूरी में आग लगा सकता है तथा इससे तीसरे स्तर के जलने का खतरा होता है. अंततः ज्वलनशील पदार्थ इसकी चपेट में आने के कारण यह आग की आंधी का रूप ले लेता है.

प्रारंभिक परमाणु विकिरण

परमाणु विस्फोट के साथ ही उच्च स्तर की विकिरण फैलती हैं, जिन्हें प्रारंभिक विकिरण कहते हैं और यह पहले से ही थर्मल और ब्लास्ट तरंगों के कारण नष्ट हुए क्षेत्र में लोगों में विकिरण फैला

देती है. सामान्यतः, प्रारंभिक परमाणु विकिरण से अर्थ विस्फोट के एक मिनट के अंदर उत्सर्जित होने वाली विकिरण हैं.

रेडियोधर्मी पदार्थों का गिरना

अंततः, गैस अथवा धूल के कणों से जुड़ा अवशेष रेडियोधर्मी पदार्थ, जिसे धरती से ऊपर उठते हुए आग के गोले ने अपने साथ ऊपर ले लिया हो (विस्फोट की ऊंचाई के आधार पर यदि उसने भूमि को छुआ हो), धीरे धीरे हवा से नीचे आते हैं और विस्फोट के आकार-प्रकार एवं मौसम की स्थिति के आधार पर

यह सैकड़ों किलोमीटर अथवा अनेक टन क्षेत्र को संक्रमित कर देते हैं. इस प्रकार के रेडियोधर्मी पदार्थों का प्रभाव लोगों एवं पर्यावरण पर आने वाले कई वर्षों तक रहता है. यदि विस्फोट इष्टतम ऊंचाई कही जाने वाली ऊंचाई से अधिक दूरी पर हवा में होता है तो रेडियोधर्मी पदार्थों का गिरना अत्यधिक कम हो जाता है.

इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स (ईएमपी)

आयनीकृत विकिरण हवा में से गुजरते हुए बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन एवं अवशेष आयनों का निर्माण करती है. अति उच्च ऊँचाई पर इलेक्ट्रॉन्स के सांद्रण से रेडियो वेव बुरी तरह से प्रभावित होती हैं और विस्फोट की ऊंचाई के आधार पर इससे बड़े क्षेत्र में संप्रेषण प्रणाली में खराबी आ जाती है. इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट धरती के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है और इससे बड़े स्तर पर इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड की पल्स उत्पन्न होती हैं, जिन्हें ईएमपी कहा जाता है और यह बड़े क्षेत्र में संप्रेषण, कमांड एवं नियंत्रण केंद्र, विद्युत संयंत्र इत्यादि सहित असुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल प्रणालियों को नुकसान पहुंचाने में सक्षम होती है, जिसके कारण ब्लैक आउट, संप्रेषण में व्यवधान होता है और इससे बड़े स्तर पर आर्थिक हानि होती है.

1.विकिरण डोज़ की सीमाएं

वर्तमान में रेडियोधर्मी स्रोतों का उपयोग करने वाले संस्थानों सहित समस्त परमाणु सुविधाएं आईसीआरपी द्वारा वर्ष 1991 में अपनी रिपोर्ट आईसीआरपी-60 में दी गई विकिरण सीमाओं का अनुसरण कर रहे हैं. कुछ संशोधनों के साथ यह सिफारिशें एईआरबी द्वारा स्वीकार की गई हैं और हमारे देश में वर्ष 1991 से लागू हैं. आईसीआरपी द्वारा निर्धारित विकिरण की सीमाएं निम्नलिखित तालिका 1 में दी गई हैं :

आईसीआरपी-60 में उल्लिखित संस्तुति विकिरण डोज़ की सीमाएं

Application	Dose Limit	
	Occupational	Public
Effective dose	20 mSv per year averaged over defined period of 5 years [2]	1 mSv in a year
Annual equivalent dose in the i) lens of the eye	150 mSv	15 mSv
ii) skin	500 mSv	50 mSv
iii) hands and feet	500 mSv	-

टिप्पणी 1 : यह सीमाएं निर्धारित अवधि तथा इसी अवधि में ग्रहण की गई 50 वर्ष की समर्पित डोज़ (बच्चों के लिए 70 वर्ष की आयु) में बाहरी एक्सपोज़र से संबंधित डोज़ के जोड़ पर लागू होती हैं.

टिप्पणी 2 : आईसीआरपी के आगामी प्रावधान के अनुसार प्रभावी डोज़ किसी 1 वर्ष में 50mSv से अधिक नहीं होगी, एईआरबी ने भारत में इसमें और अधिक बंधन लगाया है कि यह 1 वर्ष में 30mSv से अधिक नहीं होगी. हालांकि आईसीआरपी की अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी.

2. परमाणु विकिरण के प्रभाव

स्वास्थ्य पर प्रभाव

विकिरण के अधिक एक्सपोजर अथवा शरीर में अंदर अथवा बाहर रेडियोधर्मी पदार्थों के जमा होने के कारण विकिरण चोट अथवा विकिरण प्रभाव हो सकते हैं, जिनका प्रभाव तत्काल अथवा व्यक्ति (व्यक्ति के ऊपर पड़ने वाले इन प्रभावों को दैहिक प्रभाव कहा जाता है) के जीवन काल में कभी भी हो सकता है अथवा इसके अनुवांशिक प्रभाव भी पड़ सकते हैं, जो कि आने वाली पीढ़ियों में देखे जा सकते हैं. तत्काल पड़ने वाले दैहिक प्रभावों में विकिरण रोग, व्यक्ति की मृत्यु तथा रेडियो संवेदनशील अंगों में बाद में पहुंचने वाले नुकसान हो सकते हैं. इस प्रकार के प्रभावों को नियतात्मक (तालिका 2) प्रभाव कहा जाता है तथा इसमें हेमाटोपोईएटिक सिंड्रोम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिंड्रोम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंड्रोम, न्योमोनाइटिस, कैटरेक्ट, स्टेरिलिटी, स्किन एरीथिमा, स्किन बर्न्स इत्यादि शामिल हैं. गर्भावस्था के दौरान विकिरण के एक्सपोज़र से जन्म-पूर्व मृत्यु, नवजात मृत्यु, मानसिक विक्षिप्तता, बचपन में कैंसर इत्यादि हो सकते हैं. विकिरण की चपेट में आने वाले व्यक्तियों की आने वाली पीढ़ियों में कैंसर व अनुवांशिक रोग होने की आशंका रहती है.

डोज़ (Gy)	प्रभाव
1.5 तक	कोई लघु अवधि प्रभाव नहीं
1.5-2.5	पहले 3-6 घंटे के बीच घबराहट एवं उल्टी, जो 24 घंटे तक रहती है. विकिरण चिकित्सा के 10-14 दिन के बाद यह लक्षण पुणे प्रकट होते हैं और 4 सप्ताह तक रहते हैं.
2.5-3.5	पहले 1-6 घंटे के बीच घबराहट एवं उल्टी, जो 1-2 दिन तक रहती है. विकिरण चिकित्सा के 1-2 सप्ताह बाद यह लक्षण पुणे प्रकट होते हैं और 6 सप्ताह तक रहते हैं. लगभग 30% प्रभावितों की मृत्यु हो जाती है.
3.5-6	पहले 1-6 घंटे के बीच घबराहट एवं उल्टी, जो 1-2 दिन तक रहती है. विकिरण चिकित्सा के 1-4 सप्ताह बाद यह लक्षण पुणे प्रकट होते हैं और 8 सप्ताह तक रहते हैं. लगभग 30-90% प्रभावितों की 2-12 सप्ताह की अवधि में मृत्यु हो जाती है.
6-10	पहले 15-30 मिनट के बीच घबराहट एवं उल्टी, जो 2 दिन तक रहती ह. लगभग 90-100% प्रभावितों की 1-6 सप्ताह की अवधि में मृत्यु हो जाती है
10-25	पहले 5-30 मिनट के बीच घबराहट एवं उल्टी, उच्च एक्सपोज़र की स्थिति में कोई निर्धारित अवधि नहीं. लगभग 100% प्रभावितों की 4-14 दिन में मृत्यु हो जाती है.
25 से अधिक	तुरंत घबराहट एवं उल्टी. 100% प्रभावितों की 1-2 दिन में ही मृत्यु हो जाती ह.

मनो- सामाजिक प्रभाव

विकिरण दुर्घटना अथवा परमाणु विस्फोट में विकिरण एक्सपोज़र होने से प्रभावित व्यक्तियों में दुर्घटना के प्रकार, दुर्घटना के

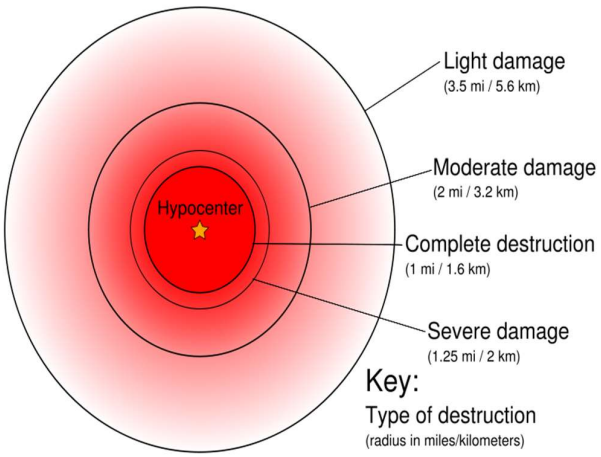

स्थान से रोगी की दूरी, रोगी के मानसिक अभिलक्षण, दुर्घटना के बाद समय बीतने आदि के आधार पर कई मनोरोग हो सकते हैं. विकिरण दुर्घटना के बाद होने वाले रोगों में शामिल हैं - चिंता, एक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (स्मृतियां, बुरे सपने, चिड़चिड़ापन, सामान्य दिनचर्या खराब हो जाना इत्यादि) निराशा, संवेदनशून्यता, अत्यधिक भय, डर अथवा उग्रता.

हाइपो सेंटर

1. हल्की क्षति
2. मध्यम क्षति
3. पूर्ण विध्वंस
4. गहन क्षति
5. कुंजी:

क्षति के प्रकार (व्यास मिल/ किलोमीटर में)

अध्याय - 9

रासायनिक आपदा प्रबंधन

भारत औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकीय क्षेत्र में विश्व स्तर पर अहम भूमिका निभा रहा है. तेजी से हो रहे उद्योगीकरण ने उद्योग एवं पर्यावरणीय जोखिमों, संकटों एवं संवेदनशीलता को बढ़ा दिया है. प्रमुख रासायनिक (औद्योगिक) आपदाएं हालांकि कम होती हैं, किंतु जान-माल की हानि एवं पर्यावरणीय कुप्रभावों के कारण यह अत्यंत महत्वपूर्ण हैं. देश में रासायनिक एवं पेट्रो-रासायनिक उद्योगों के तेजी से हो रहे विकास और संयंत्रों के आकार में वृद्धि व ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इनके भंडारण के कारण पिछले कुछ वर्षों में रासायनिक दुर्घटनाओं की संख्या एवं घातकता में काफी वृद्धि हुई है. देश में 1500 से अधिक एमएएच इकाइयां हैं तथा अन्य लघु एवं मध्यम स्तर के उद्योग हैं, साथ ही बहुत तेजी से नए उद्योग भी स्थापित हो रहे हैं. रसायनिक दुर्घटनाएं सुरक्षा उपायों में कमी, तकनीकी खराबी अथवा मानवीय गलती के कारण हो सकती हैं. इससे रासायनिक रिएक्शन, बड़े स्तर पर रासायनिक बहिस्राव, आग एवं विस्फोट जैसे अनियंत्रित संकट प्रारंभ होते हैं. इनसे मानव एवं गैर-मानवों में तुरंत अथवा दीर्घावधि कुप्रभाव पड़ते हैं. अतः यह अनिवार्य है कि सुरक्षित अभियांत्रिकी प्रक्रियाएं अपनाकर, उन्नत सुरक्षा उपस्करों के प्रयोग तथा नियमित निरीक्षण से मानवीय भूलों कमी लाकर इनसे सुरक्षा की जा सके.

आरवीए के अनुसार चण्डीगढ़ शहर के निम्नलिखित प्रतिष्ठान रासायनिक संकट की दृष्टि से संवेदनशील हैं :

क्र.सं.	औद्योगिक स्थान	संकट का प्रकार	संवेदनशील क्षेत्र
1.	औद्योगिक क्षेत्र फेस - I	रसायन बहिस्राव, अपप्रवाह, आग इत्यादि	सैक्टर 28, 29, सुखना-चो, संरक्षित वन
2.	औद्योगिक क्षेत्र फेस - II	रसायन बहिस्राव, अपप्रवाह, आग इत्यादि	सैक्टर 31, करसान पुनर्वास कॉलोनी
3.	औद्योगिक क्षेत्र फेस -III	रसायन बहिस्राव, अपप्रवाह, आग इत्यादि	मौली जागरां पुनर्वास कॉलोनी
4.	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	सीवर लीकेज, मीथेन गैस लीकेज, पेय जल प्रदूषण इत्यादि	सैक्टर 47 एवं 48, करसान पुनर्वास कॉलोनी

9.1 विभिन्न हितधारकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

रासायनिक आपदा प्रबंधन के संबंध में विभिन्न हितधारकों द्वारा उनकी प्रभावक्षमता में और अधिक वृद्धि करने की दृष्टि से निर्वाह की जाने वाले महत्वपूर्ण भूमिका को निम्नानुसार और अधिक स्पष्ट किया गया है :

क. रासायनिक उद्योगों को अपने पूर्ण दायित्व, जैसाकि पहले उल्लिखित किया गया है, बेहतर रूप से निभाने चाहिए. उद्योग एवं जिला प्रशासन के बीच पूर्ण समन्वय सुनिश्चित किया जाना चाहिए. रासायनिक उद्योग विशिष्ट रूप से निम्न समाधान भी करेगा :

1. उद्योग द्वारा उसकी आवश्यकता, आकार एवं रासायनिक आपदा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण उपचारात्मक उपाय के रूप में साधनों की उपलब्धता के आधार पर सुरक्षित प्रौद्योगिकी का चयन करना उसका विशेषाधिकार होगा.
2. ऑनसाइट आपातकालीन योजना एवं आवधिक छद्म अभ्यास.
3. पहले से चिन्हित एवं प्राधिकरणों की परस्पर सहमति वाले संसाधनों के साथ आपदा शमन, बचाव एवं पुनर्वास कार्य में जिला प्राधिकरण सहायता प्रदान करना.

ख. जिला प्राधिकरण स्थलीय आपातकाल योजना तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा यह अद्यतन एमएएच इकाइयों, वेबसाइट, नियंत्रण कक्ष इत्यादि से सुसज्जित होगा और साथ ही इसमें हर समय आपदा तैयारी के स्तर की निगरानी का भी प्रावधान होगा. रासायनिक आपदा प्रबंधन के संबंध में तैयारी की समीक्षा के लिए जिला प्रशासन/डीडीएमए द्वारा विभिन्न हितधारकों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जाएंगी.

ग. पुलिस सभी आपदा प्रबंधन योजनाओं का एक महत्वपूर्ण अंग होगी, क्योंकि वह दुर्घटनाओं/आपदाओं की जांच से जुड़ी होती है. पुलिस जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधियों के आने तक ऑफ-साइट स्थिति की संपूर्ण कमान अपने हाथ में रखेगी.

1. घातक रसायनों से जुड़े परिवहन आपातकाल की जांच के लिए पुलिस कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए. पुलिस कार्मिकों को आपातकाल स्थिति का सामना करने के लिए किसी दुर्घटना में शामिल घातक रसायन वाले वाहन के ड्राइवर के पास उपलब्ध सूचना का प्रयोग करना चाहिए.
2. यदि वाहन के ड्राइवर अथवा क्लीनर के विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही की जानी हो तो उसे जांच प्रक्रिया से अधिक प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए.

घ. अग्निशमन सेवाएं इस प्रकार की आपदा स्थिति में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता होती हैं तथा इससे संबंधित कार्मिकों को रसायनिक संकट का सामना करने के लिए उचित प्रकार से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और उनके पास समुचित उपस्कर भी होने चाहिए. अग्निशमन सेवाओं को उपस्कर एवं प्रशिक्षित कर्मियों के संबंध में आधुनिक बनाया जाना चाहिए. इस संबंध में रासायनिक आपातकाल से निपटने के लिए उन्हें शक्तियां प्रदान करने के लिए आवश्यक विनियम भी बनाए जाने चाहिए. अग्निशमन सेवाओं के क्रियाकलापों के संबंध में सामान्य अवधारणा यह है कि वह केवल आग बुझाने के लिए ही हैं. अग्निशमन सेवाओं को न केवल सामान्य आग बुझाने अपितु घातक रसायनों से लगने वाली आग को नियंत्रित करने के लिए भी तैयार किया जाना चाहिए. इस संबंध में एनएफ़एससी एवं फायर ब्रिगेड सेवा में संरचनात्मक एवं क्षमता विकास को प्राथमिकता के आधार पर संवर्धित किया

जाएगा. संपूर्ण अग्निशमन क्षेत्र को मजबूत बनाने तथा प्रशिक्षित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता विकास कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे.

च. राजस्व विभाग रासायनिक आपातकाल में स्थान खाली कराए जाने, शेल्टर तैयार करने और खाने की व्यवस्था आदि के लिए अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय करेगा.

छ. परिवहन विभाग रासायनिक संकट की स्थिति में आवश्यकता पड़ने पर तुरंत वाहनों की व्यवस्था करेगा.

ज. ऑफ साइट योजना में **सिविल सोसाइटी एवं निजी क्षेत्र** की भूमिका निर्धारित की जाएगी.

झ. स्वास्थ्य विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी प्रभावित व्यक्तियों को घटनास्थल पर तथा उन अस्पतालों/चिकित्सा केंद्रों में उपयुक्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए, जहां उन्हें घटना के बाद स्थानांतरित किया गया हो. साथ ही स्वास्थ्य विभाग प्रभावी स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए घटनास्थल के आसपास स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का नेटवर्क भी स्थापित करेगा तथा उसके द्वारा ऐसे उपचारात्मक उपाय भी किए जाएंगे जिससे कि कोई महामारी न फैले.

ट. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण की निरंतर निगरानी द्वारा यह पता लगाए जाने की आवश्यकता है कि उपचारात्मक उपाय आपातकाल की बिगड़ती हुई स्थिति के अनुसार हों. इसी निगरानी के निष्कर्षों के आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि यह क्षेत्र प्रवेश के लिए उपयुक्त है या नहीं. संक्रमण को समाप्त किए जाने का कार्य अन्य अभिकरणों व उद्योगों की सहायता से किए जाने की आवश्यकता होगी.

ठ. आपदा की प्रकृति एवं घातकता के अनुसार इनके प्रबंधन के लिए **एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ** विशेषज्ञ निकाय हैं. उनका विशेषज्ञता आधारित प्रशिक्षण एक अत्यंत प्रभावी उपचारात्मक उपाय है, जिसे आपदा तैयारी के उच्च मानकों को प्राप्त करने के लिए समय के अनुसार सुदृढ़ करने एवं बनाए रखने की आवश्यकता है. उन्हें औद्योगिक स्थलों पर सुरक्षा के लिए उत्तरदायी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जैसी अन्य स्थानीय एजेंसियों के साथ समन्वय करने की आवश्यकता है.

9.2 रासायनिक आपदाओं के संबंध में तैयारी

रसायनिक आपदाओं से संबंधित तैयारी के प्रमुख क्षेत्र निम्नानुसार हैं :

क. शिक्षा एवं प्रशिक्षण

रासायनिक आपदा प्रबंधन के संबंध में शिक्षा समस्त हितधारकों के लिए आवश्यक है. व्यावसायिक कॉलेजों में उपयुक्त करो पर पाठ्यक्रम में आपदा संबंधी विषय शामिल किए जाएंगे.

i) संगोष्ठियों, प्रदर्शनियों एवं प्रदर्शनों के रूप में नियमित शैक्षिक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा.

ii) देश की भौगोलिक स्थितियों के अनुसार विभिन्न भाषाओं में शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. आपदा संबंधित नियम पुस्तकें एवं पैंफलेट संबंधित क्षेत्र की

मातृभाषा में प्रकाशित किए जाएंगे जिससे कि कम पढ़े लिखे लोग भी उन्हें समझ सके.

iii) सर्व जन-समुदाय को संबंधित शिक्षाप्रद ज्ञान प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग किया जाएगा.

iV) विभिन्न स्तरों पर समस्त हितधारकों के लिए आपदा संबंधी ज्ञानवर्धक साहित्य उपलब्ध करवाया जाएगा.

आपदा संबंधी विभिन्न क्रियाकलापों के उपयुक्त कार्यान्वयन में प्रशिक्षण की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है. यह विभिन्न स्थलों पर रासायनिक संकट उत्पन्न करने वाले संभाव्य मूल कारणों को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

ख. उपयुक्त आधारभूत सुविधाओं का सृजन

ऑन-साइट एवं ऑफ-साइट योजनाओं दोनों में मूलभूत सुविधाओं का उपयुक्त सृजन रासायनिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए एक सुदृढ़ आधार के रूप में कार्य करेगा. यह मूलभूत सुविधाएं निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगी :

- बेहतर अभियांत्रिकी कार्यप्रणाली, बैकअप, निगरानी एवं रिकॉर्डिंग तथा आपातकालीन स्थितियों के ऑनसाइट प्रबंधन हेतु सुविधाओं के लिए व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रुप से प्रतिष्ठानों में मूलभूत सुविधाओं की पहचान, उपलब्धता एवं उनके लिए बजट प्रावधान.
- संपूर्ण विवरण के साथ संसाधनों की निदेशिका (स्रोत, उपलब्धता, संपर्क किए जाने वाले व्यक्तियों/ अधिकारियों के नाम/ पते/ फोन नंबर इत्यादि) तैयार कर उपलब्ध करवाना.
- सरकार द्वारा प्रोत्साहित लघु स्तर के उद्योगों तथा अन्य औद्योगिक समूह के संबंध में, यह सुझाव दिया जाता है कि आपदा प्रबंधन से संबंधित संसाधन उनके जोखिम मूल्यांकन के अनुपात में उपलब्ध करवाए जाएं.
- आपातकालीन स्थितियों में अन्य जिलों/राज्यों से संसाधनों के संग्रहण को ऑन-साइट एवं ऑफ-साइट योजनाओं में रखा जाना चाहिए.
- औद्योगिक (रासायनिक) आपदाओं तथा परिवहन आपातकाल के सक्षम प्रबंधन के लिए ऑफ-साइट प्रतिक्रियाकर्ता हेतु मूलभूत सुविधाओं का निर्धारण देश की आर्थिक एवं औद्योगिक उन्नति की दिशा में एक विकासपरक कदम है.

ग. क्षमता विकास

क्षमता विकास हेतु विकेंद्रित एवं कार्यशील संगठन की स्थापना और सहयोगात्मक सामाजिक-राजनीतिक वातावरण के सृजन हेतु मानव संसाधन एवं अवसंरचनात्मक सुविधाओं का संपूर्ण विकास अपेक्षित होता है. रासायनिक आपदाओं के प्रबंधन से जुड़े समस्त हितधारकों के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति, गतिशीलता, संयोजकता, ज्ञान संवर्धन एवं वैज्ञानिक उन्नयन संबंधी मूलभूत सुविधाओं के विकास पर उचित ध्यान दिया जाना अपेक्षित है. रासायनिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए क्षमता विकास तैयारी का एक महत्वपूर्ण घटक है.

घ. जागरूकता सृजन

एक सु-सूचित समाज उद्योग एवं स्थानीय प्राधिकरण दोनों के लिए बहुमूल्य होता है. समाज के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध उद्योग की अच्छी साख बनाते हैं. दोनों पक्षों द्वारा की जाने वाली बातचीत उचित समझ पैदा करती है और यह राई को पहाड़ बनने से रोकती है. समाज को जागरूक करने वाले क्रियाकलापों को प्रभावी बनाने के लिए एलसीजी के हितधारकों के बीच व्यापक विचार-विमर्श के उपरांत तैयार रणनीति के अनुसार कार्य प्रारंभ किए जाने चाहिए. इस प्रकार की रणनीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :

- **विश्वसनीयता** - यह सुनिश्चित किया जाना अत्यंत आवश्यक है कि समाज को उपलब्ध करवाई जाने वाली सूचना तथा इसके प्रसार के लिए किए जाने वाले क्रियाकलाप पूरी तरह से विश्वसनीय हों. क्योंकि एलसीजी में समस्त हितधारकों का प्रतिनिधित्व होता है और समाज में जागरूकता पैदा करना इनके कार्यों में से एक है, इसलिए संबंधित सूचना एवं क्रियाकलाप एलसीजी से अनुमोदित होने चाहिए और उन्हें उसकी ओर से जारी/प्रारंभ किया जाना चाहिए.

- **आवश्यकता आधारित** - उपलब्ध करवाई गई सूचना घातक रसायनों के संचलन तथा समाज से संबंधित औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटनाओं/संकट के प्रकार से संबंधित आवश्यकता आधारित होनी चाहिए. बहुत अधिक विवरण दिए जाने से बचना चाहिए.

- **नियमितता**
  एक ऐसी नियमित प्रणाली होनी चाहिए जिसमें समाज जब भी आवश्यकता पड़े तो स्वयं सूचना प्राप्त कर सके. साथ ही, इसमें सुधार तभी देखा जा सकता है जब जागरूकता/ज्ञानवर्धन क्रियाकलाप नियमित रूप से आयोजित किए जाएं.

- **सामुदायिक सूचना प्रतिनिधि (सीआईआर)**
  एलसीजी द्वारा एक उपयुक्त नोडल कर्मी को सीआईआर के रूप में कार्य करने के लिए पदनामित किया जाना चाहिए और उसकी औद्योगिक क्षेत्र में पहचान करवाई जानी चाहिए. इस प्रकार का व्यक्ति एलसीजी पर निरूपित प्रतिष्ठित एनजीओ से हो सकता है. सीआईआर औद्योगिक क्षेत्र में पहले से उपलब्ध सुविधाओं (व्याख्यान कक्ष, दृश्य- श्रव्य यंत्र इत्यादि) का उपयोग करेगा.

- **प्रभावी संप्रेषण**
  जारी की जाने वाली सूचना सरल, जहां तक संभव हो चित्रों सहित तथा स्थानीय भाषा और हिंदी व अंग्रेजी में जारी की जानी चाहिए. साथ ही, प्रभावी संप्रेषण के लिए यह काफी नहीं है कि सूचना परिचय के माध्यम से जारी की जाए. इसके साथ लगभग 2 घंटे की अवधि के नियमित जागरूकता सत्र भी आयोजित किए जाने चाहिए. सीडीएम को उचित प्रकार से समझने की के लिए व्याख्यान के साथ-साथ वीडियो का उपयोग भी श्रेयस्कर होता है. संप्रेषण प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित संख्या में सामाजिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए. सामान्य सूचना के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयोग में लाए जाने वाले रसायनों की भी जानकारी प्रदान की जानी चाहिए.

- **लक्ष्य समूह**

इन्हें एलसीजी के साथ चर्चा द्वारा सावधानीपूर्वक चयनित किया जाना चाहिए. समाज के साथ बातचीत करने वाले और उनका आदर पाने वाले स्कूल/कॉलेज के शिक्षक, विद्यार्थी, महिला-मंडलों एवं आवास कल्याण संघों के पदाधिकारी, अस्पताल प्रतिनिधि इत्यादि जैसे अभिमत निर्माता सामुदायिक जागरूकता प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं तथा इन्हें इसके लिए चयनित किया जाना चाहिए. इस प्रकार के प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों के लिए चुने जाने वाले लोगों की संख्या का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाना चाहिए.

- **अतिरिक्त क्रियाकलाप**

उपर्युक्त क्रियाकलापों को पूरक बनाने के लिए निगम वार्ड कार्यालय, राशन कार्यालय, अस्पताल/ चिकित्सा केंद्र, स्कूल/कॉलेज, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन इत्यादि जैसे आम आदमी की उपस्थिति वाले क्षेत्रों में सामुदायिक जागरूकता सूचना का प्रदर्शन किया जा सकता है. विभिन्न अन्य नवाचार/ सृजनात्मक साधनों जैसे शॉपिंग बैग, दूरभाष निदेशिका इत्यादि में प्रविष्टियां, जैसा कि एलसीजी द्वारा निर्णय लिया जाए, का भी प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है. सामुदायिक पर्वों का भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

च. चिकित्सा तैयारी

तैयारी में रासायनिक आपदाओं के प्रभाव की पहचान किया जाना शामिल होगा तथा इसमें चोट, रोग एवं जन-स्वास्थ्य समस्याओं और मानसिक आघातों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. ऑन-साइट एवं ऑफ-साइट आपातकालीन योजनाओं और अस्पतालों में संकट प्रबंधन सहित यह दवा की व्यवस्था एवं जन-स्वास्थ्य की देखभाल का कार्य भी करेगा. चिकित्सा तैयारी स्थानीय, जिला, राज्य, केंद्र सरकार स्वैच्छिक अभिकरणों की सहभागिता से योजना एवं कार्यप्रणाली की आवश्यकता का समाधान करेगी. इसमें विगत में आई आपदाओं से प्राप्त अनुभव के आधार पर समस्या समाधान को अवश्य शामिल किया जाना चाहिए. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) अस्पताल भी रासायनिक आपदाओं के चिकित्सा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

9.3 बचाव, राहत एवं पुनर्वास

बड़े स्तर की आपदाओं में राहत एवं पुनर्वास के लिए त्वरित एवं प्रभावी प्रतिक्रिया प्रणाली और दीर्घावधि समर्पित बचाव कार्यों की आवश्यकता होती है. राहत एवं बचाव उपायों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला निकायों, संस्थानों एवं उद्योगों के बीच टीमवर्क विकसित करने के लिए समन्वय जरूरी होता है. पुनर्वास एक व्यापक कार्य है और इसमें वह सभी कार्य शामिल है जो वित्त, शिक्षा, शेल्टर, सामाजिक एवं स्वास्थ्य पहलुओं के संबंध में स्थिति को सामान्य बनाने के लिए किए जाएं. आपदाओं में सक्षम एवं त्वरित प्रतिक्रिया ऑन- साइट एवं ऑफ-साइट आपातकालीन योजनाओं के समस्त हितधारकों की तैयारी पर निर्भर करती है. प्रतिक्रिया क्रियाकलाप बहु-संकट परिकल्पना पर आधारित होंगे जिससे कि जान-माल एवं पर्यावरण के संबंध में आपदा के प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके.

रासायनिक आपदाओं के मानसिक प्रभावों को मानसिक अभिक्रिया, आघात के पश्चात मानसिक तनाव एवं अन्य मनोरोगों के रूप में देखा जाता है तथा इनका समाधान किए जाने की आवश्यकता होती है. मानसिक आघात से ग्रसित लोगों के लिए मनोरोग चिकित्सकों द्वारा परामर्श दिया जाना चिकित्सा पुनर्वास का एक प्रमुख घटक है.

राहत एवं पुनर्वास कार्य तुरंत किए जाने चाहिए तथा इन्हें सभी हितधारकों के सामूहिक एवं विज्ञ प्रयासों से बेहतर रूप से निष्पादित किया जा सकता है.

9.4 वाहन दुर्घटनाओं के लिए मार्गदर्शी नियम

घातक रसायन अंतरराष्ट्रीय सीमा पार से लाए-ले जाए जाते हैं. अतः यह आवश्यक है कि विमान, जलयान, रेलवे, सड़क मार्ग अथवा पाइपलाइन इत्यादि के माध्यम से घातक पदार्थों के सुरक्षित परिवहन को सुनिश्चित किया जाए.

हवाई परिवहन

घातक पदार्थों का हवाई परिवहन अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) के घातक पदार्थ विनियम के अनुसार होना चाहिए, जो घातक पदार्थों की पैकेजिंग एवं लेबलिंग को शासित करते हैं. हवाई मार्ग से घातक पदार्थों के सुरक्षित परिवहन के लिए वर्ष 1982-83 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन (आईसीएओ) द्वारा तकनीकी निर्देश जारी किए गए हैं.

रेल परिवहन

घातक वस्तुओं के परिवहन के लिए रेलवे की अपनी सुरक्षा पुस्तिका है. परिवहन दुर्घटनाओं के प्रबंधन कि सभी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है. घातक रसायनों के परिवहन में लगे रेलवे कर्मियों को और अधिक जागरुक किया जाएगा. घातक पदार्थों विशेषत: पेट्रोलियम पदार्थों के रेल परिवहन में भी अंतरराष्ट्रीय नियमों का अनुपालन किया जाता है. तथापि, विषाक्त एवं घातक गैस/द्रव्य को सामान्यता बड़ी मात्रा में ले जाने की अनुमति नहीं होती, जैसा कि विकसित देशों में होता है.

सड़क परिवहन

भारत में बड़ी मात्रा में घातक पदार्थ सड़क मार्ग द्वारा लाए-ले जाए जाते हैं, जबकि समुद्र के मार्ग से घातक पदार्थों का केवल आयात व निर्यात ही होता है. रासायनिक आपदाओं की रोकथाम एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सड़क परिवहन एक बहुत कमजोर क्षेत्र है तथा, इसलिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय समाज सहित सभी उत्तरदाताओं के विकेंद्रित प्रयासों से परिवहन संकट की रोकथाम एवं प्रबंधन के लिए नए नियम, मार्गदर्शी सिद्धांत एवं सुविधाएं लाकर वर्तमान नियमों के दायरे में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सहायता से इसके समुचित समाधान सुनिश्चित करेगा.

पेट्रोलियम पदार्थों के सुरक्षित परिवहन के लिए कुछ विशिष्ट सुरक्षा प्रावधान

पेट्रोलियम परिवहन के विभिन्न साधनों से भेजे जाने वाला मुख्य घातक रसायन है. पेट्रोलियम उत्पादों में गैसोलीन (पेट्रोल), डीजल, संपीडित गैस तथा अन्य शामिल हैं. पेट्रोलियम नियमावली, 2002 में इसके रखरखाव एवं परिवहन इत्यादि के संबंध में लगभग सभी सुरक्षा पहलुओं का प्रावधान है. विशेष रूप से तरल उत्पादों के लिए उपर्युक्त नियमावली के अनुसार निम्नलिखित संस्तुतियां निर्धारित हैं :

क) घातक रसायनों के परिवहन के लिए लीकेज वाला कोई टैंक या कंटेनर उपयोग में नहीं लाया जाएगा.

ख) भरे हुए बैरल एवं ड्रम सीधे रखे जाने चाहिए.

ग) कोई भी जलयान, जहाज अथवा वाहन पेट्रोलियम पदार्थ नहीं ले जाएगा, यदि उसमें यात्री अथवा कोई ज्वलनशील पदार्थ हों.

घ) इस प्रकार का सामान लादने/उतारने तथा परिवहन के दौरान धूम्रपान, माचिस, लाइटर अथवा अन्य अग्नि उत्प्रेरक वस्तुओं का प्रयोग निषेध है.

च) सड़क मार्ग से पेट्रोलियम के परिवहन के लिए टैंक वाहन की सुरक्षा के कड़े प्रावधान अपेक्षित होते हैं. टैंक वाले वाहनों का निर्माण, जांच एवं रखरखाव पेट्रोलियम नियमावली, 2002 की तीसरी अनुसूची के अनुसार किया जाना चाहिए. टैंकर का निर्माण एवं वाहन पर उसे स्थापित करने का कार्य मान्यता प्राप्त निर्माता द्वारा निर्माण/अधिष्ठापन नक्शे के अनुसार ही किया जाना चाहिए. इस अनुसूची में टैंक वाहन के विभिन्न घटकों के बीच सही ढांचागत संबंध का विवरण भी दिया गया है.

अध्याय – 10

जैविक आपदाएं- जैविक आतंकवाद

परिभाषा

रोगजनक जीवों की प्राकृतिक पारदेशी गतिविधि के अलावा, उनका जैविक युद्ध एवं जैविक आतंकवाद के हथियार के रूप में संभाव्य उपयोग आज पहले से कहीं अधिक चिंता का विषय हो गया है. आतंकवादी समूहों द्वारा चेचक करने वाले जीवों तथा एंथ्रेक्स के प्रयोग से बहुत अधिक हानि एवं भय उत्पन्न हो सकता है. जैविक अभिकर्मक जीवित जीवाणु हैं तथा उनसे निर्मित विषाक्त उत्पाद लोगों, पशुओं और पौधों को मार सकते हैं अथवा उन्हें अशक्त बना सकते हैं. जैविक आतंकवाद को मुख्यतः लोगों को मारने, अपंग बनाने अथवा क्षति पहुंचाने के लिए जैविक अभिकर्मकों का उपयोग, के रूप में परिभाषित किया जा सकता है. इस प्रकार, जैविक आतंकवाद लोगों के बीच भय का वातावरण पैदा करने तथा बड़े स्तर पर लोगों को मारने की आतंकवादी गतिविधि है. हथियारों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जैविक अभिकर्मकों के तीन मूल रूप बैक्टीरिया, वायरस एवं टॉक्सिंस है. अधिकांश जैविक अभिकर्मकों को संवर्धित करना एवं उनका रखरखाव करना अत्यंत कठिन है. अधिकांश अभिकर्मक सूर्य की रोशनी में आने तथा अन्य पर्यावरणीय कारणों से बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं, जबकि अन्य जैसे एंथ्रेक्स काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं. जैविक अभिकर्मकों को हवा में स्प्रे करके, पशुओं में संक्रमित करके (जो वे मानवों में हस्तांतरित करते हैं) तथा खाद्य पदार्थों एवं पानी को संक्रमित करके फैलाया जा सकता है. संभावित रुप से सैकड़ों मानव रोगाणुओं को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तथापि जन-स्वास्थ्य प्राधिकरणों ने केवल कुछ को ही बड़े स्तर पर जान की हानि करने के लिए चिन्हित किया है.

10.1 कारण एवं आपूर्ति की पद्धति

समाज में अव्यवस्था फैलाने हेतु बड़े स्तर पर लोगों को हताहत करने में जैविक हथियारों के अधिक शक्तिशाली होने के कई कारण हैं. व्यापक स्तर पर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने तथा चयनित लक्ष्य को हानि पहुंचाने के लिए आतंकी संगठन किसी भी प्रकार के जैविक पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं, जो जैविक-हथियारों की श्रेणी में आते हैं :

- जैविक अभिकर्मकों को आसानी से उपलब्ध प्रौद्योगिकी के माध्यम से फैलाया जा सकता है. जैविक रोगाणुओं को लोगों में संक्रमण पैदा करने के लिए खेती में प्रयोग में लाए जाने वाले सामान्य स्प्रेयर से फैलाया जा सकता है. अपराधकर्ता बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित करने के लिए इन अभिकर्मकों को फैलाने हेतु हवा एवं तापमान जैसी प्राकृतिक मौसम परिस्थितियों का उपयोग कर सकता है, साथ ही मौजूदा भवन संरचनाओं (जैसे वातायन प्रणाली) अथवा परिवहन से संबंधित वायु फैलाव (जैसे सुरंग से गुजरने वाली सब-वे कारें) का भी प्रयोग किया जा सकता है.

- जैविक हथियार बनाने की लागत किसी अन्य शस्त्र प्रणाली की तुलना में काफी कम होती है.

जैविक अभिकर्मक के प्रसार की पद्धतियां एवं आपूर्ति तकनीकों में शामिल हैं :

- एयरोसोल - जैविक अभिकर्मक हवा में फैलाये जाते हैं, जिससे एक धुंध से बनती है जो मीलों तक फैल जाती है. सांस लेने पर यह रोगाणु शरीर में चले जाते हैं और मानव एवं पशुओं में महामारी फैला देते हैं.
- पशु - कुछ रोग कीटों एवं जानवरों, जैसे पिस्सू, चूहे, मक्खी, मच्छर एवं मवेशी आदि से फैलते हैं.
- खाद्य एवं जल संदूषण - कुछ रोगजनक जीव एवं विषैले तत्व खाद्य पदार्थों एवं पानी में जीवित रहते हैं. खाना पकाने तथा पानी उबालने से अधिकांश सूक्ष्म कीटाणु मर जाते हैं. कुछ सूक्ष्म कीटाणुओं पानी को एक मिनट तक उबालने से नष्ट हो जाते हैं, जबकि कुछ अधिक समय लेते हैं. इस संबंध में कृपया सरकारी निर्देशों का अनुसरण करें.
- एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में - कुछ संक्रामक अभिकर्मक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकते हैं. मनुष्य चेचक, प्लेग तथा लासा वायरस के संक्रमण के स्रोत होते हैं.

10.2 प्रकार

बड़े स्तर पर जनहानि के लिए तीन श्रेणियों के जैविक अभिकर्मक हैं. श्रेणी 'क' में आने वाले अभिकर्मकों से अत्यधिक भय एवं संघार और जन-स्वास्थ्य पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं. इन जैविक अभिकर्मकों की सूची तथा इनका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

- **एंथ्रेक्स** - एंथ्रेक्स रोग ग्राम-पॉजिटिव, अगतिशील *Bacillus anthracis* से होता है. एंथ्रेक्स सदियों से दुधारू पशुओं एवं शाकाहारी जीवों के लिए अभिशाप रहा है. औद्योगिक क्रांति के दौरान सांस द्वारा ग्रहण किया जाने वाला इसका एक रूप यूरोप के उन उद्योग के मजदूरों में ऑक्यूपेशनल पल्मोनरी रोग के रूप में देखा गया. सांस द्वारा फैलने वाला यह रोग अत्यंत घातक है. इसके जीवाणु दशकों तक सक्रिय रह सकते हैं तथा मानव श्वसन तंत्र के इष्टतम संक्रमण के लिए इसे अनुकूल कण के आकार में पीसा जा सकता है. एक्सपोज़र के मार्ग के आधार पर रोग के विभिन्न प्रकार देखे गए हैं. सांस द्वारा होने वाले एंथ्रेक्स के गैर-विशिष्ट लक्षण कई अन्य सामान्य बीमारियों के लक्षणों के समान होते हैं और प्रारंभिक क्लीनिकल अभिव्यक्ति अथवा रूटीन प्रयोगशाला जाचों के आधार पर इनमें भिन्नता नहीं की जा सकती. अतः, अत्यंत सघन चिकित्सा देखभाल किए जाने के बावजूद कई बार यह तेजी से बढ़ने वाले रोग के रूप में विकसित हो जाता है तथा पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है.

- **चेचक** - यदि चेचक को जैविक हथियार के रूप में प्रयोग में लाया जाए तो इससे जनसाधारण को भयंकर खतरा हो सकता है, क्योंकि जिन लोगों

ने टीकाकरण नहीं करवाया तथा उनका विशिष्ट इलाज नहीं किया गया तो, उनके बीच मृत्यु दर 30% अथवा अधिक होती है. चेचक अन्य सभी संक्रामक रोगों में सर्वाधिक घातक मानी जाती है और आज के समय में इसकी घातकता पहले के समय से कहीं अधिक है. चेचक का वायरस, जीन वायरस समूह का सदस्य है और यह काओपोक्स, वेकीनिया, एवं मोंकीपॉक्स से नजदीक से जुड़ा है. यह विशालतम ज्ञात डीएनए वायरस है तथा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यह ईट की तरह का दिखता है. यह वायरस कई प्रकार से फैलता है : सामान्यतः छोटी बूंदों, कभी-कभार एयरोसोल द्वारा, रोगी के शरीर के स्राव या घाव के सीधे संपर्क में आने से फैलता है. यदि रोगी खांसी करें अथवा छींकें अथवा उसे रक्तस्राव रोग हो तो इसके फैलने का खतरा बढ़ जाता है. आमतौर पर यह वायरस श्वसन तंत्र में प्रविष्ट करता है तथा फिर क्षेत्रीय लिंफ नोड में चला जाता है, जहां यह बढ़ता है. संक्रमण होने के 7 से 17 दिन (औसतन 12 से 14 दिन) के भीतर शरीर पर चकत्ते पड़ जाते हैं. चेचक के दाने तब तक संक्रमित रहते हैं जब तक की वह गिर न जाएं, जबकि छोटी चेचक दानों पर पपड़ी पपड़ी आने के बाद संक्रमित नहीं रह जाती.

- **प्लेग**-प्लेग शब्द का नाम आते ही जहन में अनायास ही कई दृश्य उभर आते हैं, क्योंकि इस रोग ने विश्व भर में लाखों लोगों की मृत्यु की ऐतिहासिक शक्यता को प्रदर्शित किया है. यह एक ऐसा रोग है जो गैर-गतिशील, ग्राम- नेगेटिव कोक्कोबासिलस *Yersinia pestis* से होता है. चिन्हित किए जाने पर इसका द्विध्रुवीय आकार सेफ्टी पिन की तरह दिखता है. *Pestis* के दो महत्वपूर्ण लक्षण जो इसे बी-अन्थ्रासिस से भिन्न करते हैं, वह हैं - व्यक्ति से व्यक्ति में संक्रमण तथा बीजाणु निर्माण में कमी. संक्रमित पिस्सू के काटने के उपरांत प्लेग का रोगाणु लिंफेटिक से रीजनल लिम्फ़ नोड में पहुंचता है, जहां वह बहुत तेजी से बढ़ता है. चेचक के उपरांत केवल यही एक ऐसा हथियार है जो बहुत विनाश करता है. आधुनिक हवाई यात्रा प्रणाली से प्लेग का प्रकोप अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है. हालांकि प्लेग का टीकाकरण उपलब्ध है, तथापि अब इसे उत्पादित नहीं किया जाता और यह एयरोसोल द्वारा किए गए संक्रमण के विरुद्ध भी सक्षमता प्रदर्शित नहीं करता.

- **बोटुलिज़्म**-बोटुलिज़्म अथवा बोटुलिनम विषैले पदार्थ घातक होते हैं. ये विषैले पदार्थ पशु, पौधे अथवा सूक्ष्मजीवों में उत्पन्न हो सकते हैं. ये पदार्थ मानवों में गंभीर बीमारियां पैदा करते हैं. अनेक प्राकृतिक विषैले पदार्थों को रासायनिक संश्लेषण द्वारा निर्मित किया जा सकता है अथवा उन्हें कृत्रिम रूप से भी उत्पन्न किया जा सकता है. विषैले पदार्थ प्राकृतिक एवं गैर-वाष्पशील होते हैं तथा सामान्य रूप से यह त्वचा से अंदर नहीं जाते, जैसाकि रासायनिक हथियारों के मामले में होता है. यह टॉक्सिन विभिन्न प्रकार के होते हैं तथा प्रतिरक्षा की दृष्टि से अलग होते हैं, अर्थात एक टॉक्सिन के विरुद्ध विकसित एंटीबॉडी दूसरे के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती. टाइप ए, बी और ई सामान्य तौर पर मानव में रोग उत्पन्न करती हैं. मनुष्यों में यह मौखिक, सांस लेने और घाव संक्रमण के द्वारा फैलती है.

खाद्य पदार्थों के संक्रमण अथवा एयरोसोल फैलने से काफी जनहानि होती है. बोटुलिज़्म की संवर्धन अवधि न्यूनतम 24 से 36 घंटे से लेकर कई दिनों तक हो सकती है.

टुलेरीमिया-टुलेरीमिया *Francisella tularensis* के कारण होता है, जो कि एक ग्राम-नेगेटिव और गतिशील कोकोबेसिलस है. यह एक जूनोटिक रोग है, जो मानवों में संक्रमित जानवरों के उत्तकों अथवा संक्रमित हिरण मक्खियों, मच्छरों अथवा टिक्स के काटने से होता है. यह वातावरण अथवा जानवरों के कंकालों में कई हफ्तों तक जीवित रहता है तथा फ्रोजन स्थिति में यह कई सालों तक जीवित रह सकता है. एंथ्रेक्स से अलग, जिसमें संक्रमण के लिए कई हजार जीवाणुओं की आवश्यकता होती है, यह 10 से 50 कीटाणुओं से ही बीमार कर सकता है. संक्रमण के 2 से 10 दिन की विकास अवधि में निमोनिया के लक्षण सामने आते हैं साथ ही भार में कमी व खांसी भी हो जाती है. इसके इलाज के लिए अन्य एमिनोग्लाइकोसाइड के साथ-साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन दी जाती है.

प्रभाव

किसी शहरी स्थान पर शस्त्र स्तर के अभिकर्मक से छोटा जैविक हमला भी बड़े स्तर पर रुग्णता एवं जनहानि कर सकता है. उदाहरण के लिए वाशिंगटन डीसी के आकार के किसी शहर पर 100 किलो एंथ्रेक्स रोगाणुओं का हवाई हमला 3 मिलियन से अधिक लोगों की जान ले सकता है.

10.3 रोकथाम एवं शमन उपाय : सुरक्षा के सामान्य उपाय

1. जनसाधारण को इस प्रकार के संकट और उससे जुड़े जोखिमों के बारे में शिक्षित एवं जागरूक किया जाना चाहिए :
   - केवल पका हुआ खाना तथा उबला/क्लोरीनीकृत/फिल्टर पानी ही ग्रहण किया जाना चाहिए.
   - कीटों एवं कृतांकों पर नियंत्रण के तुरंत उपाय करने चाहिए.
   - संदिग्ध एवं निश्चित संक्रमण-ग्रसित व्यक्तियों को चिकित्सीय देखरेख में अन्य लोगों से पृथक कर देना चाहिए.
2. जैविक हमलों से होने वाली जनहानि के प्रबंधन के लिए पहले ही सटीक रोग कि पहचान कर ली जानी चाहिए. निश्चित प्रयोगशाला रोग निदान के लिए विशेषज्ञ प्रयोगशालाएं स्थापित की जानी चाहिए.
3. मौजूदा रोग निगरानी प्रणाली तथा व्यक्तिगत नियंत्रण उपायों को सख्ती से कार्यान्वित किया जाना चाहिए.
4. संदिग्ध क्षेत्रों में कड़ाई से टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए.
5. जैविक हमले के प्रतिकूल प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सकों के ज्ञान एवं कौशल में संवर्धन किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. क्योंकि जैव-आतंकवाद से संबंधित संक्रमण की घटनाएं दुर्लभ ही होती हैं, अतः संभाव्य नए मामलों पर ध्यान रखने के लिए सृजनात्मक रणनीतियों की आवश्यकता होगी.

10.4 भारत में जैविक आपदा प्रबंधन के लिए कार्य योजना

जैविक संकट देश के भीतर अथवा बाहर (युद्ध की स्थिति में) स्थित क्षेत्र से हो सकता है. इस प्रकार की स्थिति का प्रबंधन प्रभावी रूप से तभी किया जा सकता है जब हमारे पास सुनियोजित आपदा योजना हो और साथ ही आपदा के उपरांत मूल्यांकन प्रक्रियाविधि भी उपलब्ध हो.

अंतः आपदा चरण :

यह दो आपदाओं के बीच की अवधि होती है, जिसमें प्रणाली विकास संबंधी पूर्व आपदा योजना तैयार की जानी चाहिए. इसका पता लगाने का सरलतम तरीका उस स्थिति का ध्यान रखना है जिसमें किसी एक विशेष क्षेत्र से एक ही प्रकार की बीमारी के कई रोगी चिकित्सा परामर्श लेने आएं.

(क) संकट प्रबंधन संरचना का गठन

- जिला, राज्य एवं केंद्र स्तर पर संकट प्रबंधन के लिए नोडल अधिकारियों का निर्धारण.
- जिला, राज्य एवं केंद्र स्तर पर महामारी के नियंत्रण के लिए केंद्र बिंदु का निर्धारण.
- सलाहकार समितियों - प्रशासनिक एवं तकनीकी, का गठन.
- जिला, राज्य एवं केंद्र स्तर पर स्थायी प्रचालन प्रक्रिया सहित आकस्मिक योजना का निर्माण.

(ख) निगरानी की पद्धति

- जिला, राज्य एवं केंद्र स्तर पर सूचना एकत्रित करने की पद्धति
- आंकड़ों के विश्लेषण का तरीका.
- संकट के समय जिले से राज्य एवं केंद्र स्तर पर सूचना के आदान-प्रदान की पद्धति.
- जिला, राज्य एवं केंद्र स्तर पर नियंत्रण कक्षों की स्थापना.

(ग) महामारी की जांच की पद्धति

- क्षेत्रीय जांच की पद्धति.
- सक्रिय निगरानी का तरीका.
- सहायक सुविधाओं का प्रबंध.

(घ) प्रयोगशालाओं द्वारा रोगाणुओं की पुष्टि

- जिला, राज्य एवं केंद्र स्तर पर प्रयोगशाला जांच की प्रणाली.
- प्रयोगशाला कार्यप्रक्रिया का गुणवत्ता नियंत्रण.

(ड) विभिन्न स्तर के कर्मियों को प्रशिक्षण

चेतावनी का पूर्व प्रभाव चरण (पूर्व पहचान)

पूर्व चेतावनी सिग्नल

अंतर्राष्ट्रीय जन-स्वास्थ्य महत्व की महामारी की पूर्व पहचान के लिए सभी स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों को संबंधित पूर्व चेतावनी सिग्नलों का ज्ञान होना जरूरी है. तत्संबंधी कुछ पूर्व चेतावनी सिग्नलों, जिनकी विशेषज्ञों द्वारा तुरंत जांच अपेक्षित होती है, में निम्नलिखित शामिल हैं :

- लघु संवर्धन अवधि में तीव्र संक्रमण के बाद जनहानि अथवा रोगों में अचानक वृद्धि.
- रक्त स्राव के साथ बहुत तेज बुखार.
- परिवर्तित सेंसोरीअम व मलेरिया के साथ बहुत तेज बुखार.
- प्लेग अथवा एंथ्रेक्स का एक भी संदिग्ध मामला.
- ऐसी बीमारियों के मामले जिन्हें उपलब्ध चिकित्सा एवं प्रयोगशाला सुविधाओं से पहचानना कठिन है तथा परंपरागत इलाज से ठीक न होने वाले रोग.
- उच्च मृत्यु दर के साथ विशिष्ट समय व स्थान पर बड़ी संख्या में रोग के मामले/मौतें.
- असामान्य चिकित्सा अथवा प्रयोगशाला परिणाम.

विशेषज्ञों के समूह द्वारा स्थानीय जन-स्वास्थ्य तंत्र का तुरंत ध्यान आकर्षित करने वाली समस्त घटनाओं की विस्तृत सूची तैयार किए जाने की आवश्यकता है.

- **<u>संदेह द्वारा</u> :**
  प्रबंधन योजना का लक्ष्य होना चाहिए कि बहुत पहले स्तर पर ही, विशेषतः सीमित क्षेत्र में, संकट की पहचान कर ली जाए. यह कार्य केवल स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों (गांव में ग्राम स्वास्थ्य गाइड ; उप-केंद्र स्तर पर बहु-प्रयोजन कामगार तथा पीएचसी स्तर पर पीएचसी चिकित्सक) द्वारा आने वाले संकट के खतरे को पहले ही भांपकर किया जा सकता है.

- **<u>आपातकालीन स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों की सतर्कता/निर्धारित प्रयोगशालाओं द्वारा पुष्टिकरण</u>** :
  पीएचसी स्तर पर रोग लक्षणों के उपचार के उपरांत, यदि जरूरत हो तो रोगाणुओं की पहचान के लिए राज्य की प्रतिष्ठित प्रयोगशाला अथवा चिकित्सा कॉलेज की सहायता प्राप्त की जानी चाहिए तथा विशिष्ट उपचार एवं प्रबंधन के लिए उनका मार्गदर्शन भी लिया जाना चाहिए.
- किसी महामारी के न होने की पुष्टि तक निरंतर सतर्कता एवं निगरानी बरतनी चाहिए.

<u>आपदा चरण</u> :
जब आपदाएं आएं तो निम्नलिखित कारवाई की आवश्यकता होगी :

जन-स्वास्थ्य नियंत्रण उपाय :
नियंत्रण उपायों का लक्ष्य निम्नलिखित जन-स्वास्थ्य उपायों से प्रारंभ में रोग को बढ़ने से रोकना तथा अंततः उसे समाप्त करना है :

- रोग के मामलों के निर्धारण के आधार पर सभी संक्रमित व्यक्तियों की पहचान.

- महामारी संबंधी एवं प्रयोगशाला अध्ययनों द्वारा पहचाने गए संक्रमण के स्रोत (रोगियों को अन्य लोगों से अलग रखना तथा उनका उपचार करना) को समाप्त अथवा कम करना.

- रोग के संचार पर रोक लगाना : बीमारी का फैलना उसके प्रसार के माध्यम पर निर्भर करता है, जिसे निम्नलिखित द्वारा रोका जा सकता है :

    - रोगियों के साथ सीधे संपर्क की संभावना को कम करके ;
    - रोगवाहकों पर नियंत्रण : कीटो/मच्छरों आदि पर नियंत्रण ;
    - खाद्य नियंत्रण ;
    - पर्यावरणीय नियंत्रण : पानी/हवा द्वारा संचालित ;
    - सीवरेज प्रणाली के माध्यम से नियंत्रण.

- खतरे में रहने वाले लोगों की सुरक्षा (सामुदायिक) : टीकाकरण एवं स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान ऐसे लोगों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली : त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली संकट की स्थिति में तुरंत कार्य प्रारंभ करने वाली एक स्विच की तरह की प्रक्रिया है, जिसे जैसे ही सक्रिय किया जाता है तो यह प्रबंधन रूपी वाहन को आपदा शमन के मार्ग पर गतिशील कर देती है.

- आपदा योजना को सतर्क एवं सक्रिय करने की प्रक्रिया.
- टीकाकरण सहित उपचारात्मक एवं निवारक चिकित्सा देखभाल के लिए क्षेत्रीय कार्यबल को तुरंत एकजुट करना.
- महामारी संबंधी प्रारंभिक सूचना की जांच करना.
- स्थिति का प्रारंभिक विश्लेषण करना.
- प्रयोगशाला सुविधाओं का प्रबंध.
- स्थिति की समीक्षा तथा आवश्यक कारवाई हेतु सलाह देने के लिए स्वास्थ्य सेवा सलाहकार समिति की आपात बैठक.
- निम्नलिखित की जांच करना :
    - सुरक्षा सावधानियां
    - मामलों की खोज

त्वरित प्रतिक्रिया बल की तैनाती

- संक्रमण के स्रोत का पता लगाना तथा संबंधित व्यक्ति को खोजना
- संक्रमण के समान स्रोत के लिए विशेष जांच
- रोग के प्रकार वह स्रोत तथा संचार के मार्ग की पहचान करने के लिए अन्वेषण आंकड़ों का विश्लेषण.
    - पारिस्थितिकीय आंकड़े
    - चिकित्सीय आंकड़े
    - महामारी संबंधी आंकड़े
    - प्रयोगशाला आंकड़े
    - कीटविज्ञान संबंधी आंकड़े

रोग को और अधिक फैलने से रोकने के लिए सामान्य नियंत्रण उपाय

- संपर्क में आने वाले व्यक्तियों एवं समुदाय के लिए सुरक्षा उपाय
- रोग के समान स्रोत जैसे खाना, पानी अथवा मच्छर इत्यादि पर नियंत्रण
- टीकाकरण, बड़ी संख्या में लोगों का आपातकालीन टीकाकरण तथा विशिष्ट टीकाकरण, बड़ी संख्या में रसायन-रोगनिरोध.

पश्च-आपदा चरण :

आपदा के उपरांत मूल्यांकन आपदा प्रबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण चरण है, जिससे कि प्रबंधन की कमियों को दूर किया जा सके तथा संपूर्ण स्थिति का भविष्य में मार्गदर्शन के लिए रिकॉर्ड रखा जाए, जिसके लिए निम्नलिखित उपाय आवश्यक हैं :

- नियंत्रण उपायों का मूल्यांकन
- लागत प्रभाविता
- महामारी के उपरांत किए जाने वाले उपाय
  - अनुभव सांझा करना
  - घटनाओं के प्रलेखन के लिए प्रक्रिया

जैविक आपदाओं के प्रबंधन का कार्य उपयुक्त सिद्धांतों एवं उपायों के आधार पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के साथ राज्य सरकार के स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए.

10.5 भावी योजना

जैविक-आतंकवाद के प्रबंधन की भावी योजना में शामिल किए जाने के लिए वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण एवं चिंतनीय कुछ मुख्य मुद्दे निम्नानुसार हैं :

- क्योंकि अनेक संभावित जैविक-हथियारों से सुरक्षा के लिए टीके विकसित किए जा चुके हैं तथा इनमें से कुछ का प्रयोग भी किया जा रहा है, अतः आवश्यक है कि प्राथमिकता के आधार पर लोगों का टीकाकरण कार्य प्रारंभ किया जाए.
- अन्य शेष अभिकर्मकों के लिए प्रतिरोधात्मक टीकों पर अन्वेषण कार्य कर उन्हें विकसित किया जाएगा.
- इस प्रकार के हमले से पहले, उस के दौरान तथा बाद में बड़े स्तर पर जन-जागरूकता पर बल दिया जाए.

योजना में जिन सामरिक नीतियों को शामिल किया जाना आवश्यक है, वे हैं - खतरे की सटीक गुप्त सूचना, भौतिक प्रतिरोधात्मक उपाय, चिकित्सा उपचार उपाय तथा चिकित्सकों, सहायक स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों एवं फर्स्ट एड प्रदाताओं को शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करना.

10.6 जैविक हमले/युद्ध की स्थिति में क्या करें वह क्या न करें

पहले :

बच्चे एवं वृद्ध लोग जैविक अभिकर्मकों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं. चिकित्सक/निकटतम अस्पताल से यह सुनिश्चित करें कि उनके लिए समस्त अपेक्षित अथवा परामर्शक टीकाकरण अद्यतन हों.

दौरान :

- जैविक हमले की स्थिति में जन-स्वास्थ्य अधिकारी आपको यह नहीं बता पाएंगे कि आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए. उन्हें यह निर्धारित करने में समय लगेगा कि किस प्रकार का रोग फैला है, इसका इलाज कैसे किया जाना है तथा इससे किसको खतरा है. इस प्रकार की आपदा की स्थिति में घर के दरवाजे व खिड़कियां बंद रखें.
- सरकारी समाचार तथा रोग के चिन्ह और लक्षणों, खतरे के स्थानों, दवाओं व टीकाकरण तथा यदि आप बीमार हों, तो कहां से इलाज कराएं आदि की जानकारी के लिए टीवी देखें, रेडियो सुनें अथवा इंटरनेट चेक करें.
- इस प्रकार के हमले का पहला सबूत यह होगा कि जब आप जैविक अभिकर्मक के कारण हुई बीमारी के लक्षण देखें.
- बीमारी के किसी भी प्रकार के लक्षण के प्रति सजग रहें, किंतु यह न मानें कि यह बीमारी हमले का ही परिणाम है.
- समझदारी से काम लें और स्वच्छता बनाए रखें.

तथापि, यदि आप अपने आसपास कोई असामान्य एवं संदिग्ध वस्तु देखें, तो:

- तुरंत दूर हट जाएं
- अपने सिर व नाक को अच्छे से ढक लें
- उन्हें साबुन व पानी से अच्छी तरह धोएं
- सरकारी निर्देशों के लिए मीडिया पर ध्यान दें
- बीमार होने पर तुरंत इलाज करवाएं

यदि आप जैविक अभिकर्मक की चपेट में आ जाएं, तो :

- अति सक्षम फिल्टर मास्क का प्रयोग करें
- बैग एवं कपड़ों जैसी संक्रमित वस्तुओं के निपटान के लिए सरकारी निर्देशों का अनुपालन करें
- साबुन लगा कर नहाएँ और साफ कपड़े पहनें
- चिकित्सा सहायता प्राप्त करें. यदि आवश्यक हो और आपको परामर्श दिया गया हो, तो अन्य लोगों से दूर रहें और अलग हो जाएं.

बाद में :

सभी प्रकार की सरकारी चेतावनियों एवं निर्देशों पर ध्यान दें तथा यह जानें कि क्या किया जाना है. जैविक हमले की स्थिति में चिकित्सा सेवाओं की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, यह सुविधाएं अलग प्रकार से दी जा सकती हैं. जैविक अभिकर्मक के एक्सपोज़र से निपटने के लिए मूलभूत जन-स्वास्थ्य प्रक्रिया एवं प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवाएं ठीक उसी

प्रकार की होती हैं जैसे कि किसी संक्रामक रोग के मामले में होती हैं. आपके लिए यह आवश्यक है कि आप रेडियो, टेलीविजन एवं आपातकालीन चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से दिए जाने वाले सरकारी निर्देशों पर ध्यान दें.

एनबीसी संकट के लिए उपस्कर

(100 लोगों के दल के लिए, जिन्हें 30-30 व्यक्तियों के समूह में 3 यूनिटों में बांटा गया है व 10 लोगों को रिजर्व में रखा गया है)

क्र.सं.	वस्तु का नाम	अपेक्षित मात्रा
1	टेलिटेक्टर	36
2	जीएम सर्वेमीटर	100
3	संक्रमण मॉनिटर	100
4	मिनीरैड मीटर	36
5	पोर्टबल अल्फा संक्रमण मॉनिटर	18
6	ईलेक्ट्रोनिक डोसीमीटर	500
7	बीटा गामा काउंटिंग सिस्टम	06
8	अल्फा काउंटिंग सिस्टम	02
9	बैटरी ओपरटेड एयर सेम्प्लर विद फ़िल्टर पेपर	36
10	माइक्रो सर्वे मीटर	36
11	अतिरिक्त सिलेंडरों के साथ श्वसन यंत्र	36
12	इंटीग्रेटेड हुड मास्क	54
13	2 कैनिस्टर के साथ रेसिपीरेटर (गैस मास्क)	500
14	ब्लूटाइल रबर दस्ताने (अंदर व बाहरी)	500
15	एनबीसी ओवर बूट्स	500
16	थर्मो न्यूमिनी सेट डोजीमीटर	500
17	रेस्पिरेटर	100
18	जल विषाक्तता जांच किट	18
19	अवशेष वाष्प जांच किट	18
20	तीन रंगों का जांच पेपर	500
21	व्यक्तिगत असंक्रमण किट	500
22	ऑटो इजेक्टर किट	250
23	एनबीसी फर्स्ट एड किट टाइप ए	72
24	एनबीसी फर्स्ट एड किट टाइप बी	12
25	पोर्टेबल असंक्रमणीय यंत्र	36
26	एनबीसी असंक्रमणीय सूट	200
27	एनबीसी पारगम्य सूट -IV	500
28	पोर्टेबल गामा स्पेक्ट्रोमीटर	02
29	सीडब्लू सैंपलिंग किट	24
30	असंक्रमणीय किट	18
31	आयोडेट टैबलेट	4500
32	Naps टैबलेट (60 mg/20 गोलियों का पैक)	600
33	हेजमेट वाहन	01

एनबीसी आपातकाल लिए उपस्कर

जांच एवं स्थल उपस्कर		
क्र.सं.	**वस्तु का नाम**	**अपेक्षित मात्रा**
1	प्लास्टिक शीट **(**मीटर**)**	900
2	कॉम्फो रेस्पिरेटर के साथ प्लास्टिक सूट	40
3	प्लास्टिक बैग 2′x 3′	1000
4	घेराबंदी हेतु टेप 100 मीटर रोल	400
5	लेटेक्स दस्ताने (जोड़े)	1000
6	चिमटे (2 फुट)	80
7	हताहत बैग (पूरे)	50
8	हताहत बैग (आधे)	25
9	चिकित्सा ट्राइइज (50 मीटर सेट**)**	50
10	ब्लीचिंग पाउडर **(**किलो**)**	600

अध्याय - 11
आपदा के दौरान क्या करें क्या ना करें तथा आपदा से निपटने की तकनीके

11.1 बाढ़

क्या करें

1. अद्यतन सूचना एवं सलाह के लिए नियमित रूप से TV देखें और रेडियो एवं जन-सूचनाओं को सुनें.
2. सभी विद्युत उपकरणों को डिसकनेक्ट कर दें तथा यदि पहले से चेतावनी दी गई हो तो सभी व्यक्तियों तथा मूल्यवान घरेलू वस्तुओं को बाढ़ के पानी से दूर ले जाएं.
3. वाहनों, आवश्यक वस्तुओं, पालतू पशुओं तथा चल संपत्ति को आसपास के किसी ऊंचे स्थान पर ले जाएं.
4. गैस बंद कर दें अथवा यदि आप घर छोड़कर कहीं अन्यत्र स्थान पर जा रहे हों तो इसे अपने साथ ले जाएं.
5. सुरक्षित स्थान पर जाने से पहले सभी खिड़कियों व दरवाजों को बाहर से ताला लगा दें.
6. यदि आपको घर खाली करके जाना पड़े, तो तब तक वापस ना लौटे जब तक आप को निर्देश दिए जाएं.

क्या न करें

1. किसी सहायता के बिना बाढ़ के पानी में न जाएं.
2. बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के आसपास न घूमें.
3. पानी अथवा अज्ञात दुर्लभ क्षेत्र व पानी के प्रवाह में वाहन न चलाएं.
4. बाढ़ के पानी से संक्रमित खाद्य पदार्थ न खाएं और पानी भी न पिएं.

भूकंप आने पर घर के अंदर, बाहर अथवा कार में होने की स्थिति में क्या करना चाहिए

इनडोर

1. भूकंप के झटकों के रुकने तथा आश्वस्त होने की अब बाहर निकलना सुरक्षित है, की स्थिति तक घर के अंदर रहें.
2. शीशे की खिड़कियों से दूर रहें, क्योंकि भूकंप के दौरान यह सब से पहले टूटती हैं.
3. भूकंप के दौरान तथा बाद में मोमबत्ती, माचिस अथवा लाइटर का प्रयोग न करें.
4. यदि गैस लीक हुई होगी तो विस्फोट हो सकता है.

आउटडोर

1. भवनों, पेड़ों, गिरी हुई बिजली की तारों से दूर सुरक्षित क्षेत्र में चले जाएं.
2. झटके रुकने तक जमीन पर लेटे रहें.
3. आसपास के खतरों के प्रति सजग रहें और जरूरत पड़ने पर वहां से हट जाएं.

कार में

1. भूकंप के झटके रुकने तक कार के अंदर ही रहें. यदि आप कार चला रहे हों तो सड़क के किनारे होकर कार रोक लें.

2. यदि लगे कि आपकी जान को खतरा है तो ईएमएस को फोन करें.
3. भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलों अथवा रैंप का प्रयोग न करें.

11.3 ग्रीष्म लहर

क्या करें

1. अद्यतन सूचना एवं सलाह के लिए जन-घोषणाएं सुनें.
2. अपने कार्य सुबह खत्म कर लें अथवा उन्हें शाम के लिए छोड़ दें.
3. बाहर जाते समय पर्याप्त मात्रा में पानी पीएं और खाना खाएं.
4. अपने सिर को सीधी धूप से बचाएं. गीले कपड़े, टोपी, छाता वह चश्मे का प्रयोग करें.
5. अपने साथ पानी रखें.
6. हल्के कपड़े पहनें.

क्या न करें

1. सीधी धूप में खड़े होने से बचें.
2. लंबी ड्राइव से बचें.
3. अचेत होने की स्थिति में पानी पीने से बचें.

11.4 आग

आग को नियंत्रित कैसे करें

1. आग के लिए जिम्मेवार त्रिकोण - ऑक्सीजन, इंधन एवं गर्मी, को तोड़ें.
2. आग की श्रृंखला अभिक्रिया को बाधित करें.
3. अग्निशामक का प्रयोग करें.

कार्यालय में आग लगने पर क्या करें, जब

क. कमरे में फंस जाएं

1. दरवाज ढूंढें.
2. कमरे से धूयँ को बाहर रखने के लिए के नीचे गीला कपड़ा लगाएं.
3. कमरे की खिड़की से कोई वस्तु नीचे लटका दें, जिससे लोगों का ध्यान आकर्षित हो.

ख. बरामदे में धुआं हो

1. अपने कमरे में रहें.
2. कमरे से धूयँ को बाहर रखने के लिए के नीचे गीला कपड़ा लगाएं.
3. बरामदे से बचकर बाहर निकलने के लिए जमीन पर लेटकर जाएं.

ग. कपड़ों में आग लग जाए

1. आग बुझाने के लिए पानी डालें.
2. ऑक्सीजन की आपूर्ति रोकने के लिए कंबल का प्रयोग करें.
3. पीड़ित व्यक्ति के बचाव में बाधक कपड़े व आभूषण उतार दें.

अनुलग्नक-I

उपमंडल - पूर्व
एसडीएम का नाम : श्री अर्जुन शर्मा, आईएएस, 2679010 (का.)

एएसपी/एसडीपीओ का नाम : डॉ गुर इकबाल सिंह सिद्धू, आईपीएस, (9779580988), 2750053 (का.)

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ		
		उप-प्रभागीय अभियंता	सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता	फील्ड स्टाफ
पुलिस स्टेशन - पूर्व	श्री बी के धवन, कार्यपालक अभियंता डिवीजन-3, चण्डीगढ़ (98725-11246)	श्री विजय प्रेमी, एसडीई-7, # 1271, सैक्टर 22-बी, चण्डीगढ़ (9872511245)	श्री अंग्रेज सिंह 9872511366	इलेक्ट्रीशियन-1 डीजल मैकेनिक-1 फिटर-1 हेल्पर-4
पुलिस स्टेशन-19, एसएचओ, श्री अश्विनी कुमार (9779580919)		श्री विजय प्रेमी, एसडीई-7, # 1271, सैक्टर 22- बी, चण्डीगढ़ (9872511245)	श्री यशपाल शर्मा 9872511351	इलेक्ट्रीशियन-1 डीजल मैकेनिक-1 फिटर-1 हेल्पर-4
पुलिस स्टेशन इंडस्ट्रियल एरिया, जेड पी खान (9779580929)		श्री विजय प्रेमी, एसडीई-7, # 1271, सैक्टर 22-बी, चण्डीगढ़ (9872511245)	श्री हरमिंदर सिंह 9872511241	इलेक्ट्रीशियन-1 डीजल मैकेनिक-1 फिटर-1 हेल्पर-4
पुलिस स्टेशन मनीमाजरा, श्री करमचंद (9779580950)		श्री गुरमुख सिंह, एसडीई (9872511251)	श्री आई डी शर्मा 9872511231	इलेक्ट्रीशियन-1 डीजल मैकेनिक-1 फिटर-1 हेल्पर-4
पुलिस स्टेशन 26, एसएचओ, श्री जसपाल भुल्लर (9779580926)				

उपमंडल – दक्षिण
एसडीएम का नाम : श्री सौरभ मिश्रा, 267601 (का.)
एएसपी/एसडीपीओ का नाम : डॉ नवदीप सिंह बराड़, आईपीएस, 9779580912, 2676000(का.)

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ		
		उप-प्रभागीय अभियंता	सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता	फील्ड स्टाफ
पुलिस स्टेशन – दक्षिण	श्री श्याम लाल, कार्यपालक अभियंता, नगर निगम जन स्वास्थ्य-1 9872511229	श्री हरीश कुमार सैनी, एसडीई-10 9872511254	श्री परमिंदर सिंह 9878040260	इलेक्ट्रीशियन-1 डीजल मैकेनिक-1 फिटर-1 हेल्पर-4
पुलिस स्टेशन-31, एसएचओ, सुश्री गुरजीत कौर (9779580931)		श्री हरीश कुमार सैनी, एसडीई-10 9872511254	श्री परमिंदर सिंह 9878040260	इलेक्ट्रीशियन-1 डीजल मैकेनिक-1 फिटर-1 हेल्पर-4
पुलिस स्टेशन-34, एसएचओ श्री अजय कुमार (9779580934)		श्री हरीश कुमार सैनी, एसडीई-10 9872511254	श्री परमिंदर सिंह 9878040260	इलेक्ट्रीशियन-1 डीजल मैकेनिक-1 फिटर-1 हेल्पर-4
पुलिस स्टेशन-36, एसएचओ, श्री नसीब सिंह (9779580936)		श्री हरीश कुमार सैनी, एसडीई-10 9872511254	श्री जयदेव 9872511234	इलेक्ट्रीशियन-1 डीजल मैकेनिक-1 फिटर-1 हेल्पर-4
पुलिस स्टेशन-39, एसएचओ, श्री राजदीप सिंह (9779580939)		श्री हरीश कुमार सैनी, एसडीई-10 9872511254	श्री निर्मल सिंह 9872511234	इलेक्ट्रीशियन-1 डीजल मैकेनिक-1 फिटर-1 हेल्पर-4

उपमंडल – सेंट्रल
एसडीएम का नाम : श्री विराट, एचसीएस 2700115 (का.)
एएसपी/एसडीपीओ का नाम : श्री सतीश कुमार, आईपीएस, (9779580908), (2700357) (का.)

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ		
		उप-प्रभागीय अभियंता	सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता	फील्ड स्टाफ
पुलिस स्टेशन सेंट्रल	श्री श्याम लाल, कार्यपालक अभियंता, नगर निगम जन स्वास्थ्य-1 9872511229	श्री योगेश अग्रवाल, एसडीई-1 9872511336	श्री राकेश कुमार 9872511235	इलेक्ट्रीशियन-1 डीजल मैकेनिक-1 फिटर-1 हेल्पर-4
पुलिस स्टेशन उत्तर		श्री योगेश अग्रवाल, एसडीई-1 9872511336	श्री राजेंद्र कुमार 9872511338	इलेक्ट्रीशियन-1 डीजल मैकेनिक-1 फिटर-1 हेल्पर-4
पुलिस स्टेशन पश्चिम		श्री योगेश अग्रवाल, एसडीई-1 9872511336	श्री जगदीश सिंह 9872511337	इलेक्ट्रीशियन-1 डीजल मैकेनिक-1 फिटर-1 हेल्पर-4
पुलिस स्टेशन-17, एसएचओ, श्री मर्निंदर सिंह 9779580917		श्री योगेश अग्रवाल, एसडीई-1 9872511336	श्री जगदीश सिंह 9872511337	इलेक्ट्रीशियन-1 डीजल मैकेनिक-1 फिटर-1 हेल्पर-4
पुलिस स्टेशन-03, एसएचओ, श्री शेर सिंह 9779580933		श्री योगेश अग्रवाल, एसडीई-1 9872511336	श्री जगदीश सिंह 9872511337	इलेक्ट्रीशियन-1 डीजल मैकेनिक-1 फिटर-1 हेल्पर-4
पुलिस स्टेशन-11, एसएचओ, श्री लखबीर सिंह 9779580911		श्री योगेश अग्रवाल, एसडीई-1 9872511336	श्री जगदीश सिंह 9872511337	इलेक्ट्रीशियन-1 डीजल मैकेनिक-1 फिटर-1 हेल्पर-4

अनुलग्नक-I

उपमंडल - पूर्व
एसडीएम का नाम : श्री अर्जुन शर्मा, आईएएस, 2679010 (का.)
एएसपी/एसडीपीओ का नाम : डॉ गुरइकबाल सिंह सिद्धू, आईपीएस,(9779580988),2750053

पुलिस स्टेशन	एसएचओ	संपर्क नं.
पुलिस स्टेशन-19	श्री अश्विनी कुमार	(9779580919, 2700364)
पुलिस स्टेशन - इंडस्ट्रियल एरिया	श्री जेड पी खान	(9779580929, 2679013)
पुलिस स्टेशन मनीमाजरा	श्री करमचंद	(9779580950,2751020)
पुलिस स्टेशन-26	श्री जसपाल भुल्लर	(9779580926, 2750049)

उपमंडल – दक्षिण
एसडीएम का नाम : श्री सौरभ मिश्रा, 267601 (का.)
एएसपी/एसडीपीओ का नाम : डॉ नवदीप सिंह बराड़, आईपीएस, 9779580912, 2676000(का.)

पुलिस स्टेशन	एसएचओ	संपर्क नं.
पुलिस स्टेशन-31	सुश्री गुरजीत कौर	(9779580931, 2679023)
पुलिस स्टेशन-34	श्री अजय कुमार	(9779580934, 2676034)
पुलिस स्टेशन-36	श्री नसीब सिंह	(9779580936, 2676031)
पुलिस स्टेशन-39	श्री राजदीप सिंह	(9779580939, 26770391)

उपमंडल – सेंट्रल
एसडीएम का नाम : श्री विराट, एचसीएस 2700115 (का.)
एएसपी/एसडीपीओ का नाम : श्री सतीश कुमार, आईपीएस, (9779580908),(2700357) (का.)

पुलिस स्टेशन	एसएचओ	संपर्क नं.
पुलिस स्टेशन-17	श्री मनिंदर सिंह	(9779580917, 2700453)
पुलिस स्टेशन-03	श्री शेर सिंह	(9779580933, 2760008)
पुलिस स्टेशन-11	श्री लखबीर सिंह	(9779580911, 2760002)

नगर निगम - सड़क विंग
उप मंडल - पूर्व
नगर निगम सड़क प्रभाग संख्या 2, नगर निगम, चण्डीगढ़

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ		
		उप-प्रभागीय अभियंता	सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता	फील्ड स्टाफ
पुलिस स्टेशन पूर्व	श्री जयपाल सिंह, कार्यपालक अभियंता, सड़क प्रभाग संख्या 2, नगर निगम, चण्डीगढ़ (9915701344)	श्री पी के अग्रवाल, उप प्रभागीय अभियंता, सड़क उप प्रभाग संख्या 2, नगर निगम, चण्डीगढ़ (9872511307)	श्री संदीप कुमार,कनिष्ठ अभियंता, (9872511143), श्री सुरेश हांडा, कनिष्ठ अभियंता	श्री सुरेश हांडा
पुलिस स्टेशन - इंडस्ट्रियल एरिया	-वही-	-वही-	श्री तरलोचन सिंह, कनिष्ठ अभियंता (9872511140)	
पुलिस स्टेशन मनीमाजरा	-वही-	श्री गुरु चरण दास, सड़क उप प्रभाग संख्या 2, नगर निगम, चण्डीगढ़ (9872511225)	श्री अनुराग बिश्नोई, कनिष्ठअभियंता (9872511362)	श्री अमरीक सिंह, कार्य मुंशी (98767-04418)
पुलिस स्टेशन-26	-वही-	श्री सुधीर नारंग, सड़क उप प्रभाग संख्या 4, नगर निगम, चण्डीगढ़ (9872511139)	श्री दलबीर सिंह, कनिष्ठ अभियंता (9915711417)	श्री सुरेश चंद, मोर्टार मेट
पुलिस स्टेशन-19	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
पुलिस स्टेशन-31	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

उप मंडल - दक्षिण

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ		
		उप-प्रभागीय अभियंता	**सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता**	**फील्ड स्टाफ**
पुलिस स्टेशन दक्षिण	श्री जोरावर सिंह, कार्यपालक अभियंता, प्रभाग संख्या. 1, नगर निगम, चण्डीगढ़ 9872511192	श्री भूपेंद्र सिंह, एसडीई # 779, सैक्टर 69, मोहाली 9872511230	श्री राम सिंह,# 552, सैक्टर 22 ए, चण्डीगढ़ 9872511134) श्री जितेश शर्मा	श्री अमरीक सिंह, # 3094, सैक्टर 38 डी, चण्डीगढ़ श्री जगतार सिंह
पुलिस स्टेशन-39	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
पुलिस स्टेशन-36	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

उपमंडल – सेंट्रल

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ		
		उप-प्रभागीय अभियंता	सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता	फील्ड स्टाफ
पुलिस स्टेशन- सेंट्रल	श्री इंद्रजीत गुलाटी, कार्यपालक अभियंता, सड़क प्रभाव, सं. 1, नगर निगम, चण्डीगढ़ (9872937600)	श्री मनिंदर सिंह, उप प्रभागीय अभियंता, SDER-1, नगर निगम, # 918, फेस 7, मोहाली (8427778918)	श्री हरजिंदर सिंह, कनिष्ठ अभियंता (सीडीसी), # 1362,सैक्टर 23, चण्डीगढ़ (9915711471)	श्री हरजिंदर सिंह, कार्य मुंशी, # 1362,सैक्टर 23, चण्डीगढ़ (9915711471)
पुलिस स्टेशन- उत्तर	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

नगर निगम- बागवानी विभाग

उपमंडल – पूर्व

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ		
		उप-प्रभागीय अभियंता	सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता	फील्ड स्टाफ
पुलिस स्टेशन पूर्व	श्री के पी सिंह, कार्यपालक अभियंता, बागवानी विभाग, नगर निगम, चण्डीगढ़ (9872511160)	श्री के पी सिंह, कार्यपालक अभियंता, (9872511160) श्री सुभाष चौधरी, (9872511259)	श्री स्वतंत्र सिंह, (9915711493) श्री हरिमोहन मीणा (9915699776)	श्री हरविंदर सिंह. सुपरवाइजर श्री वीर बहादुर, बागवानी सुपरवाइजर
पुलिस स्टेशन- 19	-वही-	-वही-	-वही-	श्री हितेंद्र कुमार, इलेक्ट्रीशियन
पुलिस स्टेशन - इंडस्ट्रियल एरिया	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
पुलिस स्टेशन - 31	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
पुलिस स्टेशन मनीमाजरा	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

उपमंडल- दक्षिण

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ		
		उप-प्रभागीय अभियंता	सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता	फील्ड स्टाफ
पुलिस स्टेशन दक्षिण	श्री के पी सिंह, कार्यपालक अभियंता, बागवानी विभाग, नगर निगम, चण्डीगढ़ (9872511160)	श्री प्रितपाल सिंह, एसडीई (9915711482)	श्री अश्विनी कुमार (98972511162) Sh. श्री किरणदीप (9915711492)	श्री रविंद्र सिंह, बागवानी पर्यवेक्षक
पुलिस स्टेशन-39	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
पुलिस स्टेशन-36	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

उपमंडल – सेंट्रल

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ		
		उप-प्रभागीय अभियंता	सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता	फील्ड स्टाफ
पुलिस स्टेशन- सेंट्रल	श्री के पी सिंह, कार्यपालक अभियंता, बागवानी विभाग, नगर निगम, चण्डीगढ़ (9872511160)	श्री सुभाष चौधरी, (9872511259)	श्री जंगशेर सिंह (9872511163) श्री नवजीत सिंह (9872511121) श्री हरिमोहन मीणा (9915699776)	श्री जसविंदर सिंह, श्री वीर बहादुर, पर्यवेक्षक, श्री राकेश कुमार
पुलिस स्टेशन- उत्तर	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
पुलिस स्टेशन - दक्षिण	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

नगर निगम- स्ट्रीट लाइट विंग
उप मंडल- पूर्व

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ		
		उप-प्रभागीय अभियंता	सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता	फील्ड स्टाफ
पुलिस स्टेशन पूर्व	श्री एस पी सिंह, कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग, नगर निगम, चण्डीगढ़ (9815652636)	श्री कुलदीप सिंह, एसडीई, प्रभाग सं.1,नगर निगम, चण्डीगढ़ 98725-11144	श्री संजीव कुमार, कनिष्ठ अभियंता (9646754338)	श्री सोहन सिंह, इलेक्ट्रीशियन श्री दलजीत सिंह, इलेक्ट्रीशियन
पुलिस स्टेशन मनीमाज		-वही-	-वही-	श्री हरिंदर कुमार, इलेक्ट्रीशियन
पुलिस स्टेशन-19		-वही-	श्री वरिंदर पाल सिंह, कनिष्ठ अभियंता (8146660517)	श्री कुलदीप, इलेक्ट्रीशियन श्री संजय रावत, इलेक्ट्रीशियन
पुलिस स्टेशन-15		-वही-	श्री गुरुप्रीत सिंह, कनिष्ठ अभियंता (8146360009)	श्री बलवीर सिंह, इलेक्ट्रीशियन श्री बलजिंदर सिंह, इलेक्ट्रीशियन
पुलिस स्टेशन - इंडस्ट्रियल एरिया		-वही-	-वही-	-वही-
पुलिस स्टेशन - 31		-वही-	-वही-	-वही-

नगर निगम सड़क प्रभाग सं. 1, नगर निगम, चण्डीगढ़
उप-मंडल - सेंट्रल

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ		
		उप-प्रभागीय अभियंता	सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता	फील्ड स्टाफ
पुलिस स्टेशन-		श्री मनिंदर सिंह, उप प्रभागीय अभियंता,	श्री हरजिंदर सिंह, कनिष्ठ अभियंता	श्री हरजिंदर सिंह, कार्य मुंशी,

सेंट्रल	श्री इंद्रजीत गुलाटी, कार्यपालक अभियंता, सड़क प्रभाग, सं. 1, नगर निगम, चण्डीगढ़ (9872937600)	एसडीईआर-1, नगर निगम, # 918, फेस 7, मोहाली (8427778918)	(सीडीसी), # 1362,सैक्टर 23, चण्डीगढ़ (9915711471)	# 1362,सैक्टर 23, चण्डीगढ़ (9915711471)
पुलिस स्टेशन-उत्तर		-वही-	-वही-	-वही-
पुलिस स्टेशन -दक्षिण		-वही-	-वही-	-वही-

नगर निगम सड़क प्रभाग सं. 3, नगर निगम, चण्डीगढ़
उप-मंडल - सेंट्रल

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ		
		उप-प्रभागीय अभियंता	सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता	फील्ड स्टाफ
पुलिस स्टेशन-36,39, 24	श्री अरिजीत सिंह, कार्यपालक अभियंता, नगर निगम सड़क प्रभाग सं. 3, नगर निगम, चण्डीगढ़ (9872511138)	श्री रविंद्र शर्मा,एसडीई -2, नगर निगम, चण्डीगढ़ (9872511135)	श्री राम सिंह, कनिष्ठ अभियंता (9872511134)	श्री अशोक कुमार (9915593249)
पुलिस स्टेशन-3, 11		श्री रामपाल बैंस एसडीई -3, नगर निगम, चण्डीगढ़ (9872511128)	श्री आर डी शर्मा, एएई (9915711467)	श्री रिखीराम (9915593249)
पुलिस स्टेशन-39,24		श्री विनोद व्यास,एसडीई, आर-8, नगर निगम, चण्डीगढ़ (9872511145)	1. श्री जसविंदर शर्मा, कनिष्ठ अभियंता (9872511369) 2. श्री प्रेम सिंह, कनिष्ठ अभियंता (9872511131)	-वही-
पुलिस स्टेशन-36, 36		श्री अरिजीत सिंह, एसडीई, आर-9, नगर निगम, चण्डीगढ़ (9872511138)	श्री राजेश कुमार, कनिष्ठ अभियंता (9915711494)	श्री ललित मोहन (9872511180)

उप मंडल - दक्षिण

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ		
		उप-प्रभागीय अभियंता	सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता	फील्ड स्टाफ
पुलिस स्टेशन - दक्षिण	श्री सुरेंद्र सिंह खंडोला, कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग (9872511147)	श्री कुलदीप सिंह, एसडीई-I (कार्यकारी) (9872511144)	श्री अश्विनी कुमार, कनिष्ठ अभियंता, #2259- बी, सैक्टर 19 सी, चण्डीगढ़ (9871511150)	श्री तुलसीराम, श्री चरणजीत सिंह, श्री दीपक सिंह, श्री बलजिंदर सिंह, श्री अजायब सिंह, श्री जसविंदर सिंह, श्री दलजीत सिंह, श्री अनिल कुमार, श्री रविंद्र सिंह
पुलिस स्टेशन-39		-वही-	-वही-	श्री बलजिंदर सिंह, श्री प्रेमलाल
पुलिस स्टेशन-36		-वही-	-वही-	श्री तुलसीराम, श्री चरणजीत सिंह, श्री दीपक सिंह, श्री बलजिंदर सिंह

उप-मंडल - सेंट्रल

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ		
		उप-प्रभागीय अभियंता	सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता	फील्ड स्टाफ
पुलिस स्टेशन-सेंट्रल	श्री सुरेंद्र सिंह खंडोला, कार्यपालक अभियंता, विद्युत विभाग (9872511147)	श्री कुलदीप सिंह, एसडीई-I (कार्यकारी) (9872511144)	श्री ए एस मिन्हास, #3511, सैक्टर 71, मोहाली 2226102(आ.) (9814661022) (प्रत्यावर्तित)	श्री बलबीर सिंह, श्री राजेंद्र सिंह, श्री गुरमीत सिंह, श्री पार्कइंद्र पाल सिंह
पुलिस स्टेशन-उत्तर		-वही-	-वही-	-वही-
पुलिस स्टेशन - दक्षिण		-वही-	-वही-	-वही-

नगर निगम - अग्निशमन विंग
उप मंडल - पूरब

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ
पुलिस स्टेशन पूरब	श्री एस के गोसाई	एलएफम -1 फायरमैन-2 ड्राइवर-1
पुलिस स्टेशन-19	-वही-	-वही-
पुलिस स्टेशन - इंडस्ट्रियल एरिया	-वही-	-वही-
पुलिस स्टेशन-31	-वही-	-वही-
पुलिस स्टेशन मनीमाजरा	-वही-	-वही-

उप मंडल - दक्षिण

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ
पुलिस स्टेशन - दक्षिण	श्री एम एल शर्मा	एलएफम -1 फायरमैन-2 ड्राइवर-1
पुलिस स्टेशन-47	-वही-	-वही-
पुलिस स्टेशन-36	-वही-	-वही-

उप मंडल - सेंट्रल

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ
पुलिस स्टेशन-सेंट्रल	श्री एम एल शर्मा	एलएफम -1 फायरमैन-2 ड्राइवर-1
पुलिस स्टेशन - दक्षिण	-वही-	-वही-
पुलिस स्टेशन - पश्चिम	-वही-	-वही-

परिवहन

नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ
महाप्रबंधक (यातायात), (2679002, 2679003)	श्री सी डी नेगी, स्टेशन सुपरवाइजर श्री गणेश राम, वरिष्ठ सहायक (प्रभारी कंप्यूटर केंद्र)

इंजीनियरिंग- जनस्वास्थ्य विंग

उप-मंडल - पूरब

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ		
		उप-प्रभागीय अभियंता	सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता	फील्ड स्टाफ
पुलिस स्टेशन- पूरब	श्री राजेंद्र सिंह, कार्यपालक अभियंता, जन स्वास्थ्य विभाग-. 2740648 (9872511227)	श्री एम एल वर्मा 2740648 (O) (75081-85440)	श्री अमित गुप्ता (75081-85470)	प्लंबर-4 हेल्पर-4
पुलिस स्टेशन-19	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-
पुलिस स्टेशन इंडस्ट्रियल एरिया	-वही-	-वही-	श्री विनोद कुमार (7508185464)	प्लंबर-3 हेल्पर-3
पुलिस स्टेशन-34	-वही-	श्री मुकेश कपूर (7508185442)	श्री इंद्रजीत सिंह (7508185460)	-वही-
पुलिस स्टेशन मनीमाजरा	-वही-	-वही-	श्री विनोद कुमार (7508185464)	-वही-

उप-मंडल - दक्षिण

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ		
		उप-प्रभागीय अभियंता	सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता	फील्ड स्टाफ
पुलिस स्टेशन- दक्षिण	श्री इंद्रजीत गुलाटी, कार्यपालक अभियंता, सड़क प्रभाग, सं. 1, नगर निगम, चण्डीगढ़ (9872937600)	श्री अरिजीत सिंह, कार्यपालक अभियंता, नगर निगम सड़क प्रभाग सं. 3, नगर निगम, चण्डीगढ़ (9872511138)	श्री सुखराज सिंह (7508185457)	इलेक्ट्रीशियन-1 फिटर-1 हेल्पर-4
पुलिस स्टेशन-39	-वही-	-वही-	श्री एस पी सिंह (7508185601)	-वही-
पुलिस स्टेशन-36	-वही-	-वही-	श्री इंद्रजीत सिंह (7508185470)	मेसन-1 प्लंबर-6 हेल्पर-4

उप मंडल - सेंट्रल

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ		
		उप-प्रभागीय अभियंता	सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता	फील्ड स्टाफ
पुलिस स्टेशन-सेंट्रल	श्री राजेंद्र सिंह, कार्यपालक अभियंता, जन स्वास्थ्य विभाग-. 2740648 (O) 9872511227(M)	श्री एम एल वर्मा 2740648 (O) 75081-85440 (M)	श्री अमित गुप्ता 75081-85470(M)	श्री ओम प्रकाश, श्री नवजोत सिंह
पुलिस स्टेशन-उत्तर	-वही-	-वही-	श्री सुखराज सिंह 7508185457(M)	-वही-
पुलिस स्टेशन-दक्षिण	-वही-	-वही-	श्री ईश्वर सैनी 7508185450(M)	मेसन-1 प्लंबर-6 हेल्पर-6

इंजीनियरिंग- जनस्वास्थ्य विंग

उप मंडल - पूरब

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ		
		कार्यपालक अभियंता	सहायक अभियंता	फील्ड स्टाफ/शिकायत केंद्र दूरभाष संख्या
पुलिस स्टेशन- पूरब	श्री जी एस मस्त, कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रचालन प्रभाग सं.-3, सैक्टर 19 बी, चण्डीगढ़ 8054104513	श्री जी एस मस्त, कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रचालन प्रभाग सं.-3, सैक्टर 19 बी, चण्डीगढ़ (8054104513)	इंजी. बलवीर सिंह, विद्युत प्रचालन उप-प्रभाग सं. 2, सैक्टर 10 ए, चण्डीगढ़ (8054104502)	20/ (9876018702)
पुलिस स्टेशन-19		इंजी. सुनील शर्मा, कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रचालन प्रभाग सं.-2, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, चण्डीगढ़ (8054104101)	इंजी. राकेश महाजन, विद्युत प्रचालन उप-प्रभाग सं. 3, सैक्टर 18 ए, चण्डीगढ़ (8054104503)	20/ (9876018703)
पुलिस स्टेशन इंडस्ट्रियल एरिया		इंजी. सुनील शर्मा, कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रचालन प्रभाग सं.-2, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, चण्डीगढ़ (8054104511)	इंजी. विजय कुमार, विद्युत प्रचालन उप-प्रभाग सं. 5, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, चण्डीगढ़ (8054104505)	20/ (9876018705)
पुलिस स्टेशन-31		-वही-	इंजी. विजय कुमार, विद्युत प्रचालन उप-प्रभाग सं. 5, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस-1, चण्डीगढ़ (8054104505)	20/ (9876018705)
पुलिस स्टेशन मनीमाजरा		-वही-	इंजी. रविंद्र सिंह, विद्युत प्रचालन उप-प्रभाग सं. 8, मोटर मार्केट, मनीमाजरा (8054104508)	20/ (9876018708)

उप मंडल - दक्षिण सेंट्रल

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ		
		कार्यपालक अभियंता	सहायक अभियंता	फील्ड स्टाफ/शिकायत केंद्र दूरभाष संख्या
पुलिस स्टेशन- सेंट्रल	श्री जी एस मस्त, कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रचालन प्रभाग सं.-3, सैक्टर 19 बी, चण्डीगढ़ (8054104513)	श्री जी एस मस्त, कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रचालन प्रभाग सं.-3, सैक्टर 19 बी, चण्डीगढ़ (8054104513)	इंजी. मदन मोहन, विद्युत प्रचालन उप-प्रभाग सं. 4, सैक्टर 15, चण्डीगढ़ (8054104504)	20/ (9876018704)
पुलिस स्टेशन- उत्तर		-वही-	इंजी. बलवीर सिंह, विद्युत प्रचालन उप-प्रभाग सं. 2, सैक्टर 10 ए, चण्डीगढ़ (8054104502)	20/ (9876018702)
पुलिस स्टेशन - पश्चिम		-वही-	-वही-	20/ (9876018702)

उप मंडल - दक्षिण

पुलिस स्टेशन	नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ		
		कार्यपालक अभियंता	सहायक अभियंता	फील्ड स्टाफ/शिकायत केंद्र दूरभाष संख्या

पुलिस स्टेशन- दक्षिण	श्री जी एस मस्त, कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रचालन प्रभाग सं.-3, सैक्टर 19 बी, चण्डीगढ़ 8054104513	इंजी. दीपक बंसल, कार्यपालकअभियंता, विद्युत प्रचालन प्रभाग सं. 3, सैक्टर 19बी, चण्डीगढ़ 8054104101	इंजी. दिलीप कुमार, विद्युत प्रचालन प्रभाग सं. 7, सैक्टर 35 ए, चण्डीगढ़ 8054104507	20/ 9876018707
पुलिस स्टेशन-39		इंजी. एस सी सैनी, अपर अधीक्षक अभियंता, विद्युत प्रचालन प्रभाग सं. 4, सैक्टर 34 सी, चण्डीगढ़ 8054104521	इंजी.राजा सिंह, विद्युत प्रचालन प्रभाग सं. 10, सैक्टर 40 बी, चण्डीगढ़ 8054104507	20/ 9876018710
पुलिस स्टेशन-36		इंजी. दीपक बंसल, कार्यपालकअभियंता, विद्युत प्रचालन प्रभाग सं. 3, सैक्टर 19बी, चण्डीगढ़ 8054104101	इंजी.डाली पी कुमार, विद्युत प्रचालन प्रभाग सं. 7, सैक्टर 35 ए, चण्डीगढ़ 8054104507	20/ 9876018707

टेलीकॉम
उप मंडल - पूरब, दक्षिण, सेंट्रल

नोडल अधिकारी	सहायक स्टाफ
श्री सुरेंद्र सिंह 9463304660, 2701701 (का.)	2 एसडीई सहायक स्टाफ

स्वास्थ्य सेवाएं

अध्यक्ष : डॉ वंदना गुप्ता, चिकित्सा अधीक्षक एवं संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

उप मंडल	नोडल अधिकारी	चिकित्सक (सदस्य)	सहायक स्टाफ
पूरब, दक्षिण, सेंट्रल	डॉ. जी दीवान, उप चिकित्सा अधीक्षक, सरकारी अस्पताल, सैक्टर 16, चण्डीगढ़ 2700260 (o), 7837318503, 9876027113	डॉ. दीपक बक्शी, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, कैजुअल्टी 7837318513 डॉ. वी के नागपाल, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, ऑर्थो 7837318507 डॉ. के एस बल, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सर्जरी 7837318504 डॉ. चारू सिंगला, एनेस्थीसिया प्रभारी 7837318512 सुश्री सतविंदर कौर, नर्सिंग अधीक्षक 7837318520	श्री राजकुमार, कनिष्ठ सहायक 8289035935 8289035935 श्रीमती कैलाश राणा, आशुलिपिक, डीएमएस 2768103,9915032014 फार्मासिस्ट मेडिसिन स्टोर 7837318523 स्टोर कीपर (सामान्य) 7837318522 स्टोर कीपर (लाइन एंड गैस) 7837318524 सेनेटरी इंस्पेक्टर 9876062325 स्वागत कक्ष/अस्पताल पूछताछ 7837318510, 102, 2782457 डाइटीशियन 9501578855 सुरक्षा प्रभारी 9417371829

मीडिया

प्रिंट मीडिया : समाचार पत्र

भाषा

	अंग्रेजी समाचार पत्र	**ईपीएबीएक्स नं.**
1	द ट्रिब्यून	0172-2655066-72,5073681-4
2	द टाइम्स ऑफ इंडिया	0172-6624140
3	द हिंदुस्तान टाइम्स	0172-5050600,5097611
4	इंडियन एक्सप्रेस	0172-5024401-20
5	द पायनियर	0172-4606592
6	द हिंदू	0172-2584327
7	फाइनैंशल वर्ल्ड	0172-5004700
8	द इकोनॉमिक टाइम्स	0172-4028147
9	फाइनेंसियल एक्सप्रेस	0172-5024401-20
10	युग मार्ग	0172-4647043
	हिंदी	**ईपीएबीएक्स नं.**
1	दैनिक जागरण	0172-2784632
2	दैनिक भास्कर	0172-5062001
3	पंजाब केसरी	0172-3071775-92
4	अमर उजाला	0172-2591432
5	दैनिक ट्रिब्यून	0172-3050216
6	अजीत समाचार	0172-705215
7	दिव्य हिमाचल	0172-2584412
8	हिंदुस्तान	0172-5065321,8968212129
9	अर्थ प्रकाश	0172-2652743
10	संपूर्ण कवरेज	0172-5002404
	पंजाबी	EPABX No.
1	स्पोक्स मैन	**0172-2542033**
2	जगबाणी	**0172-3071779**
3	पंजाबी ट्रिब्यून	**0172-3050237**
4	अजीत	**0172-706506**
5	देश सेवक	**0172-2657256-57**
6	चढ़दी कला	**0172-5009265**
7	अकाली पत्रिका	**0181-5008586**
ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन		0172-2623844
दूरदर्शन केंद्र		0172-2687989
एनआईसी		0172-2740706
स्थानीय समाचार चैनल		
सिटी चैनल		लागू नहीं
प्राइम चैनल		लागू नहीं
स्काई चैनल		लागू नहीं

प्रमुख गैर-सरकारी संगठन

क्र. सं.	सोसाइटी का नाम	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम	दूरभाष संख्या
	महिला एवं बाल कल्याण		
1	एसोसिएशन फॉर सोशल हेल्थ इन इंडिया - सवेरा	श्रीमती मनजीत सोढ़ी	2662709
2.	भारत सेवक समाज, सैक्टर 24, चण्डीगढ़	श्री बृजमोहन खन्ना	2710130
3.	चण्डीगढ़ वेलफेयर सोसाइटी पंजीकृत	श्री एम पी वर्मा	
4.	सिटीजन एसोसिएशन फॉर रिलीफ, एजुकेशन एंड सर्विस, 1078/2, सैक्टर 39- बी, चण्डीगढ़	कर्नल डी एस अहलूवालिया (सेवानिवृत्त)	2691922
5.	इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर- यूटी ब्रांच, बाल भवन, सैक्टर 23-बी, चण्डीगढ़	श्री वी के गर्ग	2704573 2721858 9988455418
6.	इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर- पंजाब ब्रांच	श्रीमती जसविंदर कौर ग्रेवाल	2651054
7.	सरवाइवल ऑफ यंग एंड एडोलसेंट फाउंडेशन, 3139, सैक्टर 28-डी, चण्डीगढ़	डॉ रमणीक शर्मा	2655661
8.	वुमन एंड चाइल्ड केयर सोसाइटी, 621, सैक्टर 45-बी, चण्डीगढ़	डॉ एम एल सैनी	3923038 2692912
9.	यूथ टेक्निकल ट्रेनिंग सोसाइटी, कमरा संख्या 13, करुणा सदन, सैक्टर 11, चण्डीगढ़	कर्नल रवि बेदी	27473329, 2747401, 9316353800
	दिव्यांगता क्षेत्र		
10.	चेशायर होम इंडिया, #341/21ए, चण्डीगढ़	मेजर जनरल अमरजीत सिंह (सेवानिवृत्त)	2541364 2742697 (R) 9872511206
11.	इंडियन नेशनल पोरटेज एसोसिएशन, करुणा सदन, सैक्टर 11, चण्डीगढ़	डॉ टहल कोहली	2600951
12.	साधना सोसाइटी फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, रैन बसेरा भवन, मनीमाजरा,चण्डीगढ़	श्रीमती भावना तयाल	2737726
13.	सहायता चैरिटेबल वेलफेयर आर्गेनाईजेशन, सहायता कैंसर केंद्र,1257, सैक्टर 15 बी, चण्डीगढ़	श्रीमती नीलू तुली	2722454
14.	सोसायटी फॉर द फेयर ऑफ द ब्लाइंड, सैक्टर 26, चण्डीगढ़	श्री के आर सुद	2791154 2793958
15.	सोसाइटी फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ	श्रीमती प्रमिला चंद्रमोहन	2672704

	मेंटली चैलेंज्ड, सैक्टर 36 सी, चण्डीगढ़		
16.	वाटिका हाई स्कूल फॉर डेफ एंड डम, सैक्टर 19, चण्डीगढ़	श्रीमती कमल बी जे सिंह	2549101 (O) 2710060 (R)
17.	प्रयास रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन	डॉक्टर बी एन एस वालिया	9316135608
	स्वास्थ्य क्षेत्र		
18.	हेल्थ केयर इंडिया	डॉ ब्रिगेडियर एम एल कटारिया	2623365 2547748
19.	सोसाइटी फॉर सर्विस टू वोलंटरी एजेंसी नॉर्थ, कमरा संख्या 18-20, करुणा सदन, सैक्टर 11, चण्डीगढ़	श्री पी एच वैष्णव	2744197 2746258
20.	सोसाइटी फॉर सोशल हेल्थ	श्रीमती कमलजीत सैनी	2627310
21.	द एनवायरनमेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया	श्री एस के शर्मा	2746832
22.	वोलंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ पंजाब	श्री मनमोहन शर्मा	27423557 5016299
	विविध		
23.	ऑल इंडिया राजपूत स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी, सैक्टर 25, चण्डीगढ़		2272986
24.	नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, इंडिया, करुणा सदन, सैक्टर 11, चण्डीगढ़		94170-58277 4675277
25.	हॉलिडे होम सोसाइटी, सैक्टर 24-बी, चण्डीगढ़		2715850
26.	सोसायटी फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली चैलेंज्ड, सैक्टर 36- सी, चण्डीगढ़		2672704
27.	सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन, 2343, सैक्टर-सी, चण्डीगढ़		2700998
28.	के एल विश्वास सेवा केंद्र, 1586, मेन बाजार, मनी माजरा, चण्डीगढ़		2584991 2585991
29.	गांधी स्मारक भवन, सैक्टर 16-ए, चण्डीगढ़		2770976
30.	प्रयत्न हाफ वे होम, सैक्टर 47, चण्डीगढ़		2633667
31.	युवसत्ता, 12, करुणा सदन, सैक्टर 11, चण्डीगढ़		3298551
32.	चण्डीगढ़ सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, कमरा संख्या 9, करुणा सदन, सैक्टर 11, चण्डीगढ़		2748611
33.	केपिटल क्रिस्चियन वेलफेयर		2637144

	एसोसिएशन, संपर्क केंद्र, बीपीओ बहलाना, चण्डीगढ़		
34.	सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी, लाजपत राय भवन, सैक्टर 15, चण्डीगढ़		2780611
35.	ह्यूमैनिटी वेलफेयर सोसाइटी, 152, सैक्टर 9-बी, चण्डीगढ़		
36.	बाल निकेतन सोसाइटी, सैक्टर 15, चण्डीगढ़		
37.	हॉलिडे होम सोसाइटी, इंदिरा हॉलिडे होम, सैक्टर 24, चण्डीगढ़		2715850
38.	साधना सोसाइटी फॉर मेंटली हैंडीकैप्ड, रेन बसेरा भवन, मनी माजरा, चण्डीगढ़		2737726
39.	डॉन बॉस्को सवेरा, 3958-3959, सैक्टर 47-डी, चण्डीगढ़		2783789
40.	सोसाइटी फॉर द फेयर ऑफ ब्लाइंड, सैक्टर 26, चण्डीगढ़		2791154
41.	डॉन बॉस्को नवजीवन केंद्र, सैक्टर 24-बी, चण्डीगढ़	फादर सेबस्टियन जोस	2711537
42.	दुर्गादास फाउंडेशन	श्री अतुल खन्ना	2713274
43.	इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी	उपायुक्त	2744188
44.	लायंस क्लब चण्डीगढ़ सेंट्रल	श्री संजीव गुप्ता	2581708-9
45.	सेवा भारती पंजीकृत	श्री कपूरचंद अग्रवाल	2651306 2265495 9216525601 2714879

संकट जनक औद्योगिक इकाइयों की सूची

क्र. सं.	एमएएच इकाई का नाम व पता	उद्योग की प्रकृति	संबंधित व्यक्ति का नाम व टेलीफोन नंबर
1.	मैसर्स भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, प्लॉट नंबर 3, औद्योगिक क्षेत्र फेस-I, चण्डीगढ़	स्टील निर्माता	श्री आर पी गोयल फोन3911700-3,3911712 फैक्स-3911704
2.	मैसर्स भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, प्लॉट नंबर 71, औद्योगिक क्षेत्र फेस-I, चण्डीगढ़	अलॉय स्टील निर्माता	श्री आर पी गोयल फोन3911700-3,3911712 फैक्स-3911704
3.	मैसर्स भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड, प्लॉट नंबर 141-142, औद्योगिक क्षेत्र फेस-I, चण्डीगढ़	कोल्ड रोल्ड शीट के निर्माता	श्री आर पी गोयल फोन.3911700-3,3911712 फैक्स-3911704
4.	मैसर्स ट्रैक इनोवेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रेलवे स्टेशन के नजदीक, चंडीगढ	सीमेंट रेलवे ट्रैक निर्माता	श्री जी पी एस गिल फोन0172-2731947-9417007947 फैक्स-0172-2731950
5.	मैसर्स एवन इस्पात एंड पावर लिमिटेड, प्लॉट नंबर 69, औद्योगिक क्षेत्र फेस-I, चण्डीगढ़	साइकिल के रिम के निर्माता	श्री एच सी शर्मा 9914833059
6.	मैसर्स ग्रॉज बैकर्ट एशिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 133-134, औद्योगिक क्षेत्र फेस-I, चण्डीगढ़	हौजरी एवं निटिंग मशीन की सुइयों के निर्माता	श्री उपेंद्र कुमार सिंगला फोन0172-2651816 9814016609
7.	मैसर्स ए के स्टील, प्लॉट नंबर 127, औद्योगिक क्षेत्र फेस-I, चण्डीगढ़	अलॉय स्टील कास्टिंग के निर्माता	श्री रमेश धीमान फोन0172-2651816 9814016609
8.	मैसर्स इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बैंक डिपो, सैक्टर 25 वेस्ट, चण्डीगढ़	तेल डिपो	इस यूनिट के पड़ोसी श्री निरंजन सिंह ने बताया कि लगभग 3 वर्ष पहले यह डिपो बंद हो गया है
9.	मैसर्स भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, प्लॉट प्लॉट नंबर 25, बल्क डिपो, चण्डीगढ़	तेल डिपो	इस यूनिट के पड़ोसी श्री निरंजन सिंह ने बताया कि लगभग वर्ष से यहां कोई काम नहीं हो रहा है.

एलपीजी वितरक

क्र.सं.	नाम	टेलीफोन नंबर	मोबाइल नंबर
1.	सनराइज गैस, एससीओ 179, सैक्टर 7 बी	2790845	9872900047
2.	बिंदलीश गैस, एससीओ 184, टॉप फ्लोर, सैक्टर 7	2793649	9814707496
3.	कैपिटल गैस, एससीओ 179-80, मध्य मार्ग, सैक्टर 8	5088772,2781535	9815991270
4.	कांग गैस, बूथ-69, सैक्टर 8 सी	5003459	9872900047
5.	प्रवीण गैस, एससीओ 33, सैक्टर 11	2746958	9872900046
6.	नवदीप माला, बूथ 79, सैक्टर 16 डी	2771311	9316293917
7.	रामचंद्र एंड संस, बूथ 2, सैक्टर 30 सी	2650888,2650999	9417725789
8.	भाटिया गैस, एससीओ 1025, बैक साइड, सैक्टर 22 बी	5003413,2705788	9417770661
9.	शिवालिक गैस, एससीओ 36, बैक साइड, मध्य मार्ग, सैक्टर 26	2792073	9217935173
10	प्रीमियर गैस, एससीओ 13, सैक्टर 27 सी	2650889	9217489099
11	निर्मल गैस, एससीओ 54, सैक्टर 30	2655747	9814012235
12	पुनिया गैस, एससीओ 372, सैक्टर-32 डी	2660797,2603224	9814211971
13	सुपर गैस, 66/10, बियर चक्की, गांव इटावा	2603260, 2604132	9463392008
14	सिटी गैस, एससीओ 171, सैक्टर 37 सी	2692171,2693343	9876541402
15	प्रणाम गैस, एससीओ 388, बैक साइड, सैक्टर 37 डी	2690608,2690609	9814670100
16	जय गैस, एससीओ 76, सैक्टर 40 सी	2692588,2696582	9780750830
17	सनशाइन गैस, एससीओ 89, सैक्टर 44 सी	2605270,2664971	9814600124
18	सुख गैस, शॉप 37, केश राम कॉन्प्लेक्स, बुडैल	2603547,2606123	9872283333
19	सब्बरवाल गैस, एससीओ 55, प्रथम तल, सैक्टर 47	2631978,2633580	9815011570
20	अरुणनीता गैस, बूथ 21, सैक्टर 47	2661990	9872900047
21	फरीद गैस, एससीओ 213, मोटर मार्केट, मनीमाजरा	2734064,2734684	9876704243
22	मनीमाजरा गैस, एससीओ 82, एनएसई, मनीमाजरा	2734733	9815500543
23	चण्डीगढ़ गैस, एससीओ 2, सैक्टर 17 ई	2702925,2702926	9814003737

24	दुर्गा गैस, एससीओ 74, प्रथम तल, सैक्टर 38 सी	2697767	9815903141

एमएस/एचएसडी वितरण पंपों की सूची

1. मैसर्स आईबीपी सीओसीओ पंप, सैक्टर 33, चण्डीगढ़
2. मैसर्स आईबीपी सीओसीओ पंप, सैक्टर 42 सी, चण्डीगढ़
3. मैसर्स शिवा फिलिंग स्टेशन, आईओसी डीलर, सैक्टर 44 सी, चण्डीगढ़
4. मैसर्स पीरजादा इंटरप्राइजेज, आईओसी डीलर, ट्रैक्टर 55 ए, चण्डीगढ़
5. आईजीपी- पुलिस लाइंस, सैक्टर 26, चण्डीगढ़
6. हरियाणा रोडवेज, आईओसी डीलर, इंडस्ट्रियल एरिया-1, चण्डीगढ़
7. पंजाब रोडवेज,आईओसी डीलर, इंडस्ट्रियल एरिया-1, चण्डीगढ़
8. पेप्सू रोडवेज, इंडस्ट्रियल एरिया-2, चण्डीगढ़
9. सीटीयू डिपो-1, इंडस्ट्रियल एरिया-2, चण्डीगढ़
10. सीटीयू डिपो-2, इंडस्ट्रियल एरिया-1, चण्डीगढ़
11. सीटीयू डिपो-3, डड्डुमाजरा, चण्डीगढ़

इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड - संघशासित प्रदेश आरओ की सूची

क्र. सं.	इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के आरओ का नाम व पता	संपर्क कर्मी	फोन नंबर
1	मैसर्स अलाइड सर्विस स्टेशन, आईओसी डीलर, सैक्टर 34 बी, चण्डीगढ़	अनिल सूद	98140-25117
2	मैसर्स कैपिटल मोटर्स स्टोर, आईओसी डीलर, सैक्टर 26, चण्डीगढ़	अमृतपाल सिंह	9988006695
3	मैसर्स चण्डीगढ़ ऑटोमोबाइल्स, आईओसी डीलर, सैक्टर 27 बी, चण्डीगढ़	गुरुदयाल भसीन	98140-10040
4	मैसर्स सिटी सर्विस सेंटर, आईओसी डीलर, सैक्टर 37 ए, चण्डीगढ़	राजकुमार	93161-05571
5	मैसर्स गुरदयाल सिंह एंड संस, आईओसी डीलर, सैक्टर, चण्डीगढ़	परमजीत सिंह	95015-02325
6	मैसर्स कपूर सर्विस, आईओसी डीलर, सैक्टर 21 डी, चण्डीगढ़	हरजीत सिंह	98155-55515

7	मैसर्स के टी सर्विस स्टेशन, आईओसी डीलर, सैक्टर 17, चण्डीगढ़	संदीप भसीन	98145-12005
8	मैसर्स पठानिया सर्विस स्टेशन, आईओसी डीलर, सैक्टर 28 सी, चण्डीगढ़	एस एस पठानिया	9317970008
9	मैसर्स सिद्धू सर्विस स्टेशन, आईओसी डीलर, सैक्टर 7, चण्डीगढ़	मनिंदर सिंह	9814007071
10	मैसर्स सुखना ऑटोमोबाइल्स, सैक्टर 28 सी, चण्डीगढ़	अमनप्रीत सिंह	98551-09600
11	मैसर्स सुखना ऑटोमोबाइल्स, सैक्टर 33, चण्डीगढ़	अमनप्रीत सिंह	98551-09600
12	मैसर्स सीटको पेट्रोल स्टेशन सैक्टर 38, चण्डीगढ़	हवा सिंह	98888-12920
13	मैसर्स सीटको पेट्रोल स्टेशन, सैक्टर 56, चण्डीगढ़	प्यारा सिंह	98887-87975
14	मैसर्स कोको, सैक्टर 44, चण्डीगढ़	ईशान सिंह	99154-51989
15	मैसर्स करण फिलिंग एंड सर्विस स्टेशन, आईबीपी डीलर, सैक्टर 52, चण्डीगढ़	गरी चीमा	99150-99900
16	मैसर्स मन फिलिंग स्टेशन, सैक्टर 49, चण्डीगढ़	नवीन मन	94172-12123
17	मैसर्स मन फिलिंग स्टेशन, एडहॉक आईओसी डीलर, सैक्टर 46, चण्डीगढ़	नवीन मन	94172-12123
18	मैसर्स पीरजादा इंटरप्राइजेज, सैक्टर 55, चण्डीगढ़	यादविंदर पीरजादा	94172-18966
19	मैसर्स संगम फिलिंग स्टेशन, सैक्टर 46, चण्डीगढ़	अमरजीत रंधावा	9878909878
20	मैसर्स दी वाना सर्विस स्टेशन, आईबीपी डीलर , सैक्टर 43 सी, चण्डीगढ़	सुखबीर कौर	98140-10748

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी की सूची

क्र. सं.	एचपीसी के डीलरों का नाम व पता	फोन नंबर
1	मैसर्स ओबेराय मोटर्स, एचपीसी डीलर, सैक्टर 10 डी, चण्डीगढ़	98141-06633,0172-2742438
2	मैसर्स मॉडन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सैक्टर 15, चण्डीगढ़	9815086426,0172-5045525
3	मैसर्स भगत सिंह एंड कंपनी, ,एचपीसी डीलर, मध्य मार्ग, सैक्टर 17, चण्डीगढ़	9988428035
4	मैसेज हैप्पी सर्विस स्टेशन, एचपीसी डीलर, मध्य मार्ग, सैक्टर 17, चण्डीगढ़	9888442687
5	मैसर्स मल्होत्रा एंड कंपनी, एचपीसी डीलर, सैक्टर 19, चण्डीगढ़	0172-5079128,2894504
6	मैसर्स रॉकरोज ऑटो सेंटर, सैक्टर 20 सी, चण्डीगढ़	9814209801,0172-2708378
7	मैसर्स सूद ट्रेडर्स, सैक्टर 22, चण्डीगढ़	98727-24489,0172-4657769
8	मैसर्स विशाल सर्विस स्टेशन, सैक्टर 31, चण्डीगढ़	93161-30904
9	मैसर्स अमर सर्विस स्टेशन, सैक्टर 39, चण्डीगढ़	98159-93585,0172-2693585
10	मैसर्स नेशनल पेट्रोवेज, सैक्टर 52, चण्डीगढ़	98886-29539
11	मैसर्स मनीमाजरा सर्विस स्टेशन, पॉकेट 4 एवं 5, मनीमाजरा	98140-04283,0172-2734483

भारत पेट्रोलियम कंपनी की सूची

क्र. सं.	बीपीसी के डीलरों का नाम व पता	फोन नंबर
1	मैसर्स बनवीत सर्विस स्टेशन, मनीमाजरा, चण्डीगढ़	98140-92711
2	मैसर्स ऑटो सर्विस स्टेशन, सैक्टर 4, चण्डीगढ़	98147-40064
3	मैसर्स भुल्लर ऑटोमोबाइल्स सर्विसेस, सैक्टर 41 सी, चण्डीगढ़	0172-2626542
4	मैसर्स कौशल सर्विस स्टेशन, औद्योगिक क्षेत्र, फेस - 2, चण्डीगढ़	0172-2652612
5	मैसर्स ब्रह्मस्वरूप एंड संस, सैक्टर 28 बी, चण्डीगढ़	0172-5001327
6	मैसर्स एम पी मोटर्स, सैक्टर 22 सी, चण्डीगढ़	0172-4610444
7	मैसर्स नेशनल सर्विस सेंटर, सैक्टर 17 ई, चण्डीगढ़	0172-5026976
8	मैसर्स सिटको पेट्रोल स्टेशन, चण्डीगढ़	0172-4644481
9	मैसर्स बी पी- 21, सैक्टर 21, चण्डीगढ़	0172-2710584
10	मैसर्स श्यामा श्याम फिलिंग स्टेशन, सैक्टर 35, चण्डीगढ़	0172-265401

सायरन के स्थान

1. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चण्डीगढ़
2. गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैक्टर 8, चण्डीगढ़
3. पीजीआई, सैक्टर 12, चण्डीगढ़
4. सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी, सैक्टर-17, चण्डीगढ़
5. पुलिस स्टेशन, सैक्टर 19, चण्डीगढ़
6. गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, सैक्टर 20, चण्डीगढ़
7. जिला सैनिक वेलफेयर बोर्ड, सैक्टर 21 डी, चण्डीगढ़
8. गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैक्टर 22, चण्डीगढ़
9. गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैक्टर 23, चण्डीगढ़
10. सेंट्रल पॉलिटेक्निक, सैक्टर 26, चण्डीगढ़
11. सरकारी डिस्पेंसरी, मनीमाजरा
12. डीएवी कॉलेज फॉर वुमेन, सैक्टर 36, चण्डीगढ़
13. गवर्नमेंट हाई स्कूल, सैक्टर 33, चण्डीगढ़

14. गवर्नमेंट कॉलेज फॉर बॉयज, सैक्टर 40, चण्डीगढ़

15. गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स,सैक्टर 42, चण्डीगढ़

16. गवर्नमेंट हाई स्कूल, सैक्टर 44, चण्डीगढ़

17. गवर्नमेंट हाई स्कूल, सैक्टर 46, चण्डीगढ़

18. सचिवालय भवन (डीलक्स बिल्डिंग)

19. गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सैक्टर 38 वेस्ट, चण्डीगढ़

20. गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी, राम दरबार, फेस-II चण्डीगढ़

केरोसिन डीलरों की सूची

क्र.सं.	डीलर का नाम	मोबाइल नंबर
1.	रमणीक सेल्स कॉर्पोरेशन - 15	9566883009
2.	अमरनाथ पुष्पेंद्र कुमार - 20	9814511395
3.	गुरुदेव ट्रेडिंग कंपनी - 20	----------
4.	अमन सेल्स - 26	9646526048
5.	स्वदेशी इंटरप्राइजेज - 69	2651220, 9876644577
6.	प्रकाश ट्रेडिंग कंपनी - 40	9417852804
7.	कुलवंत सेल - 45	9417406914
8.	अंबेडकर सेल्स कॉर्पोरेशन – मनीमाजरा	9256996013
9.	कुलदीप सेल्स – मौलीजागर	9976428777
10.	ए के सेल्स, सैक्टर - 37	9988822687

उचित मूल्य की दुकानों की सूची
एसडीएम ईस्ट के क्षेत्राधिकार में राशन डिपो

क्र. सं.	डिपो का नाम एवं पता	मोबाइल नंबर
1	धर्मपाल ओमप्रकाश, सैक्टर-18	9023172235
2	अरिहंत प्रोविजनल स्टोर, सैक्टर- 25	9888129381
3	मूल चंद जगदीश राय, सैक्टर- 25	9888447718
4	अंजू जनरल स्टोर, सैक्टर- 26	9815928775
5	महेश जनरल स्टोर, सैक्टर- 26	9888166962
6	अमन किरयाना स्टोर, सैक्टर- 41	9855446784
7	निक्का किरयाना स्टोर, अटावा	9915626460
8	मिश्रा प्रोविजनल स्टोर, एलसी-4, इंडस्ट्रियल एरिया	9417323890
9	बजाज प्रोविजनल स्टोर,एलसी-4, इंडस्ट्रियल एरिया	9855031373
10	हीरा देवी, एलसी-4	9780436732
11	बहल प्रोविजन स्टोर, एलसी-4	9888059898
12	कन्हैया लाल, एलसी-4	8146156684
13	बालादीन किरयाना स्टोर,एलसी-5	9872921776
14	विनोद किरयाना स्टोर,एलसी-5	9780681679
15	सुरेंद्र किरयाना स्टोर,एलसी-5	9914427199
16	पवन किरयाना स्टोर,एलसी-5	9815433531
17	अमृत प्रोविजन स्टोर,एलसी-5	9872533170
18	हैप्पी प्रोविजन स्टोर,एलसी-5	9878902046
19	सूद जनरल स्टोर, कजहेड़ी	8283943122
20	बसंत किरयाना स्टोर, कजहेड़ी	9878264664
21	रूप नारायण, पलसोरा	9988182225
22	गर्ग किरयाना स्टोर, पलसोरा	9872321057
23	विपन करियाना स्टोर, मौली	9888935592
24	ठाकुर किरयाना स्टोर, मौली	8699825509
25	दिलशाद किरयाना स्टोर, इंदिरा कॉलोनी, मनीमाजरा	9316000702
26	सुनील किरयाना स्टोर, मनीमाजरा	9915108572
27	अखिलाक किरयाना स्टोर, मनीमाजरा	8872704581
28	शर्मा किरयाना स्टोर, मनीमाजरा	9888009470
29	सोहनलाल, दरिया	9988853220
30	दलजीत सिंह, बहलाना	9988440030

31	गुरु कृपा किरयाना स्टोर, कैम्बला	9988161415
32	संधू डिपार्टमेंटल स्टोर, धनास	9878566662
33	मित्तल प्रोविजन स्टोर, धनास	9814085927
34	यादव जनरल स्टोर, धनास	9988590925
35	अमर किरयाना स्टोर, हल्लोमाजरा	9915228209
36	सोमनाथ किरयाना स्टोर, हल्लोमाजरा	9815060444
37	एस पी ब्रदर्स, किशनगढ़	9815769059
38	गुरप्रीत सिंह, रायपुर खुर्द	9814075321
39	चंचल किरयाना स्टोर, मलोया	9888406554,9888314626
40	जनरल प्रोविजन स्टोर, मलोया	9646451104
41	चौहान प्रोविजन स्टोर, डड्डूमाजरा	9888886341
42	कालिया किरयाना स्टोर, फैदां	9815612996
43	तिवारी किरयाना स्टोर, राम दरबार	9417427142, 9217509491
44	मधु जरनल स्टोर, राम दरबार	9855285156
45	अमन किरयाना स्टोर, बुडैल	9888254967
46	सुपर डिपार्टमेंट स्टोर, बुडैल	9888490005
47	मोबाइल वैन 7601 से जुड़ा क्षेत्र	Basher-9876726508
48	मोबाइल वैन 7602 से जुड़ा क्षेत्र	Ram Dass-9814356936
49	एकनूर किरयाना स्टोर, सैक्टर- 37 डी, चण्डीगढ़	9464894699
50	एस एस जनरल स्टोर, सुपर मार्केट, सैक्टर- 46	9814924272
51	कौशिक किरयाना स्टोर,सैक्टर 41 डी	9888802400
52	धवन प्रोविजनल स्टोर, बढ़ेरी	9780225376
53	अग्रवाल करियाना, कजहेड़ी	9814952155
54	पांडे प्रोविजनल स्टोर, कजहेड़ी	9815148663
55	सुरेश किरयाना स्टोर, मलोया	9417860552
56	आकाश गुप्ता बर्तन स्टोर, डीएमसी	9988366309
57	प्रीति जनरल स्टोर, हल्लोमाजरा	9888441090
58	ओम जनरल स्टोर, हल्लोमाजरा	9356661666
59	अनिल किरयाना स्टोर, मौलीजागरा	9417524610
60	संतोष जनरल स्टोर, खुड्डा अलीशेर	9463217882

एसडीएम साउथ के क्षेत्राधिकार में राशन डिपो

क्र. सं.	डिपो का नाम	पता
1.	हैप्पी करियाना स्टोर	लेबर कॉलोनी नं 5, बुडैल
2.	अमृत प्रोविजन स्टोर	के-1801, एलसी-05
3.	सुरेंद्र किरयाना स्टोर	630, एलसी-05
4.	खैराती किरयाना स्टोर	ए-374, एलसी-05
5.	वर्मा किरयाना स्टोर	के-152, एलसी-05
6.	विनोद किरयाना स्टोर	लेबर कॉलोनी नं 5, बुडैल
7.	बालादीन किरयाना स्टोर	412-ए, एलसी-05
8.	पवन किरयाना स्टोर	लेबर कॉलोनी नं 5, बुडैल
9.	सूद जनरल स्टोर	9, गाँव कजहेड़ी
10.	बसंत लाल गुप्ता किरयाना स्टोर	12, गाँव कजहेड़ी
11.	कमला देवी किरयाना स्टोर	97, गाँव कजहेड़ी
12.	चौहान प्रोविजन स्टोर	1, डड्डूमाजरा
13.	अमन किरयाना स्टोर	551, बुडैल
14.	चंचल किरयाना स्टोर	79, डेयरी कॉम्प्लेक्स, मलोया
15.	रूप नारायण	150/4, गाँव पलसोरा
16.	गर्ग करयाना स्टोर	229, गाँव पलसोरा

एसडीएम सेंट्रल के क्षेत्राधिकार में राशन डिपो

क्र. सं.	डिपो का नाम	पता
1.	अत्री किरयाना स्टोर	1,खुड्डा जस्सू
2.	हैप्पी किरयाना स्टोर, सारंगपुर	220, गाँव सारंगपुर
3.	संधू डिपार्टमेंटल स्टोर	3, धनास
4.	गुरु कृपा किरयाना स्टोर	95, गाँव कैम्बला
5.	मूलचंद किरयाना स्टोर	24, सैक्टर - 25
6.	अरिहंत किरयाना स्टोर	01, सैक्टर-25

एंबुलेंस की सूची

क्र.सं.	स्रोत का नाम	एंबुलेंस की संख्या	मोबाइल नंबर
1.	रेड क्रॉस, यूटी चण्डीगढ़	07	2744188,2745681
2.	सेवा भारती	01	2654935
3.	पीजीआई	06	2755505,2755514
4.	सरकारी अस्पताल, सैक्टर 16	07	2700273,2700255
5.	जीएमसीएच, सैक्टर 32	04	26665253
6.	गुरुद्वारा सैक्टर 34 (हेल्पलाइन)	03	9814017102,,9814000110
7.	संतोख नर्सिंग होम	01	2691841,8558866846
8.	मुकट हॉस्पिटल, सैक्टर 34	03	0172-4344444
9.	इंस्कॉल, सैक्टर 34	02	0172-508883
10.	बि. अनिल कटारिया, सैक्टर 15	01	2547748
11.	पंजाब रेड क्रॉस, सैक्टर-16 चण्डीगढ़	03	2780827
12.	हरियाणा रेड क्रॉस, मध्य मार्ग	01	2543889
13.	पुलिस विभाग, यूटी चण्डीगढ़, सैक्टर 26 पुलिस लाइन	02	0172-2749194

चण्डीगढ़ परिवहन संघ (पंजीकृत)

ट्रांसपोर्ट हाउस, सैक्टर 26, चण्डीगढ़ -160019, फोन नंबर 0172-5006400

क्र.सं.	सदस्यता संख्या	परिवहन का नाम	पता	संपर्क व्यक्ति	टेलीफोन नंबर	मोबाइल नंबर
1.	1	मैसर्स एसोसिएटेड रोड कैरियर लिमिटेड	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़ 160019	श्री ज़िले सिंह	5006722, 2792740, 2792482	9316134307
2.	2	मैसर्स आदर्श रोडलाइन	312, बीडीसी कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट	श्री दर्शन लाल	5006038 4617638	9876009101

			एरिया, सैक्टर-26, चंडीगढ़			
3.	195	मैसर्स ऑल इंडिया रोडवेज (रजि.)	312, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री शमशेर सिंह राणा	5006174 5006074	9815530574
4.	203	मैसर्स ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कैरियर	28, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़ 160019	श्री बलराज शर्मा	9357465317 9357565317	9318065317
5.	4	मैसर्स ए डी रोडलाइन	9, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़ 160019	श्री अरुण कुमार	2792449, 2793922	9501012112
6.	200	मैसर्स आजाद ट्रांसपोर्ट	26, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़ 160019	श्री आजाद सिंह	3247577	9316985205
7.	5	मैसर्स अंबाला एक्स सरविसमेन ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड	18, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़ 160019	श्री उमरराव सिंह	2707512 2791840	9888178397
8.	140	मैसर्स आर्यन परिवहन कं.	42, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री अमित शर्मा	4645842 5006070	9815598998
9.	108	मैसर्स आशीष रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़ 160019	श्री ए पी शर्मा	2792453 3072753 5006232	9316065111
10.	113	मैसर्स अशोक ट्रक सेंटर	271, मोटर मार्केट, चंडीगढ़-19	श्री अशोक कुमार	9417062080	9216162080
11.	8	मैसर्स अशोक गुड्स कैरिएर	8, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़ 160019	श्री अशोक कुमार	2790996	
12.	131	मैसर्स अकाल पुरख ट्रांसपोर्ट कंपनी	8, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़ 160019	श्री हरदेव सिंह	2792815 2791397 5006397	9417012487
13.	7	मैसर्स आनंद रोडलाइन	8, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़ 160019	श्री सतपाल सिंह	5073324	9317526363
14	9	मैसर्स भोरुका लॉजिस्टिक प्रा. लिमिटेड	8, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़ 160019	श्री एच पी शर्मा	3260017 3260016 3254604	9356240538
15	10	मैसर्स बीआईआर परिवहन कंपनी	26, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़ 160019	श्री दिलबर सिंह	4666308, 9814904326	9814024326
16.	12	मैसर्स बंसल रोडवेज (रजिस्टर्ड)	20, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री कश्मीरी लाल	9815095955	9356041755

17.	176	मैसर्स बलुनी कार्गो मूवर्स	24, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री मधुसूदन	5077723 9216259993	9216817517
18.	177	मैसर्स बालाक रोड लाइन्स	140, गाँव दरिया, निकट रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़	श्री सुदर्शन कुमार	9779839799	9876440491
19.	13	मैसर्स बीजीएफसी मूवर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,	दुर्गा नूरसेरी के पास, आईटी पार्क रोड, चंडीगढ़	श्री तारा चंद	3251646	9872727848
20.	14	मैसर्स बॉम्बे गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी	4, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री गणेश कुमार	2790689	9356517594
21.	15	मैसर्स बॉम्बे गुजरात रोडलाइन प्राइवेट लिमिटेड,	18, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री दिलबाग राणा	5088581 5085913 3047610	9814006148
22.	123	मैसर्स भल्ला रोडलाइन	45, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री नीरज भल्ला	4654448 5072628	9316244848
23.	181	मैसर्स भोले भंडारी ट्रांसपोर्ट प्रा. लिमिटेड	41, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री गौरव कृष्ण	5006166	9872206366
24.	11	मैसर्स बॉम्बे दिल्ली रोड कैरियर	14, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री देश राज	5006332 4648332	9041027332
25.	132	मैसर्स बॉम्बे मुकेरियां ट्रांसपोर्ट कंपनी	5, एससीएफ़ 466, मोटर मार्केट, चंडीगढ़	श्री दर्शन सिंह	5073914 3200973	9316064979
26.	160	मैसर्स बॉम्बे शिमला गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी	32, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री अखिल कुमार	5088697	9988757111
27	161	मैसर्स बलराज रोडलाइन	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री बलराज कदियन	5006208	9915770208
28	162	मैसर्स बॉम्बे पंजाब रोडलाइन (रजि.)	312, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री खुर्शीद शेख	6530201	9316027822
29	17	मैसर्स चडढा मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी	17, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़ -19	श्री गुरदयाल भसीन	2790397 5018924	9814010040
30	18	मैसर्स सिटको इंडिया प्रा. लिमिटेड	19, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री नरिंदर सिंह चड्ढा	2791963 2793224 4611222	9815015185
31	19	मैसर्स कारगो कैरियर इंडिया (रजिस्टर्ड)	6, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री प्रिंस शर्मा	2792101 3251443	9316021562, 931600000

						0
32	20	मैसर्स चण्डीगढ़ इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट कंपनी	9, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री सुरिन्द्र मलिक	325660	9357357222
33	143	मैसर्स कैपिटल ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन	एससीएफ़ 29, प्रथम तल, सैक्टर 28, चंडीगढ़	श्री अभिराज गोयल	9501887766	9216189606
34	21	मैसर्स चण्डीगढ़ साउथ रोडवेज (रजि.)	26, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री सदा राम	5006535	9316028854
35	24	मैसर्स चण्डीगढ़ राउरकेला ट्रांसपोर्ट कंपनी	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री रामलाल	5006299	9815427615
36	25	मैसर्स चण्डीगढ़ रांची परिवहन कंपनी	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री सागरमल	5006299	9814476707
37	28	मैसर्स चण्डीगढ़ असम रोडवेज (रजि.)	312 बीडीसी कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री शविंदर शर्मा	5006159 2792019 2792159	9814032165
38	27	मैसर्स चण्डीगढ़ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कं.	26, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री अजीब सिंह	9814303150	9814788547
39	128	मैसर्स चण्डीगढ़ इंदौर रोडलाइन	37, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री संजीव दीवान	4676444 5006344	9876800444
40	172	मैसर्स चण्डीगढ़ तमिलनाडु परिवहन (रजिस्ट्रार)	32, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री बलदीप सिंह	5006885 5006585	9216078385
41	188	मैसर्स चण्डीगढ़ नागपुर रोडलाइन	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री तरलोचन सिंह	5006262	9417778562
42	135	मैसर्स चौधरी रोड कैरियर प्रा. लिमिटेड	20, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री नसीब चंद चौधरी	3917062	9316039166
43	150	मैसर्स चंबा शिमला ट्रांसपोर्ट कं.	31, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री अविनाश शर्मा	5089328	9876088811
44	156	मैसर्स चंबा मनाली ट्रांसपोर्ट कंपनी	35, न्यू टिंबर मार्केट, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री धीरज गुप्ता	5006144	9814204185
45	30	मैसर्स दशमेश ट्रांसपोर्ट कंपनी	27, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री जीत सिंह	5006077, 4611077	9872972797
46	32	मैसर्स दोबा ट्रांसपोर्ट कंपनी	26, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-	श्री चरंजीत सिंह	2791343 5071695	9814333843,

			19		5006843	9855005171
47	192	मैसर्स दीप रोडवेज (रजिस्टर्ड)	24, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री राजिंदर सिंह	5006155	9257300092
48	33	मैसर्स दिल्ली शिमला गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी	6, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री डी.आर. शर्मा	2791461 4637114 4658114	9814143114 9216300000
49	35	मैसर्स दिल्ली हिमाचल गुड्स कैरियर	24, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री भाल सिंह	2791380 5072745 2790638	9417076545
50	164	मैसर्स दिल्ली पूना रोडवेज	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री संदीप कुमार	5006078	9316506078
51	36	मैसर्स धीर रोड कैरियर	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री बी के धीर	5075300 5075700	9815375100
52	144	मैसर्स डीएचटीसी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	312, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री सुरेंद्र कुमार	3207010	9356396870
53	145	मैसर्स डीएआरसीएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	एससीओ 116, सैक्टर 47सी, चंडीगढ़	श्री राधा श्याम	01762-316057,58	9316812021
54	34	मैसर्स दिल्ली यूपी, एमपी ट्रांसपोर्ट कं	24, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़ 160019	श्री डी.सी. ठाकुर	2790608 2792558	9463413770
55	204	मैसर्स दिल्ली हमीरपुर ट्रांसपोर्ट कं (आर)	14, ट्रांसपोर्ट नगर, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री केशर सिंह	2793805	9915609151
56	129	मैसर्स दोआबा रोडवेज (सीएचडी)	45, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री मनप्रीत सिंह	3246573 5006573	9888899957
57	37	मैसर्स इक्नॉमिक्स ट्रांसपोर्ट ऑर्गनाइज़ेशन लिमिटेड,	22, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री एम एस जाखड़	5006910 2790910	9356442284 3
58	183	मैसर्स इकोनॉमिक सेफ रोडवेज प्रा. लिमिटेड	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री जगदीश शर्मा	3204838	9316517838
59	38	मैसर्स ईस्टर्न सेफ रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री राजेश शर्मा	2793294 3048567 5006294	9316067202
60	39	मैसर्स ईस्ट इंडिया ट्रांसपोर्ट एजेंसी लिमिटेड	4, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री सुशील कुमार	5006051 2790331	9316134144
61	40	मैसर्स गरचा गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी	10 , कबाड़ी मार्केट, इंडस्ट्रियल एरिया, फसे 1, चंडीगढ़	श्री जोगिंदर सिंह	2655417 2657524 4641125	9356071503

62	41	मैसर्स गोयल रोडवेज	41, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री बी एल शर्मा	2793433 2793434	9316136367
63	42	मैसर्स गोयल रोडवेज प्रा. लिमिटेड	41, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री आर के शर्मा	5088422 4637804	9316093581
64	43	मैसर्स ग्रीन कैरियर प्रा. लिमिटेड,	136-140/93, फेज -1 चंडीगढ़-19	श्री विजय आर्य	3240962 4612331 2658331	9316869154
65	45	मैसर्स जीआईआर मूवर्स प्रा. लिमिटेड	गाँव दरिया, मक्खन माजरा रोड, यूटी	श्री कपिल शर्मा	2655878 2655591	9316102047
66	46	मैसर्स गिल संधू कार्गो मोवर	2, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़.	श्री संजय कुमार	4601647	9316750786
67	126	मैसर्स गोल्डन हाईवेज गुड्स कैरियर (रजिस्टर्ड)	38, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री दविंदर सिंह	5006569 3292778	9316025207
68	174	मैसर्स गुरु नानक गुड्स कैरियर (रजिड)	37, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री कंवलजीत सिंह	9780875418	9356413019
69	187	मैसर्स गुरु नानक रोड लाइन	321, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री कमल बागगा	5006505	9357706505
70	48	मैसर्स हरियाणा पंजाब रोडलाइन	4, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री गुलजार सिंह	2790971 2792076	9814666129
71	52	मैसर्स हिमाचल मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी	22, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री महेश शर्मा	2790377 5006577 654537	9216232877
72	53	मैसर्स हिंदुस्तान ट्रकिंग कंपनी	बूथ न. 1. ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री सुभाष चावल	5006251 2791262	9876610467
73	168	मैसर्स हिमालय रोड ट्रांसपोर्ट कं. (पंजीकृत)	24, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री सतींदर सिंह	5016505	9914236123
74	54	मैसर्स हरियाणा साउथ रोडवेज	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री दिनेश शर्मा	2790700 5006120	9356255700
75	115	मैसर्स हरियाणा गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री सुरेश कुमार	5006746	9888885593
76	117	मैसर्स हिमाचल कश्मीर गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी	जैन फार्म के सामने, कोयला डेपो के पास, दरिया, यूटी	श्री रमेश कुमार	2642317 2642318	9272835895
77	179	मैसर्स हिमाचल यूपी गुड्स कैरियर	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री भूपिंदर कुमार	5018350	9417506235
78	121	मैसर्स हर सिमरन	32, टिंबर मार्केट,	श्री बलविंदर सिंह	4628565	991590006

		ट्रांसपोर्ट कंपनी	सैक्टर 26, चंडीगढ़-19			5
79	138	मैसर्स हमीरपुर मनाली रोडवेज	26, मैं मार्केट, रेल्वे स्टेशन रोड, दरिया, चंडीगढ़	श्री कुलदीप सिंह	2637967	9216200267
80	55	मैसर्स इंडियन रोडवेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	28, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री इंदर सिंह	9357218010	9357241073
81	56	मैसर्स इंडो आर्य सेंट्रल ट्रांसपोर्ट लिमिटेड	सीडबल्यूसी 05, इंडस्ट्रियल एरिया, रामदरबार, चंडीगढ़	श्री अर्जुन सिंह	2656641	9988887644
82	57	मैसर्स इंडियन फ्राइटवेज़	15, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री रमेश कुमार	2793679 3256556	9872654204
83	134	मैसर्स इनलैंड रोड ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	45, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री दलबीर सिंह	3249559	9316093524
84	16	मैसर्स इंडियन एक्स-सर्विस मैन ट्रांसपोर्ट कंपनी	27, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री अवतार सिंह	5006626 2790626	9417290626 9417800000
85	158	मैसर्स इंड-नेपाल ट्रांसपोर्ट सर्विस	गाँव दरिया, मक्खन माजरा रोड, यूटी	श्री हम नाथ पांडे	9318639901	9316812289
86	122	मैसर्स जय अंबे रोड कैरियर	14, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री पवन कुमार	5006700 5006701 3028022	9316670224
87	167	मैसर्स जय हिंद रोडवेज	45, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री परवेश कुमार शर्मा	5006170	9815567586
88	151	मैसर्स जेहलम रोडवेज	14, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री शाम लाल शर्मा	2790773	9417431344
89	165	मैसर्स जीत रोडवेज	गाँव दरिया, मक्खन माजरा रोड, यूटी	श्री सागरमल बाबल	5070091	9920599979
90	17	मैसर्स कमलेश भाटिया कोंट्रेक्टर	रेल्वे रोड, दरिया, यूटी	श्री कमलेश भाटिया	2641597	9815108585
91	196	मैसर्स कार्तिक रोड लाइन्स	308/9, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री सुरेंद्र मावा	6543563	9316005563
92	197	मैसर्स किन्नौर शिमला फ्रेट कैरियर (रजिस्टर्ड)	312/1, बपुधाम कॉलोनी, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री यश पाल विज	2575283	9216344871
93	59	मैसर्स कुल्लू शिमला गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी	28, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री सुखबीर सिंह	2791973,5012806	9501000243
94	66	मैसर्स खुशदिल रोडवेज (रजिस्टर्ड)	36, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26,	श्री सरजेंट सिंह	3261780,4645320,5085	9357712780

			चंडीगढ़-19		320	
95	124	मैसर्स खंडा रोडवेज	37, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री राज सिंह	5006115, 4628915	9316770015
96	185	मैसर्स कृष्णा ट्रेलर कंपनी	644, मोटर मार्केट, मनीमाजरा, चंडीगढ़	श्री कुलदीप सिंह	6534190	9815413468
97	154	मैसर्स लिंक रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड	एससीएफ़ 289, प्रथम तल, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री अंगरेज सिंह विर्क	5006511	9878530011
98	62	मैसर्स मलिक कार्गो कररीर्स	9, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री इंदर मलिक	2792333 2792555	9814041411
99	147	मैसर्स मनोहर सिंह एंड कं.	बूथ सं. 7, टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री मनोहर सिंह	5088870	9888083534
100	116	मैसर्स महाराजा क्रेन सर्विस	शॉप न. 10, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री बलजीत सिंह	2791169, 2791043	9814014764
101	171	मैसर्स एमजीटीसी इंडिया लॉजिस्टिक	41, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री जितेंद्र शर्मा	5075232 5088422	8054940083
102	64	मैसर्स नितिन रोडलाइन ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	44, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री के के एब्रोल	5006085 2791826	9814014403
103	22	मैसर्स न्यू कमल गुड्स कॉर्गो कैरियर (रजिस्टर्ड)	27, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री मुकेश कुमार	2792538 5003233	8146293473
104	65	मैसर्स नॉर्थन कैरियर प्राइवेट लिमिटेड	13, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री सूरजभान शर्मा	2793679 3256556	9872654204
105	149	मैसर्स नॉर्थन कैरियर प्राइवेट लिमिटेड	366, इंडस्ट्रियल एरिया-1, चंडीगढ़	श्री राम किशन यादव	5033955	9357221209
106	67	मैसर्स न्यू शक्ति गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी (पंजीकृत)	4, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री सुरेंद्र शर्मा	2790192 2791004	9316317019
107	68	मैसर्स निट्को रोडवेज लिमिटेड	25, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री एन.के. कौशिक	2790603 2790955	9417200326
108	70	मैसर्स नेशनल रोड कैरियर	20, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री अवतार सिंह	2790495 2790837	9814123075
109	71	मैसर्स न्यू सूरज ट्रांसपोर्ट कंपनी।	16, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री तिलक राज	4614965	9780120382

110	72	मैसर्स नंदन कार्गो कैरियर	6, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री ए.के. दुग्गल	2790956 2792101	9316021535
111	74	मैसर्स न्यू कोहली ट्रांसपोर्ट कंपनी	हल्लोमाजरा, यूटी, चंडीगढ़ -2	श्री गणेश कुमार शास्त्री	2650440	9872275936
112	75	मैसर्स न्यू बॉम्बे दिल्ली रोड कैरियर	24, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री भारत भूषण लबरू	5006589 3044589 5089315	9316136028
113	76	मैसर्स न्यू प्रिंस रोडलाइन एंड रैजिस्टर्ड	बूथ सं. 7, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री सुरजीत सिंह	2792292 2792448	9417047725
114	120	मैसर्स न्यू चण्डीगढ़ गुवाहाटी रोडलाइन	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री जगतार सिंह	5003465 5006165	9876341756
115	125	मैसर्स नेशनल रोडलाइन निगम	8, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री एस पी सिंह	2790633 5008370	9815511044
116	130	मैसर्स निर्माण गुड्स कैरियर	20, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री दमनबीर सिंह	5086308,5057308	9815174005
117	182	मैसर्स नाइस फ्लीट कैरियर (रजिस्टर्ड)	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री उमेश शर्मा	3028030	9814176761
118	133	मैसर्स नव भारत गुड्स कैरियर	9, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री कुलदीप सिंह	5016591	9501187684
119	186	मैसर्स ओरिएंट लॉजिस्टिक्स	41, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री निशांत शर्मा	2550943	9888875576
120	190	मैसर्स ओशन रोडलाइन	405, मोटर मार्केट, मनीमाजरा, चंडीगढ़	श्री नरेंद्र शर्मा	4008914	9803021595
121	111	मैसर्स ओम रोडवेज	8, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री ओम प्रकाश	5006069 5017626	9316207172
122	166	मैसर्स ओमकारा ट्रांसपोर्ट कंपनी	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री ओम प्रकाश जांगिड़	5006099	9350154841
123	77	मैसर्स पीके ट्रांसपोर्ट कंपनी	38, टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री प्रीतम सिंह	5006882 4644282	7355703482
124	78	मैसर्स पुरी रोड कैरियर	14, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री टी एल पुरी	2790742 5006200 3048242	9316113034
125	79	मैसर्स पटेल रोडवेज लिमिटेड	44, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री अरविंद राय	5006050 4622852	9316040552

126	81	मैसर्स प्रिंस रोडलाइन	14, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री दर्शन सिंह	2792992 5006292	9216102892
127	82	मैसर्स पंजाब साउथ रोडवेज	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री शिव कुमार	5006004 3040598	9216919200
128	118	मैसर्स प्रकाश गुड्स कैरियर	10, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री अश्विनी शर्मा	5088786 2792091	9417002688
129	142	मैसर्स पंजाब रायपुर फ्राइट कैरियर	35,न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री परमजीत सिंह	5006271 3048671 5006171	9872435371
130	80	मैसर्स पंजाब अप रोडवेज	27, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री केशव कुमार	5078427 5085433	9815484558
131	136	मैसर्स राकेश गुप्ता एंड कं	24, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री राकेश गुप्ता	5078471	9417278471
132	173	मैसर्स राणा ट्रांसपोर्ट कंपनी (रजिस्टर्ड)	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री अंकुश राणा	2793563	9501020525
133	84	मैसर्स रोडलाइन ऑफ इंडिया	44, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री नितिन एब्रोल	5006085 3028000 2791629	9888014403
134	112	मैसर्स रतन रोडलाइन	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री गुलशन रतन	2790574 4604912 3057268	9876153344
135	85	मैसर्स शिमला मंडी गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी	29, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री जितेंद्र गुप्ता	2792963 2793424	9815902635
136	191	मैसर्स शिमला बिलासपुर गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी	22, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री सुरेश बंसल	2791708 6571857	9216505757
137	202	मैसर्स सिमला मंडी गुड्स कैरियर	29, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री संजय गुप्ता	2793424	9815602635
138	86	मैसर्स सूद गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी (पंजीकृत)	14, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-2	श्री राजीव सूद	5088635 3053103	9317931720
139	137	मैसर्स श्री कृष्ण कार्गो कैरियर कंपनी	42, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री सुमेश कुमार	5006153 3205166	9316069262
140	169	मैसर्स शिवालिक लॉजिस्टिक्स	24, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री कृष्ण कांत शर्मा	5019058	9814137492
141	175	मैसर्स श्री कृष्णा ट्रांसपोर्ट कंपनी	45, प्रथम तल, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर	श्री जगत सिंह	3243666	9216428170

			26, चंडीगढ़-19			
142	189	मैसर्स श्री कृष्णा टेम्पो ट्रांसपोर्ट कंपनी	34, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री पवन कुमार शर्मा	5006544	9316561302
143	178	मैसर्स श्री बाला जी रॉयल कैरियर	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री आशीष सिंह नागल	8591431155	9356037236
144	193	मैसर्स शेर-ए-पंजाब रोडवेज	32, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री मनदीप सिंह	5006095	9646441394
145	194	मैसर्स श्री कृष्ण रोडवेज	312, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री मनोज भट	6543562	9216319541
146	139	मैसर्स संजीत रोडलाइन	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री संजीत मलिक	5006516 3072816	9316975216
147	87	मैसर्स संदीप रोड कैरियर	26, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री राम प्रकाश शर्मा	2793474 5006474	9316132070
148	199	मैसर्स साई कार्गो कैरियर (रजिस्टर्ड)	312, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री बहादुर सिंह	4649514 5006714	9417301834
149	88	मैसर्स सेवक ट्रांसपोर्ट कंपनी	बूथ सं. 12, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री जगतार सिंह	2791974 4614574 2791674	9815095095
150	89	मैसर्स सोलन शिमला ट्रांसपोर्ट कंपनी	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री राजिंदर सिंह	2793729 2793563	9501020525
151	155	मैसर्स साउथ इंडिया रोडवेज	एससीएफ़ 87, ग्रेन मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री राजेश कुमार	5006333	9357922333
152	90	मैसर्स सुरजीत गुड्स कैरियर रजिस्टर्ड	18, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री सुरजीत सिंह	2792832 5077832	9872012932
153	91	मैसर्स सरस ट्रांसपोर्ट कंपनी	20, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री राज सिंह	3044299	9814106299
154	93	मैसर्स सियान रोडलाइन	8, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री करनेल सिंह	2790355 2790155	9915480455
155	94	मैसर्स साउथ ईस्टर्न रोडवेज लिमिटेड	12, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री अनुलेख पांडे	5006412 2790412	9356395964
156	95	मैसर्स साउथ बॉम्बे फ्रेट कैरियर	8, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-	श्री संजय कलिया	5006784 2792784	9876300784

			19			
157	97	मैसर्स सैट रोडलाइन	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री सतपाल त्यागी	5006418 3048018	9316102544
158	98	मैसर्स साफे लॉजिस्टिक्स	6, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री राकेश भल्ला	4622558 463300004 4612548	9814098048
159	146	मैसर्स सुगम परिवहनन लिमिटेड	42, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री मदन लाल शर्मा	3053162 5006142	9316394206
160	114	मैसर्स स्टार ट्रांसपोर्ट कंपनी	42, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री अरविंद बंसल	5007831 5006831	9815333316
161	148	मैसर्स सवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी	26, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री प्रदीप कुमार	2793219 5006219	9357006419
162	157	मैसर्स शिमला साउथ रोड कैरियर	एससीएफ़ 292, ग्रेन मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री रजत चौहान	5006114	9815556300
163	63	मैसर्स सिंगला ट्रक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	314 बीडीसी, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़	श्री परमजीत सिंह सिंगला	5088584 2791555	9814082281
164	127	मैसर्स श्री गणेश रोडवेज	39, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री नवीन गुप्ता	2580354 2753354	9417282456
165	163	मैसर्स सुपर हरियाणा गोल्डन रोडवेज	36, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री हरि पाल	5006655	9316911321
166	152	मैसर्स श्री स्टार कार्गो लॉजिस्टिक्स	1790, दीप कॉम्प्लेक्स, हल्लोमाजरा, चंडीगढ़	श्री सरवन सिंह	5068883	9814787066
167	180	मैसर्स द नमक्कल ट्रांसपोर्ट सर्विस	37, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री बलवंत सिंह	5006599	8146996599
168	153	मैसर्स तिरंगा रोडलाइन	32, न्यू टिंबर मार्केट, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री गुरदयाल सिंह	5006480	9915006480
169	159	मैसर्स तिरुपति इंडिया लॉजिस्टिक्स	15, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री जय कौशिक	6541453	9463972245
170	99	मैसर्स टी.सी.आई. लिमिटेड	21, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री एम.के. मिश्रा	3243907 3243402 3240105	9316970138
171	100	मैसर्स अमृतसर ट्रांसपोर्ट	11, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री राजमल	5085722 5006785	9316100430

172	101	मैसर्स भारत मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी	10, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री पवन कुमार	2791444 5088786	9417191006
173	102	मैसर्स टोगर ट्रांसपोर्ट कंपनी	312, बीडी कॉलोनी, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री कुलदीप सिंह	2791513 5006377	9417008841
174	141	मैसर्स उपकार गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड लिमिटेड	24, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री रामदास गुप्ता	5078471 4630471	9417278471
175	104	मैसर्स यूनियन रोडवेज लिमिटेड,	5, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री राजवीर सिंह	2792813 3257829	9316985205
176	105	मैसर्स युनीक कैरियर प्रा. लिमिटेड	13, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री विनोद कौशिक	2790834 5005834	9316120535
177	184	मैसर्स यूपी चण्डीगढ़ गुड्स कैरियर	24, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री शमिंदर सिंह बरार	5006803	9814100803
178	198	मैसर्स उत्तर भारत ट्रांसपोर्ट कं	24, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री रमन कुमार	2791022	9417317417
179	103	मैसर्स न्यू उपकार रोडलाइन	27, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री अमरनाथ शर्मा	2791896 3198896	9872997971
180	107	मैसर्स विशाल हमीरपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी	27, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री जीत राम	2790827 5088789	9815941127
181	201	मैसर्स विंग्स परिवहन सेवा	37, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री वरिंदर शर्मा	5006266	9915725177
182	119	मैसर्स एक्सपीएस कार्गो कैरियर	21, ट्रांसपोर्ट एरिया, सैक्टर 26, चंडीगढ़-19	श्री ए. बी. भट्ट	2790250	9316065881

जेसीबी की सूची

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	उत्खनक-चालकों की संख्या
1.	सी.पी. II (सड़क)	निर्माण सर्कल-II, इंजीनियरिंग विभाग, चण्डीगढ़	1
2.	नगर निगम	सैक्टर 17, चंडीगढ	4
3.	मैसर्स शिव कुमार, इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन (प्राइवेट)	#1662, सैक्टर 21, पंचकूला	3

4.	मैसर्स राजेंद्र एंड कंपनी (प्राइवेट)	#3069, सैक्टर 19, चण्डीगढ़	4
5.	मैसर्स असफाप्ट कारपेट कंस्ट्रक्शन कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड	#120, सैक्टर 9, पंचकूला	2
6.	मैसर्स अजीत सिंह	#252, सैक्टर 35 ए, चण्डीगढ़	2
7.	श्री वी के सूद	#20, सैक्टर 6, पंचकूला	4
8.	मैसर्स रोपड़ कंस्ट्रक्शन	#2738, फेस 7, मोहाली	10
9.	श्री प्रदीप अग्रवाल	एससीएफ 259,मनीमाजरा	2
10.	पुलिस विभाग	पुलिस लाइन, सैक्टर 26, चण्डीगढ़	3

पोक्लेन की सूची

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	पोक्लेन की संख्या
1.	सी.पी. II (सड़क)	निर्माण सर्कल-II, इंजीनियरिंग विभाग, चण्डीगढ़	1
2.	मैसर्स शिव कुमार, इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन (प्राइवेट)	#1662, सैक्टर 21, पंचकूला	2
3.	मैसर्स राजेंद्र एंड कंपनी (प्राइवेट)	#3069, सैक्टर 19, चण्डीगढ़	2
4.	मैसर्स अजीत सिंह	#252, सैक्टर 35 ए, चण्डीगढ़	2
5.	मैसर्स रोपड़ कंस्ट्रक्शन	#2738, फेस 7, मोहाली	3
6.	श्री प्रदीप अग्रवाल	एससीएफ 259,मनीमाजरा	1
7.	श्री वनीष अरोड़ा	#845, सैक्टर 10, पंचकूला	1
8.	अमर नाथ अग्रवाल	#80, सैक्टर 6, चण्डीगढ़	3

टिप्परों की सूची

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	टिप्परों की संख्या
1.	सी.पी. II (सड़क)	निर्माण सर्कल-II, इंजीनियरिंग विभाग, चण्डीगढ़	9
2.	नगर निगम	सैक्टर 17, चंडीगढ	8
3.	मैसर्स लॉर्ड शिवा कंस्ट्रक्शन	अनाज मंडी, गोहाना, जिला सोनीपत	1
4.	मैसर्स शिव कुमार, इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन (प्राइवेट)	#1662, सैक्टर 21, पंचकूला	8
5.	मैसर्स राजेंद्र एंड कंपनी (प्राइवेट)	#3069, सैक्टर 19, चण्डीगढ़	20
6.	मैसर्स असफाप्ट कारपेट कंस्ट्रक्शन कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड	#120, सैक्टर 9, पंचकूला	15
7.	मैसर्स अजीत सिंह	#252, सैक्टर 35 ए, चण्डीगढ़	11
8.	मैसर्स रोपड़ कंस्ट्रक्शन	#2738, फेस 7, मोहाली	2
9.	मैसर्स अवतार सिंह रेखी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	एससीओ 54-55, सैक्टर 34 ए, चण्डीगढ़	7

बुलडोजरों की सूची

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	बुलडोजरों की संख्या
1.	सी.पी. II (सड़क)	निर्माण सर्कल-II, इंजीनियरिंग विभाग, चण्डीगढ़	1
2.	नगर निगम	सैक्टर 17, चंडीगढ	1
3.	मैसर्स शिव कुमार, इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन (प्राइवेट)	#1662, सैक्टर 21, पंचकूला	1
4.	मैसर्स रोपड़ कंस्ट्रक्शन	#2738, फेस 7, मोहाली	4

ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली/टैंकरों की सूची

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	ट्रॉली/टैंकरों की संख्या
1.	सी.पी. II (सड़क)	निर्माण सर्कल-II, इंजीनियरिंग विभाग, चण्डीगढ़	5
2.	नगर निगम	सैक्टर 17, चंडीगढ	5
3.	बागवानी विभाग	कंस्ट्रक्शन सर्कल-II, इंजीनियरिंग विभाग, चण्डीगढ़	8
4.	मैसर्स शिव कुमार, इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन (प्राइवेट)	#1662, सैक्टर 21, पंचकूला	5
5.	मैसर्स राजेंद्र एंड कंपनी (प्राइवेट)	#3069, सैक्टर 19, चण्डीगढ़	6
6.	मैसर्स असफाप्ट कारपेट कंस्ट्रक्शन कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड	#120, सैक्टर 9, पंचकूला	4
7.	मैसर्स अजीत सिंह	#252, सैक्टर 35 ए, चण्डीगढ़	1
8.	मैसर्स गुप्ता	#994, इंडस्ट्रियल एरिया फेस-II, चण्डीगढ़	3
9.	मैसर्स रोपड़ कंस्ट्रक्शन	#2738, फेस 7, मोहाली	1
10.	मैसर्स अवतार सिंह रेखी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	एससीओ 54-55, सैक्टर 34 ए, चण्डीगढ़	2

ट्रक पर लगाए गए पानी के टैंकरों की सूची

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	ट्रक पर लगाए गए पानी के टैंकरों की संख्या
1.	जन-स्वास्थ्य सर्कल	इंजीनियरिंग विभाग, चण्डीगढ़	5
2.	विद्युत विभाग, चण्डीगढ़	नगर निगम, चण्डीगढ़	3
3.	जन-स्वास्थ्य सर्कल	नगर निगम, चण्डीगढ़	5
4.	अग्निशमन विभाग, चण्डीगढ़	सैक्टर-17, चण्डीगढ़	3

कंप्रेसरों की सूची

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	कंप्रेसरों की संख्या
1.	मैसर्स शिव कुमार, इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन (प्राइवेट)	#1662, सैक्टर 21, पंचकूला	2

विंच मशीन की सूची

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	विंच मशीन की संख्या
1.	मैसर्स शिव कुमार, इंजीनियर्स एंड कंस्ट्रक्शन (प्राइवेट)	#1662, सैक्टर 21, पंचकूला	2

जनरेटर सेट की सूची

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	जनरेटर सेट की संख्या
1.	मैसर्स राजेंद्र एंड कंपनी (प्राइवेट)	#3069, सैक्टर 19, चण्डीगढ़	3
2.	मैसर्स असफाप्ट कारपेट कंस्ट्रक्शन कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड	#120, सैक्टर 9, पंचकूला	4

10 - टन की क्रेनों की सूची

क्र. सं.	फर्म का नाम	पता	क्रेनों की संख्या
1.	मैसर्स महाराजा क्रेन सर्विस	शॉप संख्या 1, ट्रांसपोर्ट एरिया, चण्डीगढ़	5
2.	लक्की क्रेन सर्विस	# 2, ट्रांसपोर्ट एरिया, चण्डीगढ़	4
3.	बंसल क्रेन सर्विस	शॉप संख्या 10, ट्रांसपोर्ट एरिया, चण्डीगढ़	3

अनुलग्नक-II

महत्वपूर्ण भवनों की सूची

1. पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, सैक्टर 2, चण्डीगढ़
2. पंजाब एवं हरियाणा विधानसभा, सैक्टर 2, चण्डीगढ़
3. पंजाब एवं हरियाणा सचिवालय, सैक्टर 2, चण्डीगढ़
4. राजभवन- हरियाणा, सैक्टर 6, चण्डीगढ़
5. राज भवन- पंजाब, सैक्टर 6, चण्डीगढ़
6. केंद्रीय सदन भवन, सैक्टर 9, चण्डीगढ़
7. पुलिस मुख्यालय, सैक्टर 9, चण्डीगढ़
8. यू टी सचिवालय, सैक्टर 9, चण्डीगढ़
9. सीडीए भवन, सैक्टर 9, चण्डीगढ़
10. मिनी सचिवालय- पंजाब, सैक्टर 9, चण्डीगढ़
11. 13-किलो वाट सब स्टेशन, सैक्टर 12, चण्डीगढ़
12. पीजीआई, सैक्टर 12, चण्डीगढ़
13. पंजाब विश्वविद्यालय, सैक्टर 12, चण्डीगढ़
14. सरकारी अस्पताल, सैक्टर 16, चण्डीगढ़
15. मिनी सचिवालय- हरियाणा, सैक्टर 17, चण्डीगढ़
16. सामान्य डाकघर, सैक्टर 17, चण्डीगढ़
17. सिविल डिफेंस नियंत्रण कक्ष, सैक्टर 17, चण्डीगढ़
18. मुख्य टेलीफोन एक्सचेंज, सैक्टर 17, चण्डीगढ़
19. जिला न्यायालय, सैक्टर 17, चण्डीगढ़
20. स्थानीय बस अड्डा, सैक्टर 17, चण्डीगढ़
21. टीबीआरएल, सैक्टर 30, चण्डीगढ़
22. सीएसआईआर-सीएसआईओ, सैक्टर 30, चण्डीगढ़
23. जीएमसीएच,सैक्टर 32, चण्डीगढ़
24. तार युद्ध निर्माणी, इंडस्ट्रियल एरिया फेस-I, चण्डीगढ़
25. मुख्य बस अड्डा, सैक्टर 43, चण्डीगढ़

अनुलग्नक-III

त्वरित प्रतिक्रिया दल का स्थान

1. सिविल पुलिस लाइन, सैक्टर 26, चण्डीगढ़
2. एसएसपी कार्यालय, सैक्टर 9, चण्डीगढ़

अनुलग्नक IV - मानचित्र

चण्डीगढ़ पर्यटक मानचित्र

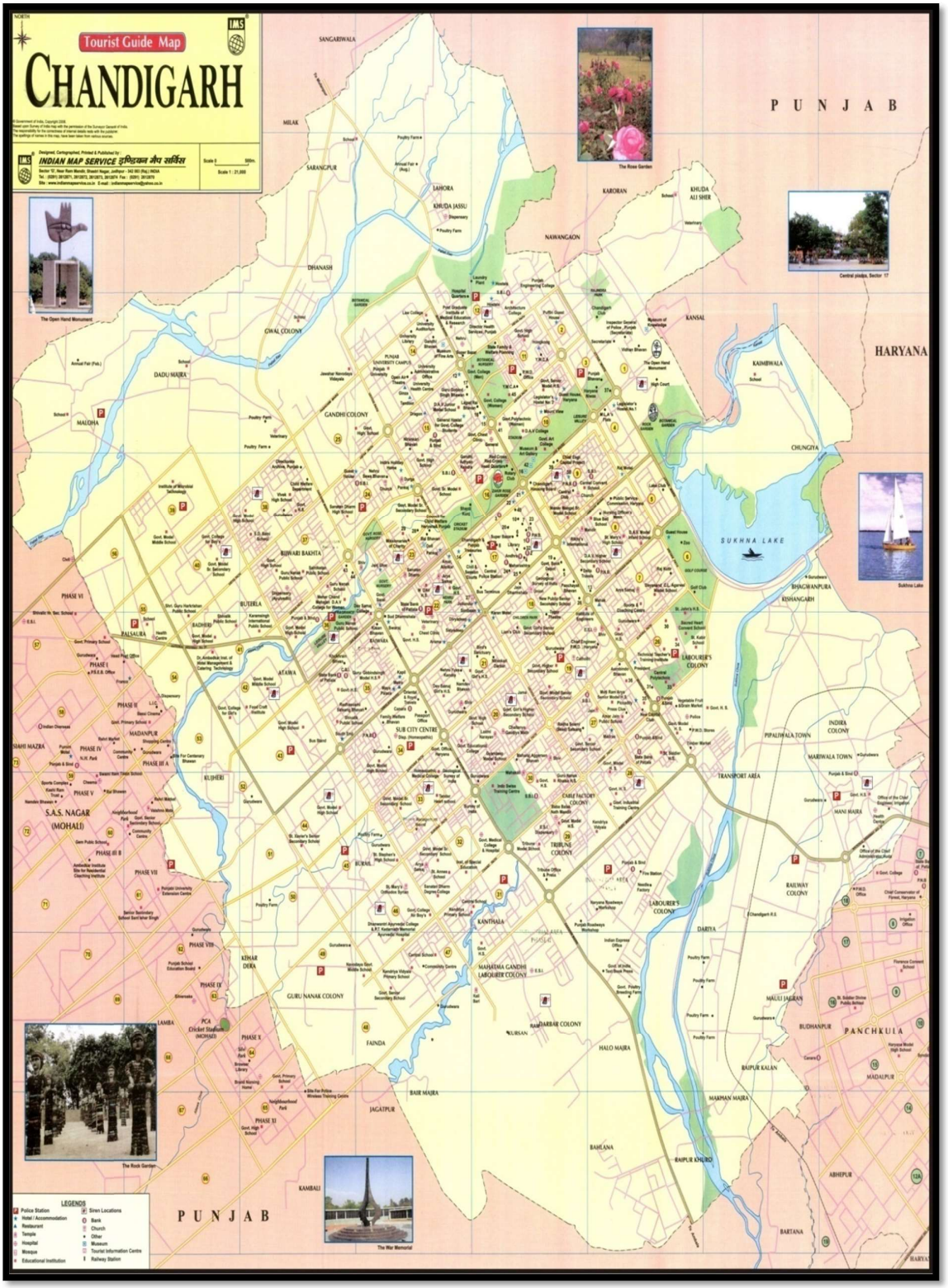

शहर के महत्वपूर्ण स्थल दर्शाता मानचित्र

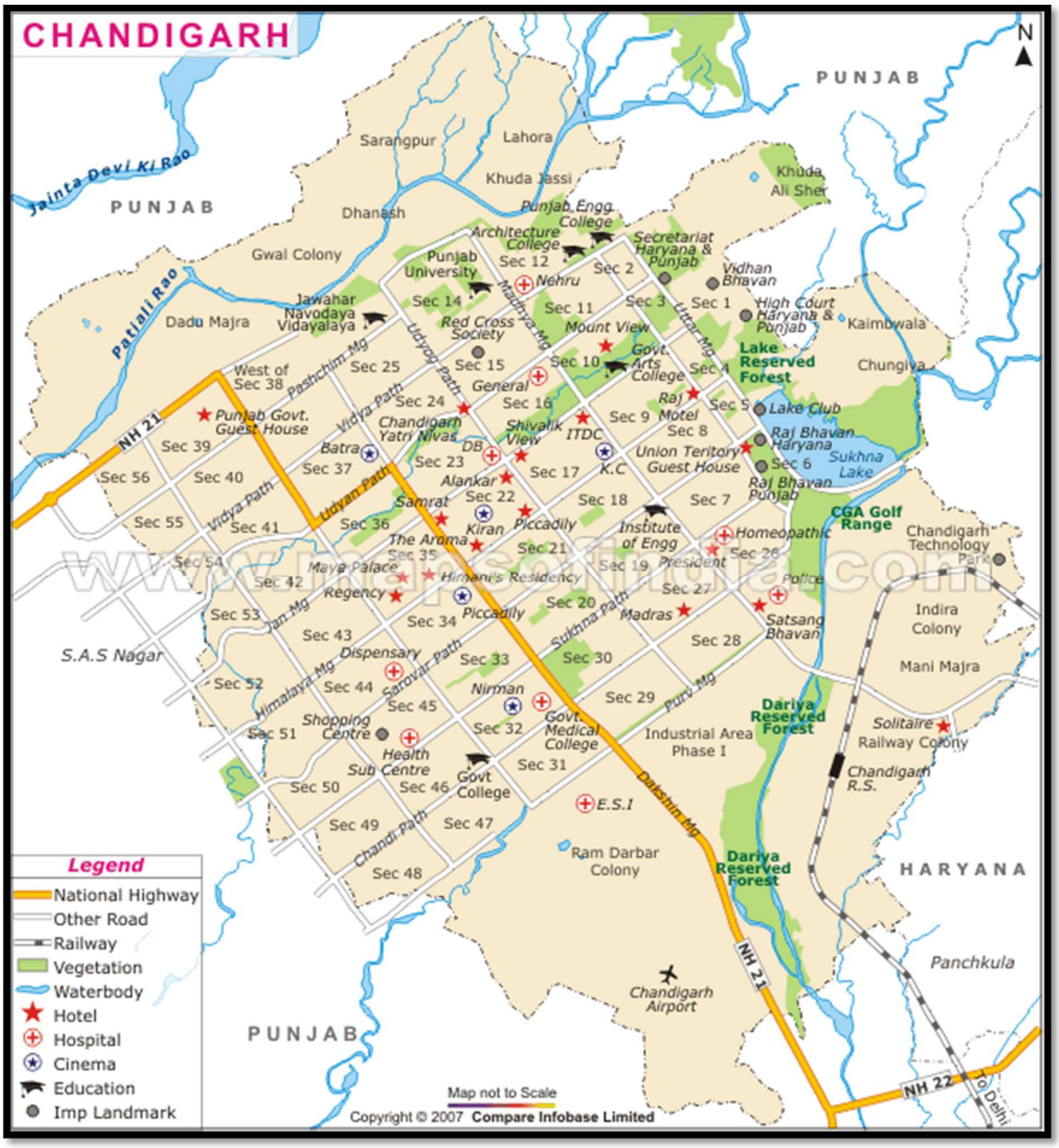

सरकारी स्कूलों को दर्शाता मानचित्र

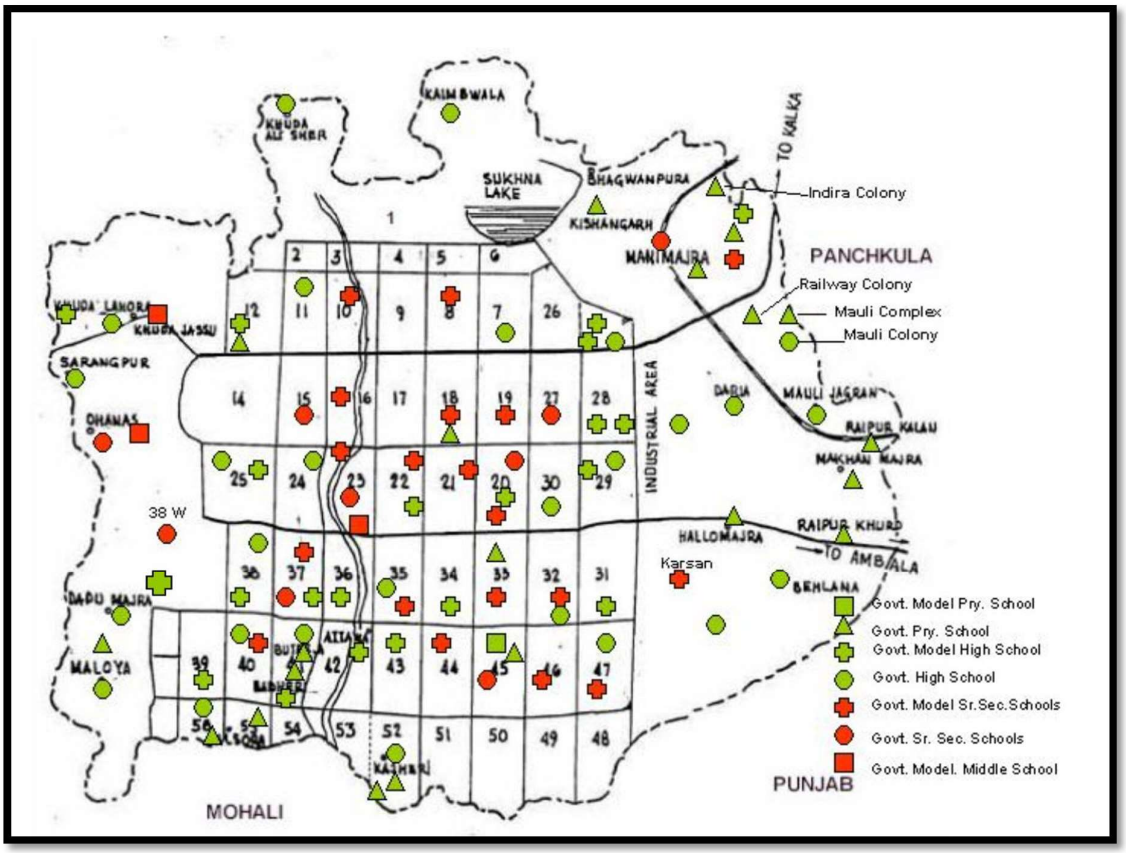

सरकारी कॉलेजों को दर्शाता मानचित्र

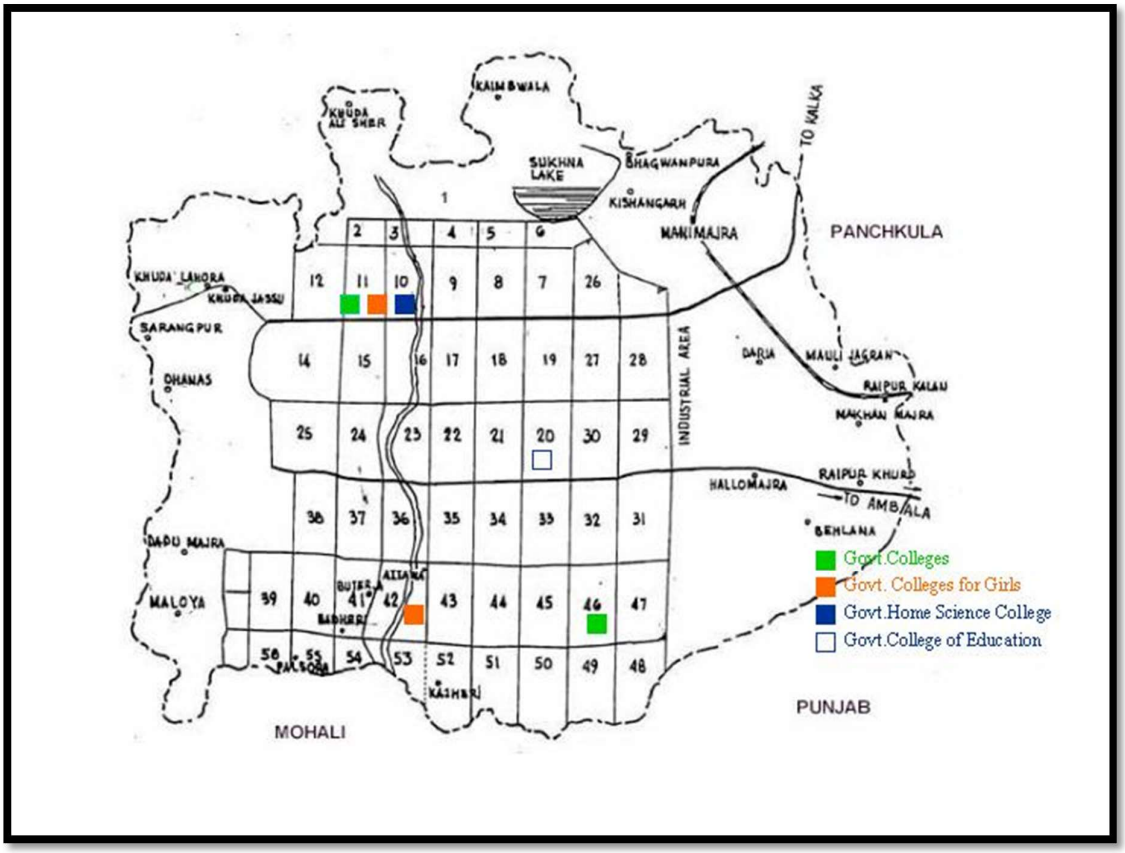

पुलिस स्टेशन क्षेत्राधिकार दर्शाता मानचित्र